



वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2015-16

52nd
1965-2016



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
नई दिल्ली

Cement Corporation of India Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)
New Delhi

Achievement of the Year



SCOPE Excellence Award presented by Hon'ble President of India



13th National Cost Excellence Award of The Institute of Cost Accountant of India

52nd Annual Report 2015-16

Contents	Page No.
Board of Directors	3
Chairman's Speech	8
Director's Report	10
Secretarial Audit Report	28
Report on Corporate Governance	32
Management Discussion & Analysis	40
Annual Accounts 2015-16	46
Cash Flow Statement	83
Auditor's Report and Management's Replies	85
C&AG's Comments	96
Our Employees — Our Greatest Assets	98
Salient Features of our Units	101

Cement Corporation of India Limited
(A Govt. of India Enterprise)
New Delhi



Statutory Auditors Principal Auditor

M/s. Kapoor Bhushan & Company
Chartered Accountants
DP-55, Maurya Enclave, Pitampura
Delhi-110034

Registered Office

Cement Corporation of India Ltd.
Core 5, Scope Complex
7, Lodhi Road
New Delhi-110003
CIN No. U74899DL1965GOI004322

Bankers

State Bank of India
State Bank of Hyderabad
Corporation Bank
Punjab National Bank
Dena Bank
Central Bank of India

Branch Auditors

M/s N Samba Shiv & Co.
Chartered Accountants,
Adilabad-504001

M/s. S S R & Co.
Chartered Accountants,
Rohtak-124001

M/s. Jhanwar & Co.
Chartered Accountants,
Raipur-492004

M/s. Gopal & Rajan
Chartered Accountants,
Cuddapah-516001

M/s. DCG & Co.
Chartered Accountants,
New Delhi-110002

M/s. Satyanaryana & Co.
Chartered Accountants,
Secunderabad-500003

M/s. P Gaggar & Associates
Chartered Accountants,
Guwahati-781001

M/s. DL Goenka & Co.
Chartered Accountants,
Raipur-492001

Cost Auditors

M/s. Jugal K. Puri and Associates
Cost Accountants
K-19 (G.F.), South Extension Part-II
New Delhi-110049

M/s B.V.R & Associates
Cost Accountants
Flat No. 101, R.V. Naipunya
H. No.6-3-628/3, Anand Nagar
Khairatabad, Hyderabad-500004

M/s Subhadra Dutta & Associate
Cost Accountants
Puspak Apartment
5 Paranashree Pally,
29, Upendra Nath Banerjee Road,
Kolkatta-700 060

BOARD OF DIRECTORS

AS ON 27-09-2016



Shri Manoj Misra
Chairman & Managing Director



Shri Vishvajit Sahay
Director (Upto 16.09.16)



Shri Pravin Kumar
Director (w.e.f. 16.09.16)



Shri A.M. Manichan
Director



Shri Mahender Gupta
Independent Director
(w.e.f. 29.06.16)



Shri B.V.N. Prasad
Director (HR)
(w.e.f. 19.01.16)



Shri S. Sakthimani
Director (Finance)/CFO
(w.e.f. 07.03.16)



Shri Ajay Kumar Sharma
Company Secretary



HEAD OF DEPARTMENT (CORPORATE OFFICE)



Shri S.K. Singh-IRS
Chief Vigilance Officer



Shri Saju.S. Dominic
GM (HR)



Shri V.K. Pandey
GM (P&T)



Ms. Saraswati Devi
Addl. GM (Opns.)



Dr. Ashok Kothari
Addl. GM (Prod.)/TSO



Shri Manish Mehta
Addl. GM (Fin)



Shri Ajit Shukla
DGM (Geo.) - I/c (NOU)

GENERAL MANAGERS - OPERATING PLANTS



Shri Vivek Kumar
GM- Tandur




Shri S.K. Sahu
GM- Rajban




Shri A.K. Sarkar
GM-Bokajan


TURNOVER




NET PROFIT



CEMENT PRODUCTION



MANPOWER





AWARDS GALORE

1. A Prestigious SCOPE Award for Excellence and Outstanding Contribution to the Public Sector Management - Special Institutional (Turnaround) category - 2010-11 awarded by Hon'ble President of India on 11.04.2016.
- B Corporation awarded 2nd prize of "13th National Award for Excellence in Cost Management 2016" organised by The Institute of Cost Accountants of India.

2. **Karankote Lime Stone mines of CCI Tandur won**

- | | |
|---|-----------|
| A. "Mines Safety Week-2015" | 1st Prize |
| B. "Mines Environmental and Mineral Conservation week 2015" | 3rd Prize |

3. **A Prizes have been awarded to our Mines on the Final Day Function of 7th MEMC Week 2014-15 on 14-03-2016 at Shillong (Bokajan Unit) :**

- | | |
|--|-----------|
| 1. "Top Soil Management" | 2nd Prize |
| 2. "Scientific Studies & Aesthetic Beauty" | 2nd Prize |
| 3. "Dust Supression Arrangement" | 2nd Prize |
| 4. "Water Management" | 3rd Prize |

B. 13th Metalliferous Mines Safety Week 2015-16 on 12.03.2016 at shillong (Bokajan Unit):

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. "Accident Prevention Record" | 2nd Prize |
| 2. "Survey Section" | 3rd Prize |

4. **A Mine Environment & Mineral Conservation Week 2015-16 (Rajban Unit)**

- | | |
|--|-----------------------|
| "Waste Dump Management and Rehabilitation" | 1 st Prize |
| "Mineral Conservation" | 3rd Prize |
| Publicity and Propaganda | 3rd Prize |

B Directorate of Mines Safety Mine Safety Week 2015-16 (Rajban Unit)

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Vocational Training | 1st Prize - |
| 2. Noise, Air Pollution & lighting | 2nd Prize - |



Speech of the Chairman at the 52nd Annual General Meeting



Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure and privilege to welcome you all on behalf of the Board of Directors to the 52nd Annual General Meeting of your Company, Cement Corporation of India Ltd. (CCI). Your presence in this meeting is a testimony of your support and interest in the Company's endeavour for which I am thankful to everyone. The Company's Accounts for the year ended 31st March, 2016 together with Directors' Report and the Auditors' Report have already been circulated. With your permission, I would like to take them as read.

Industry Outlook

Cement is the second most consumed material on earth after water. The world demand of cement is projected to rise 4.5% per year to 5.2 billion metric tonnes by 2019. Similarly, India's Cement demand is expected to reach 550-600 Million Tonnes Per Annum (MTPA) by the year 2025. The average consumption of cement worldwide is 513 Kgs vis a vis 191 Kgs for India.

Recent major government initiatives involves reconstructing various heritage sites, urban development, slum reconstructions, concrete roads, rural linkage roads and highways and the expansion phase in Delhi will drive cement demand in this segment besides hydel dams, river canal lining & linkage and many other infrastructure related projects. Some of the major government initiatives such as development of smart cities, Make in India, Digital India are expected to provide a major boost to the cement sector.

Performance Highlights

- The sales turnover during the year 2015-16 inclusive of excise duty is ₹ 436.23 crore as against ₹ 449.54 crore in the previous year.
- The year under review ended with net profit of ₹ 53.51 crores as against net profit of ₹ 40.08 crores during the previous year. The cement production during the year is 9.13 lakh MT of cement as against 9.53 lakh MT during the previous year.



Profitability

The company has earned a net profit of ₹ 53.51 Crores in the year 2015-16 as against net profit of ₹ 40.08 crores during the previous year. The Cement Production during the year is 9.13 lakhs MT of cement as against 9.53 lakh MT during the previous year

Quality Management

Your Company has quality management system in place and the operating plants at Tandur, Rajban and Bokajan have received ISO 9001 certification. Regular trainings are being imparted to employees to inculcate a culture of quality orientation across the Company.

Human Resource Development

Your company has given utmost importance to the skill development of all level of employees. During the year 2015-16, total 1875 mandays of in-house training was imparted to the employees to enhance their skill. Your company has also nominated employees for external training on various subjects during the year. A cross section of employees were also nominated for several seminars and conferences on in their functional areas of working at different locations.

Senior officers of the company at all the operating units were exposed to training on the concept and implementation of Risk management techniques. Besides above, your company has also conducted competency mapping of supervisory level employees at the operating units so as to bridge the skill gap.

Corporate Social Responsibility

Your Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, your company has created basket of activities and taken up various initiatives at its plants level.

Customer focus

Your Company has always believed in the philosophy of customer satisfaction and therefore making conscious efforts in organising Dealers' Meet, Masons' Meet and such other developmental programmes at regular intervals to obtain constructive feedback so as to enhance and upgrade our services.

Corporate Governance

The Company's philosophy on Corporate Governance is to conduct its business in a manner, which is ethical and transparent with all stakeholders in the Company, including shareholders, lenders, creditors and employees. Good governance is a continuing exercise and the Company reiterates its commitment to pursue the same in all aspects of its operations in the overall interest of all its stakeholders. To further enhance the corporate governance standards, the Company has got secretariat audit conducted as per the provisions of The Companies Act, 2013. A separate section under Corporate Governance has also been annexed with the Directors' Report.

Looking Ahead

Your Company is looking forward to achieve the completion of key projects and schemes as envisaged in the Sanctioned Scheme from the funds to be generated from sale of non-operating units.

Acknowledgement

Your continued support and confidence inspired us in all our endeavours for excellence and on behalf of Board of Directors of your Company, I wish to convey our sincere thanks to you and Government of India particularly to the Department of Heavy Industry, Department of Public Enterprises, for their guidance and support in all our pursuits.

We would not have reached the position with renewed focus and enhanced performance without the support received from all our shareholders and members of the Board.

I also extend my gratitude to our esteemed customers both in Government sector and private sector for their continued overwhelming support to the products of CCI.

I acknowledge overwhelmed support of Government of India, State Governments, CAG, Bankers, Statutory Auditors, Principal Director & Member, Audit Board-II and all other agencies.

Last but not the least, I would like to place on record my sincere appreciation for the commitment, involvement and dedication exhibited by the employees in the overall development and growth of the Corporation.

Thanking you,

Jai Hind.

Sd/-
(MANOJ MISRA)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

PLACE : NEW DELHI
DATE : 27TH SEPTEMBER, 2016



BOARD REPORT

To the Members,

On behalf of the Board of Directors of your company, I am delighted to present the 52nd Annual Report of your Company along with the audited accounts for the year ended 31st March, 2016, the Auditor's Report and the Report of the Comptroller & Auditor General of India.

1. FINANCIAL PERFORMANCE

The Company's financial performance for the year under review along with previous year's figures are given hereunder:

CORPORATION AS A WHOLE (₹ in crore)

No.		year ended 2015-16	year ended 2014-15
1	Net Sales	393.02	404.10
2	Other Income (including exceptional income as per Sanctioned Scheme)	63.11	57.28
3	PBDIT	63.64	49.41
4	Less: Interest	2.23	2.97
5	Profit before Depreciation	61.41	46.44
6	Less: Depreciation	7.90	6.36
7	Profit after depreciation and Interest	53.51	40.08
8	Less: Current Income Tax	0.00	0.00
9	Less: Previous year adjustment of Income Tax	0.00	0.00
10	Less: Deferred Tax	0.00	0.00
11	Net Profit after Tax	53.51	40.08
12	Balance Transferred to Balance sheet	53.51	40.08

1.1 The sales turnover during the year 2015-16 inclusive of excise duty is ₹ 436.23 crores as against ₹ 449.54 crores in the previous year.

1.2 The year under review ended with a net profit of ₹ 53.51 crores as against net profit of ₹ 40.08 crores during the previous year. The cement production during the year is 9.13 lakhs MT of cement as against 9.53 lakh MT during the previous year.

2. DIVIDEND

As per the provisions of the Companies Act, 2013, no dividend will be declared for the financial year 2015-16, in view of the negative net worth of the Company.

3. REVIEW OF BUSINESS OPERATIONS AND FUTURE PROSPECTS

Your Directors wish to present the details of Business operations done during the year under review:

Operating Units

The capacity utilization of cement (%), Clinker production (MT), Cement Production (MT) and Dispatch of cement (MT) of the operating units individually and collectively are stated as under:-

A. Production (operating plants)

	BOKAJAN		RAJBAN		TANDUR		FOR OPERATING PLANTS ONLY	
Year	14-15	15-16	14-15	15-16	14-15	15-16	14-15	15-16
CAPACITY UTILISATION OF CEMENT (%)	41.41	52.03	68.55	77.14	70.06	61.86	65.88	63.13
CLINKER PRODUCTION (MT)	72065	80070	133525	153030	667010	632210	872600	865310
CEMENT PRODUCTION (MT)	82010	103015	170005	191300	700670	618555	952685	912870
DESPATCH (MT)	80275	106088	167691	189209	700020	619021	947986	914318

Non-operating Units

During the year 2015-2016, the following six non-operating units of the company (except Adilabad) remained closed.

1. Mandhar
2. Kurkunta
3. Nayagaon
4. Akaltara
5. CharkhiDadri
6. Delhi Cement Grinding Unit

Bokajan Expansion Project

The Work Order for the new stream of 1200 TPD clinkerisation unit was placed on M/s. Promac Engg.



View of Bokajan Plant

Industries Ltd. Bangalore on 24/30.09.2010 at a total cost of ₹ 142.40 crores. Approx. 8270 M³ of concrete work has been completed against total concreting work of approx. 22000 M³. Eighteen consignments containing core equipments worth ₹ 17 crore have also been received at Bokajan site. Civil works worth ₹ 10 crores have been completed by the party.

The party had started the project work in May, 2014. However after a series of discussions, the issues have been sorted out and the implementation of the project will be restarted shortly.

The capacity of Bokajan plant shall be 1200 TPD on completion of the project. The project will help CCI in replacing the old plant and reaching out to other markets of North East and turnover & profitability of the Bokajan plant will improve.

B. PROFITABILITY

The company has earned a net profit of ₹ 53.51 Crores in the year 2015-16 as against net profit of ₹ 40.08 crores during the previous year. The Cement Production during the year is 9.13 lakhs MT of cement as against 9.53 lakh MT during the previous year

C. SALES

The sales turnover during the year 2015-16 inclusive of excise duty was ₹ 436.23 crores as against ₹ 449.54 crores in the previous year.

D. MARKETING AND MARKET ENVIRONMENT

The total cement Sales during the year was 9.16 lakh MT against 9.59 lakh MT in the previous year showing a negative growth of 4.48% in terms of total sale. Despite pressure on price front throughout the year, the sales

realization grew from ₹ 214.22 to ₹ 220.10 per bag i.e an increase of 2.74% over previous year realization.

Although the company could not achieve the last year sales figure, however Bokajan and Rajban Unit surpassed the previous year sales figure during the year 2015-16, Rajban Unit achieving highest ever sales performance.

Rajban Unit achieved the best ever sales performance by selling 1.90 lakh MT during the year 2015-16 at an average realisation of ₹ 222.89 per bag on the rising demand in the Northern markets. The trend is expected to continue during the coming year also. The Southern market particularly Telengana and Andhra Pradesh did not see the demand rise and the prices throughout the year was under pressure. The non trade and loose cement segment did witness an increase in demand. As a result Tandur Unit could not achieve its last year performance and the sale reduced by 12% to 6.21 lakh MT. Despite the low prices in the Southern Market, Tandur Unit did increase the realisation from ₹ 206.06 to ₹ 211.20 per bag. Company has reintroduced its brand in Bangalore market and Karnataka Region has started achieving better results. Maharashtra market remained sluggish mainly due to drought like conditions and high capacity addition thereby affecting the prices.

Loose cement segment at Tandur is now here to stay. The company has sold 104366 MT loose cement during the year 2015-16 which is 16.81% of the total sale of Tandur Unit. This segment has seen a growth of 41% over previous year and is expected to grow further during this year as more and more infrastructure projects and contractors are using loose cement being cost effective.

After a comparatively low performance for two years, Bokajan Unit showed an improved performance during the year 2015-16, both in terms of sale volume and realisation. With the growth of 32% the sales volume increased to 1.06 lakh MT and the realisation increased to ₹ 267.16 from previous year figure of ₹ 262.83 per bag.

4. CAPITAL STRUCTURE

The Corporation has not received any amount as equity from Govt. of India during the year under review and company' share capital at the year-end stood at ₹ 811.41 crores.

5. REMUNERATION POLICY

In CCI, pay and other benefits for executives are based on the Presidential Directives issued by the Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises, Government of India vide



Dealers meet addressed by CMD at Dehradun



letter No. F.No.1(6)2009-PE.XII dated 30th April, 2009. The last pay revision effective from 01/01/2007 was done in accordance with Ministry's OM No.2(70)/08-DPE(WC)-GL-XVI/08 dated 26th November, 2008 No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-IV/09 dated 9th February 2009 & No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-IV/09 dated 2nd April, 2009 The PRP is based on the Performance / profitability of the Company as well as individual performance rating, which is aligned to the organization's objectives.

6. IMPLEMENTATION OF ERP

Corporation is in the process of implementation of Tally ERP-9 and work of the same has been awarded to M/s. Futures Technologies. Tally ERP-9 is under implementation at all the Operating Units and Regional offices as well as at Corporate office

7. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT & INDUSTRIAL RELATIONS:

Your Company lays utmost importance on the human resources as employees are the most valued asset of any organization.

Manning your company there are 747 employees possessing a variety of skills, qualifications and competence. Your Corporation is committed to develop human resources and provide them with greater opportunities linked to their contribution to the organization's objectives. The Corporation has been making all efforts to ensure development of human competencies and welfare of its most important and valuable asset i.e. its employees.



Dir (HR) addressing during Swachhta Abhiyan Pakhwada

The Industrial Relations remained harmonious throughout the year in all the units of the Corporation. Fruitful discussions and interactions are being conducted with

the trade unions and employees at various forums which have significantly contributed towards governing redressal, resolving differences and improving industrial relations resulting into no mandays lost during the year.

8. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

Human Resource Development and has made efforts and given thrust towards development and optimum utilization of human resources to put up a healthy work culture and to achieve higher goal and productivity as well as to meet the challenges of the future. In order to have an extensive study of manpower restructuring, the company has appointed M/s Administrative Staff College of India (ASCI) Hyderabad for conducting the study of manpower in the Corporation. A preliminary report in this regard was submitted by the ASCI to the Management and some suggestions were given to the company and another round of discussions were held and final prints are being examined, which are to be incorporated in the report. After receiving the consolidated and final report, suitable manpower restructuring will be taken up.

9. TRAINING AND DEVELOPMENT:

As part of Human Resource development, your company has given utmost importance to the skill development of all level of employees. During the year 2015-16, total 1875 mandays of in-house training was imparted to the employees to enhance their skill. Your company has also nominated employees for external training on various subjects during the year. A cross section of employees were also nominated for several seminars and conferences on in their functional areas of working at different locations.

Senior officers of the company at all the operating units were exposed to training on the concept and implementation of Risk management techniques. Besides above, your company has also conducted competency mapping of supervisory level employees at the operating units so as to bridge the skill gap.

10. GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM:

Effective internal machinery for grievances redressal has been evolved and established in Cement Corporation of India Ltd., for its employees.

CCI is maintaining grievance handling system very effectively and employees are given an opportunity at every stage to raise grievances relating to wage matters, working conditions, leave, work assignments and welfare amenities etc. Majority of grievances are redressed informally in view of the participative nature of environment existing in the

units. The system is comprehensive, simple and flexible and has proved effective in promoting harmonious relationship between employees and management.

11. WELFARE OF WOMEN:

Your Company is fully sensitive and conscious of its social responsibility for welfare of women. All statutory and other benefits are being extended to the women employees working at various Units/Offices of the Corporation.

In order to promote the welfare of the women, the units of CCI are having Ladies Club where various social and recreation activities are being carried out for the women. The vocational programmes on computer literacy, mother & child health care etc. are being undertaken at these clubs. The Corporation provides infrastructural and other financial assistance from time to time to undertake such activities for welfare of women. So far as Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 is concerned, the committee has been established to inquire any such issue. The Committee has not received any complaint during 2015-16.

12. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION:

The Corporation continued its efforts for progressive use of official language in line with the Official Language Policy of the Govt. The Official Language Implementation Committee meeting takes place regularly and the Corporation has also taken active part in the activities of Official Language Implementation Committee. Hindi Week / Fortnight is being celebrated to encourage and motivate the employees for more and more use of Hindi in their day-to-day official work.



Prize Distribution during Hindi Pakhwara

13. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Your Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, your company has created basket of activities and taken up various initiatives at its unit level.



Swachha Bharat Abhiyan (Rajban unit)

14. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The information pertaining to conservation of energy, technology absorption, Foreign exchange Earnings and outgo as required under Section 134 (3)(m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is furnished in Annexure and is attached to this report.

15. STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The risk management system is an integrated and aligned system with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

16. DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

Your Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, your company has created basket of activities and taken up various initiatives at its unit level.



17. ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF THE VIGILANCE DEPARTMENT.

There is a need for a strong vigilance organization in the PSUs with a set of rules to regulate the conduct of its employees. Vigilance has to be looked upon as one of the essential discipline of management. It is an important segment in an organization like Finance, HR, Technical, Marketing, etc. If the vigilance setup is effective in an organization, it will certainly ensure the functioning of other disciplines in an efficient way. The functions of vigilance are preventive, punitive and detective. In CCI, vigilance play a key role to promote a culture of honesty, fairness and transparency.

Preventive vigilance calls for constant review of rules, procedures and practices, which afford scope for corruption. This includes different segments of organization like purchases, sales, civil and electrical works, inventory, finance, personnel, operational, and M&CS areas. In order to streamline processing of Bills, it was suggested that the bills are to be processed in order of seniority by maintaining centralized bills Register. Further in regard to Medical Bills, a fair, transparent and uniform procedure for relaxation of medical rules, depending upon seriousness of the diseases as well as financial status of the employee concerned may be evolved and laid out in writing. Further, the cases should be strictly dealt with in a chronological manner. A system of fixation of responsibility for not dealing and putting up cases for the consideration of the Competent Authority in a chronological manner may also be put in place.

With a view to curb shortage of clinker, systematic improvements such as installing weighing machine, reprocessing/grinding of clinker lying outside the clinker gantry, regular maintenance of points from where leakages are occurring, have been suggested.

System of uploading on the CCI website, the prevailing ex-factory prices of cement in respect of three Units has been put in place.

List of officers of 'Doubtful Integrity' and 'Agreed List' prepared and follow-up action taken thereof. Regular/ Surprise checks are conducted in sensitive areas, particularly at Sales Dumps.

Action has been initiated for updation of Personnel, Marketing and Purchase/Works Policy/Manuals. E-tendering is a part of e-procurement. CCI has already been floating NITs through e-tendering. NIT along with tender documents are uploaded on CCI website followed by publishing of small clippings of NIT in the newspapers.

CCI is having a list of vendors for centrally procured items. The same is being updated from time to time on the website and adding the new vendors. In CCI, more than 90% payment is released through RTGS. E-procurement, e-auction are implemented to the extent possible. Adoption of Integrity Pact in CCI is under process. With a view to leverage the potential of Information Technology, ERP implementation is in progress to cover various activities and operations. CCI's website takes care of all statutory requirement of RTI Act and various functional areas.

Half Yearly Review of Vigilance activities is undertaken by the Board of Directors of CCI. A detailed Agenda is prepared for the purpose, containing all the activities, including complaints received/disposed off, major/minor penalty action taken, brief regarding important cases, training and manpower in vigilance as well as the areas of concern. Complaints received from CVC, DHI and other sources are examined in terms of Government of India guidelines and disciplinary action initiated against the erring officials found guilty during disciplinary proceedings. Ensured speedy processing of vigilance cases at all stages including consultation with Central Vigilance Commission and Vigilance Section of Department of Heavy Industry. Took proper and adequate action with regard to writ petition filed by the CCI officials. To ensure that cases against the employees on the verge of retirement are finalized expeditiously.

Annual Property Returns are being obtained from employees. All prescribed Monthly, Quarterly and Annual Returns pertaining to Vigilance activities are being sent to CVC, DHI, etc. in time. In compliance of CVC's instructions, Vigilance Awareness Week is being celebrated annually at Corporate Office, Units, Regions, etc. Necessary co-operation/assistance provided to CBI in terms of DOPT's instructions by way of deputing CCI employees to secret official duty.

18. E-PROCUREMENT

The e-procurement has been implemented in our organization. An agreement was signed with M/s MSTC, New Delhi for using their portal for e-procurement services. Accordingly, M/s MSTC had imparted training to the users at units and Corporate Office and the system has been put online w.e.f. 1st July, 2015. A format of vendor registration has been uploaded on CCI website and the vendors are being registered both at units and Corporate level as and when they apply. All the tenders, for procurement and services, above ₹ 1.0 lakh are being uploaded in e-procurement portal of M/s MSTC both at units and Corporate Office.

19. INTERNAL FINANCIAL CONTROL

The Company has adequate internal financial controls system for ensuring orderly and efficient conduct of its business including adherence to the Company's policies, safeguarding of its assets and prevention of frauds. Accurate and prompt financial reporting, for compliances and improve the effectiveness of risk management towards good corporate governance. The company has two type of internal audit system:

- (1) Internal Audit by Independent Chartered Accountant firms
- (2) In house Internal Management Audit

Outside Internal auditors are appointed by audit committee duly approved by Board of Directors of the company. The reports containing significant audit findings are periodically submitted to management and audit committee of the company. Besides above, in-house internal audit team has been constituted under supervision of Director (Finance).

The company has adequate internal control measures in the form of various codes, manuals and procedures issued by the management, covering all important activities i.e. Marketing Manual, Purchase and Works manual, Material, Stores, Accounts and Personnel Manual etc. The accounts manual has been updated, however management has taken steps to up-to-date all other manuals time to time for better check and control.

The company is also planning to appoint the expert consultant i.e. C. A firm or through internal auditor firm to study and give the suggestion for improvement of internal financial control in the finance as well as in operational areas of the corporation.

20. MEMORANDUM OF UNDERTAKING

As per DPE guideline, CCI has signed MOU with Administrative Ministry and target has been fixed. MOU target as fixed by ministry, is the bench mark of CCI and accordingly, we have taken all steps to meet the target. We have rated "Very good" by DPE during the financial year 2014-15 in spite of recession in the market and stiff competition with private players. MOU rating for the year 2015-16 is under consideration by DPE.

21. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

No govt. loans, guarantees or investments is made under section 186 of the Companies Act, 2013 during the year 2015-16.

22. EXPLANATION OR COMMENTS ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE

REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE AUDITORS AND THE PRACTICING COMPANY SECRETARY IN THEIR REPORTS:

Management's reply to the Statutory Audit Report and Secretarial Audit Report are part of the Directors' Report.

23. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES:

There was no contract or arrangements made with related parties as defined under Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

24. COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES:

CCI is a CPSE where policy relating to appointment, remuneration and allowances payable to Directors is governed by the Government of India's guidelines/directions.

25. ANNUAL RETURN

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is attached to this Report.

26. NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The Company has conducted five (5) Board Meetings during the financial year under review.

27. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Management Discussion and Analysis Report is attached with this report and forms part of Annual Report of the Company.

28. DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Board hereby submit its responsibility Statement:—

- (a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;



- (c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- (e) the directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Internal financial control means the policies and procedures adopted by the Company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information.
- (f) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

29. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

30. DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposits during the year under review.

31. DIRECTORS

The following directors were appointed/ resigned during the year 2015-16.

- Smt. Divjot Kohli ceased to be Director of the Company w.e.f 24.11.2015 on the completion of her tenure. The Company places on record, its appreciation for her guidance and contribution during her association with the Company.
- Shri B.V.N. Prasad, Director (Human Resources) and Shri S. Sakthimani, Director (Finance) joined the Board w.e.f. 19.01.2016 and 07.03.2016 respectively.
- Shri S. C. Agarwal has resigned from the post of Director (Finance) w.e.f. 05.05.2015.

32. DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

There is no Independent Director on the Board of CCI during the year 2015-16

33. LINKS TO COMPANY WEBSITE

Annual Reports as well as various policies of the Company are posted on the Company's website www.cementcorporation.co.in

34. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company has always been endeavored in implementation of Right to Information (RTI) Act, 2005 in letter and spirit. The Company has designated Public Information Officers (PIO) Officers and Appellate Authorities and Transparency Officer under Section 5 and Section 19(1) of RTI Act. The provisions under the Act are being complied with by all the Plants and Units of the Company.

An exclusive RTI Corner has been developed with link being available on website of the Company. Details of Authorities, PIO, First Appellate Authority & Transparency Officer have also been made available on the website of the Company.

35. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

From time to time, we are receiving export enquiries from different parties. Due to locational disadvantage for our plants, which are far away from sea ports, our inland freight from plants to the nearest sea ports works out to be on higher side. Due to this reason, our FOB prices do not work out competitive. Close monitoring is being done on export front, to avail the opportunity, as and when arises. However, entire production of cement is being sold in the domestic market.

36. AUDITORS:

STATUTORY AUDITORS

M/s. Kapoor Bhushan & Co., Chartered Accountant Delhi were appointed as Principal Statutory Auditors for the year 2015-16 and M/s. D.L. Goenka & Co., M/s. Jhanwar & Co, M/s. Gopal & Rajan, M/s. DCG & Co., M/s. P. Gaggar & Associates, M/s. N. Sambashiv & Co., M/s. SSR & Co., M/s. Satyanarayana & Co. were appointed as Branch Auditors. The report of the statutory auditors are annexed.

COST AUDITORS

In terms of the provisions of Section 148 of the Act read with the Companies (Cost Records and Audit) Amendment Rules, 2014, the Board of Directors of your Company



have on the recommendation of the Audit Committee, appointed M/s. Subhadra Dutta & Associate, Cost Accountants, M/s. Jugal K Puri & Associates, Dehradun, Cost Accountants and M/s. BVR & Associates, Hyderabad, Cost Accountants, as Cost Auditors, to conduct the cost audit of your Company for the financial year ending 31st March, 2016, at a remuneration as mentioned in the Notice convening the Annual General Meeting.

As required under the Act, the remuneration payable to the cost auditor is required to be placed before the Members in Annual General Meeting for their ratification. Accordingly, a resolution seeking Member's ratification for the remuneration payable to Cost Auditors forms part of the Notice of the ensuing Annual General Meeting.

SECRETARIAL AUDITORS

In terms of the provision of Section 204 of the Act read with the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board has appointed M/s. Amit Agrawal & Associates, Company Secretaries, New Delhi as Secretarial Auditor for conducting Secretarial Audit of your Company for the financial year ended 31st March, 2016. The report of the Secretarial Auditor is attached as Annexure. In respect of the comments made by the Secretarial Auditor in their report, your Directors have clarified as under :

- (a) "The composition of the Board of Directors/ Audit Committee could not be duly constituted as per provisions of the Companies Act, 2013 and as per DPE Guidelines due to lack of required Woman Director/Independent Directors on the Board. However, requests to fill the vacancies were sent to Administrative Ministry. The Administrative Ministry has appointed one Part-time non-official (Independent Director) on the Board of CCI w.e.f. 29.06.2016.
- (b) The Company has CSR Committee upto 24th

November, 2015 due to cessation of BIFR Nominee on the Board w.e.f. 24.11.2015.

37. DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee consists of the following Directors:

- a. Smt. Divjot Kohli (BIFR Nominee), Chairperson
- b. Shri Manoj Misra, Member
- c. Shri A.M. Manichan, Member

The above audit committee ceased to exist on cessation of Smt. Divjot Kohli (BIFR) nominee as Director of Corporation w.e.f. 24.11.2015

The Company has Whistle Blower Policy as approved by Board of Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors, who express their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairperson of the Audit Committee, who are competent authority under the Whistle Blower Policy of the company on reporting issues concerning the interests of employees and the Company. The Whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.cementcorporation.co.in

38. ACKNOWLEDGEMENTS

Board acknowledges the support and guidance your Corporation received from Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Govt. of India and also the support and cooperation of the Ministry of Railways, DGS&D, PESB, , BIFR, Financial Institutions, Bankers and other Central and State Government Departments. We extend our gratitude to our esteemed customers both in Govt. and private sector for their continued overwhelming support to the products of CCI.

The Directors are thankful to M/s Kapoor Bhushan & Co., Chartered Accountants, Comptroller & Auditor General of India and Principal Director of Commercial Audit and Ex-officio Member, Audit Board-II. The Directors wish to place on record their deep appreciation for the dedication of employees of the Corporation.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-
(MANOJ MISRA)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Date : 23.09.2016
Place: New Delhi



CSR ACTIVITIES

1 A brief outline of the company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy:

CCI's CSR & Sustainability Policy is envisaged as **“A commitment to meet its social obligations by playing an active role to improve the quality of life of the communities and stakeholders on a sustainable basis, preferably in the project areas where it is operating”**.

CCI integrates and aligns its CSR & Sustainability policies and activities with its goals, plans and strategies keeping in view the suggested activities as per schedule VII of the Companies Act, 2013 and Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Govt. of India. The CSR & Sustainability activities will be imbibed by the employees at all levels and it should permeate into all activities, processes, operations and transactions of CCI.

Web-link address to the CSR Policy is: <http://www.cementcorporation.co.in/page.php?id=194>

2. The Composition of the CSR Committee.

The Corporate Social Responsibility committee at the Board level consists of the following directors:

- Shri Manoj Misra, Chairman & Managing Director
- Smt. Divjot Kohli (BIFR Nominee)
- Shri A. M. Manichan (Govt. Nominee)

3. Average net profits of the company for the last three financial years: ₹ 2146 lakhs

4. Prescribed CSR expenditure (2% of the amount as in item 3 above): ₹ 43 lakhs

5. Details of CSR spent during the financial year:

- Total amount to be spent for the financial year: ₹ 43 lakhs
- Amount unspent, if any: ₹ 39 lakhs
- Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

(₹ in Lakh)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
S. No	CSR project or activity identified	Projects or programs (1) Local area or other	Amount outlay (budget) project	Amount spent	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency
1.	Toilet under Swachh Bharat Mission	Bokajan	-	4	-	Direct

(S. Sakthimani)
Dir. (Fin.)/CFO

(Manoj Misra)
C&MD

**Particulars as required under Companies ' (Disclosure of particulars in the Report of the Board of Directors)
Rules 1988**

A. Conservation of Energy

BOKAJAN

- Power consumption is being monitored on daily basis.
- Idle running of equipment has been controlled and minimized.
- High wattage luminaries have been replaced with LED bulbs.

RAJBAN

- E.O.T. Crane (make WMI) motors of Grab & LT, which are obsolete, now, are under procurement for replacement.
- Compressor House 03 Nos. liquid rotor starters have been replaced.
- 03 Nos. New Liquid rotor starter has been procured for replacement at compressor house 300 HP motors
- L.E.D. lighting has been fitted in place of conventional 40 w tube rods under energy conservation at Guest house. GM's residence Qtr D1, D2 Colony Street lights ADM building. Main gate, time office & MM-Deptt.
- Electronic Regulators/Chokes are being used under energy conservation.

TANDUR

- New Energy Efficient Motors have been replaced at L S Crusher 750 KW VRM Fan, 3200 KW Coal Mill Fan 430 KW & Coal Mill Main drive 225 KW and other 45 motors up to 110 KW for energy conservation at a cost of ₹ 1.5 Crore.
- Procurement of 06 Nos WFD Panels & Energy efficient motors for fans energy conservation is under process.
- Various energy saving measures have been taken up such as replacement of motors will consume less KW for over sized motors. High wattage light fittings of 400/250 watt with low Watt 150 Watt fittings and 40 watt TL fittings with 20 watt LED tubes 380 nos installed & 100 nos under process at a cost of ₹ 24.00 Lakhs
- Procurement & Installation of 06 nos of 36 Watt solar street light at colony, Admn Bldg & Magazine area is completed at a cost of ₹ 1.84 Lakhs
- Time switch control has been installed in all street lights and high mast lighting towers.
- New coal firing pipe line has been laid in order to reduce the pressure drop in the circuit and to avoid use of Compressor of 250 HP. Now kiln coal firing is being done through spare blower from kiln feed circuit having 100 HP motor.

B. Total Energy consumption and energy consumption per unit of production

1. Electricity

	2015-2016)	(2014-2015)
	(Operating Units only)	(Operating Units only)

a) Purchased

i) Units (in lacs.)	1148.02	1230.56
ii) Total amount (in lacs.)	6640	7426
iii) Rate per Unit	5.78	6.03



b) Own generation

i) Through Diesel Generation		
• Unit (KWH)	96253	81484
• Unit/ litre of diesel oil (KWH/litre)	2.24	2.59
• Cost per Unit (₹ /KWH)	20.08	17.68

2. Coal

i) Qty. consumed (Tonne)	196331	205931
ii) Total Cost (₹ in lacs)	10038	10415
iii) Average rate (₹ /MT)	5112.78	5057.60

Consumption per unit of production

i) Electricity (KWH/ tonne of packed cement incl. Township)	125.76	129.25
ii) Booked coal (kg of coal /kg. of clinker production)	0.23	0.2366
iii) Coal Quality (UHV) (kg.cal/kg. of coal)	4366	4097

B. Technology Absorption

I. Research and development (R&D)

i) Specific Areas in which R&D was carried out by the company – Quality control/improvement activities as mentioned in point no.6 are undertaken.

ii) Benefits derived as a result of the R&D: Proper maintenance of quality of cement.

III. Further Plan of Action.

II. Technology Absorption, Adoption & Innovation

As no technology was imported in the year, the information on absorption, adoption and innovation is NIL.

Expenditure on R&D (2015-16) :

(₹ in crores)

a) Capital	—
b) Revenue	NIL
c) Total	NIL
d) Total R&D Exp. As a % of total turnover	NIL

C. Foreign Exchange Earnings and outgo

Though export enquiries have been received from time to time from different parties but due to locational disadvantage of our plants, which are far away from sea ports, our inland freight from plants to the nearest sea ports works out to be on higher side. Due to this reason our FOB prices do not work out competitive. Close monitoring is being done on export front, to avail the opportunity, as and when arises. However, entire production of cement is being sold in the domestic market.

(₹ in crores)

Total foreign exchange used and earned :	Nil
Total foreign exchange used during the year :	Nil
Total foreign exchange earned during the year :	Nil

FORM NO. MGT-9 EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the financial year ended on 31 March, 2016

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

1. REGISTRATION AND OTHER DETAILS :

- i) **CIN:-** U74899DL1965GOI004322
- ii) **Registration Date:-** 18/01/1965
- iii) **Name of the Company:-** CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED
- iv) **Category/ Sub-Category of the Company:-** MANUFACTURING SECTOR
- v) **Address of the Registered office and contacts details:-**
CORE-5, SCOPE COMPLEX, 7 LODHI ROAD NEW DELHI-110003
- vi) **Whether listed company Yes / No:-** No
- vii) **Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, If any:-** N.A.

2. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl . No.	Name and Description of the main products/ services	NIC Code of the Product/ services	% to total turnover of the company
1	Cement	2394	100%
2	Clinker	2394	

3. PARTICULARS OF HOLDING , SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S. NO	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING / SUBSIDIARY/ ASSOCIATE	% OF SHARES HELD	APPLICABLE SECTION
	NIL				

4. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

- i) Category – wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A) Promoters									
(1) Indian									
(a) Individual/ HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(b) Central Govt Equity Shares Preference Shares	- -	45,59,749 35,54,325	45,59,749 35,54,325	100% 100%	- -	45,59,749 35,54,325	45,59,749 35,54,325	100% 100%	NIL
(c) State Govt.	0	0	0	0	0	0	0	0	
(d) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	
(e) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	
(f) Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub- total(A) (1):-	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	
(2) Foreign									
a) NRIs- Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Bank/FI	0	0	0	0					
e) Any other....	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub- total (A) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total shareholding of Promoter (A)=(A)(1)+ (A)(2)	0		0	0	0	0	0	0	
A. Public share holding									
1.Institutions									
a) Mutual Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Central Govt. /State	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) Insurance Companies	0	0	0	0	0	0	0	0	
f) FIIs	0	0	0	0	0	0	0	0	
g) Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	
h) Others (specify	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stressed Asset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total (B) (1):-	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. Non-Institutions									
a) Bodies Corp. (Indian & Overseas)	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Individuals									
(i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) others (Specify)									
Trusts	0	0	0	0	0	0	0	0	
NRI & Foreign Corporate Bodies	0	0	0	0	0	0	0	0	
c-ii) Clearing Members	0	0	0	0	0	0	0	0	
HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total (B) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Shares held by Custodian for GDR&ADRs	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grand Total (A+B+C)	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	NIL

(ii) Shareholding of Promoters

SI No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change Shareholding during the year
		No. of shares	% of total shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the company	% of Pledged/ encumb-ered to total shares	
1.	Central Govt.	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	NIL
	Total	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	NIL



(iii) **Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)**

Sl. No.		Shareholding at the Beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. Of Shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	NO CHANGE			
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reason for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):				
	At the end of the year				

(iv) **Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):**

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	For Each of the Top 10 Shareholders				
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):				
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) **Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:**

Sl No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	For Each of the Directors and KMP				
	At the beginning of the year				NIL
	Date wise Increase/Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment /transfer/ bonus/sweat equity etc):				
	At the End of the year				

5. INDEBTNESS

Indebtness of the Company including interest outstanding/accrues but not due for payment

(₹ in Lakhs)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtness
Indebtness at the beginning of the financial				
i) Principal Amount	—	18790	—	18790
ii) Interest due but not paid	—	18548	—	18548
iii) Interest accrued but not due	—	—	—	—
Total (i+ii+iii)		37338		37338
Change in Indebtness during the financial year				
• Addition	—	—	—	—
• Reduction	—	—	—	—
Net Change				
Indebtness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	—	18790	—	18790
ii) Interest due but not paid	—	18548	—	18548
iii) Interest accrued but not due	—	—	—	—
Total (i+ii+iii)		37338		37338

6. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole – time Directors and/or Manager:

(₹ in Lakhs)

Sl No.	Particulars of Remuneration	NAME OF MD/WT/Manager				Total Amount
		Sh. Manoj Misra	Sh. B.V.N. Prasad	Sh. S. Sakthimani	Sh. S. C. Agrawal	
1.	Gross salary					
	(a) Salary as per provisions contained in section 17 (1) of the Income tax Act, 1961	26.04	5.08	1.51	4.87	37.50
	(b) Value of perquisites u/s 17 (2) Income –tax Act, 1961	—	—	—	—	—
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	—	—	—	—	—
2.	Stock Option			NIL		
3.	Sweat Equity			NIL		
4.	Commission					
	- As % of profit			NIL		
	- Others, specify....					
5.	Others , please specify					
	(i) Contribution to PF	1.92	0.41	0.13	0.19	2.65
	(ii) Medical Reimbursement	0.72	-	-	0.11	0.83
	Total (A)	28.68	5.49	1.64	5.17	40.98
	Ceiling as per the Act					



B. Remuneration to other directors:

(₹ in Lakhs)

SI No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors			Total Amount
		Mrs. Divjot Kohli	—	—	
	3. Independent Directors				
	• Fee for attending board committee meetings				
	• Commission				
	• Others, please specify	—			
	Total (1)	—			
	4. Other Non-Executive Directors(BIFR Nominee)				
	• Fee for attending board committee meetings	0.36			0.36
	• Commission				
	• Others, please specify				
	Total (2)	0.36			0.36
	Total (b)=(1+2)	0.36			0.36
	Total Managerial Remuneration	0.36			0.36
	Overall Ceiling as per the Act				

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

(₹ in Lakhs)

S.N.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO/ C&MD	COMPANY SECRETARY	CFO	Dir(Fin.) /CFO
		Sh. Manoj Misra	Sh. Ajay Kumar Sharma	Sh. A B Deyashi (wef 31.7.15)	Sh. S. C. Agrawal (upto 5.5.15)
1.	Gross salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	26.04	10.89	18.10	4.87
	(b) Value of perquisites u/s 17 (2) Income-tax Act, 1961				
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961				
2.	Stock Option		-	-	
3.	Sweat Equity		-	-	
4.	Commission				
	- As % of profit				
	- Others, specify		-	-	
5.	Others, please specify				
	(i) Contribution to PF	1.92	0.84	0.56	0.19
	(ii) Medical Reimbursement	0.72	0.44	1.30	0.11
	Total	28.68	12.17	19.96	5.17

*Mr. A.B Deyashi has been appointed as CFO w.e.f. 31/07/2015.

**Sh. S.CAgrawal has resigned from the post of CFO w.e.f. 05/05/2015.

7. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/Punishment /Compounding fees imposed	Authority[RD/ NCLT/COURT]	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty		Nil			
Compounding					
B. DIRECTORS					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty					
Compounding					



CS

Amit Agrawal & Associates

Company Secretaries

Office : H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA
Ph. : +91 - 11 - 22024525, 43019279, Mob. : + 91 - 9811272307
E-mail : amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

To

The Members of
Cement Corporation of India Limited,
Core-5, Scope Complex
7-Lodhi Road, New Delhi - 110003

Sir/Madam

Our report in form no. MR-3 of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company.
4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Amit Agrawal & Associates
(Company Secretaries)

Sd/-
(CS Amit Agrawal)
Practicing Company Secretary
Membership No. 5311
CP No. 3647

Place: Delhi
Date : 26.07.2016



CS

Amit Agrawal & Associates

Company Secretaries

Office : H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA
Ph. : +91 - 11 - 22024525, 43019279, Mob. : + 91 - 9811272307
E-mail : amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

Form No. MR-3 SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2016

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies
(Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,
Cement Corporation of India Limited
Core -5, Scope Complex
7- Lodhi Road
New Delhi-110003

year ended on 31st March, 2016 according to the provisions
of:

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable Statutory provisions and the adherence to good corporate practices by M/s. Cement Corporation of India Limited (hereinafter called the Company) having its registered office at Core -5, Scope Complex. 7, Lodhi Road, New Delhi-110003 Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on our verification of the M/s. Cement Corporation of India Limited books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during, the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the company has, during the Audit period covering the financial year ended on 31st March, 2016 complied with the Statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by M/s. Cement Corporation of India Limited for the financial

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- (ii) The Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- (iii) Other laws applicable specifically to the Company namely:
 - a) Payment of Wages Act and Minimum wages Acts
 - b) Payment of Gratuity Act;
 - c) Equal Remuneration Act 1976;
 - d) National & Festival Holidays Act;
 - e) Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970;
 - t) Maternity Benefit Act 1961;
 - g) Employees Provident Fund Act 1952;
 - h) Employee State Insurance Act;
 - i) Air (Prevention and Control of Pollution) Act;
 - j) Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974;
 - k) Environment (Protection) Act 1986;



- l) Indian Stamp Act to the extent applicable to the issue of Securities under the Companies Act, 2013:

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to our below observation.

- a. *There was no independent director on the Board of Company during the financial year 2015-16;*
- b. *As per the DPE guidelines the Audit Committee shall have minimum three Directors as members and two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors. But the company does not have any Independent Director;*
- c. *The Company has women director upto 24th November, 2015, but after this date no woman director on the Board of Company;*
- d. *The Company has CSR Committee upto 24th November, 2015.*

However, during the period under review, provisions of the following regulations were not applicable to the Company. Hence, comments are not required to be made in respect of these clauses:

- I. The Rules, Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEB1 Act') as no issue of bond has been made during the year under scrutiny.
- II. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and Rules made there under as no issue of bond has been made during the year;
- III. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- iv. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
- v. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009

- vi. The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;
- vii. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) regulations, 2009;
- viii. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998.

I further report that:

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Director except Independent Directors and women director given in observation below.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

Our Observations:

- a. *There was no independent director on the Board of Company during the financial year 2015-16;*
- b. *As per the DPE guidelines the Audit Committee shall have minimum three Directors as members and Two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors. But the company does not have any Independent Director;*
- c. *The Company has women director upto 24th November, 2015, but after this date no woman director on the Board of Company;*
- d. *The Company has CSR Committee upto 24th November, 2015.*

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.



We further report that the compliance by the company of applicable financial laws like direct and indirect tax laws and maintenance of financial records and books of accounts has not been reviewed in this Audit since the same have been subject to review by statutory financial audit by other designated professional.

We further report that during the audit period, the company has provided details of specific events/actions having a major bearing on the company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. referred to above).

For Amit Agrawal & Associates
(Company Secretaries)

Sd/-
(CS Amit Agrawal)
Practicing Company Secretary
Membership No. 5311
CP No. 3647

Place: Delhi
Date : 26.07.2016

In respect of the comments made by the Secretarial Auditors in their report, your Directors have clarified as under :

(a) "The composition of the Board of Directors/ Audit Committee could not be duly constituted as per provisions of the Companies Act, 2013 and as per DPE Guidelines due to lack of required Independent Directors/Woman Director on the Board. Requests to fill the vacancies were sent to Administrative Ministry. However, the Administrative Ministry has appointed one Part-time non-official

(Independent Director) on the Board of CCI w.e.f. 29.06.2016.

(b) As per the provisions of the Companies Act, 2013, CSR Committee could not be duly constituted due to lack of required number of independent directors on the Board after 24.11.2015.



REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Company's philosophy on Code of Governance:

The Board firmly believes that good Corporate Governance is fundamental in ensuring that the company is well managed in the interest of all of its stakeholders. The philosophy of the Company in relation to Corporate Governance is that Cement Corporation of India Ltd (CCI) believes in financial prudence, customers' satisfaction, transparency, accountability and commitment to stakeholders. CCI practices based on its stated belief and the guidelines that Government of India issues from time to time should go a long way to enhance the value for all stakeholders i.e. shareholders, customers, suppliers, creditors, Government of India, State Governments, Government Agencies/Departments and the society at large.

The Corporation believes that its operations and actions must serve the underlying goal of enhancing the interests of its stakeholders over a sustained period of time, in a socially responsible way.

The Company is committed to conforming to the highest standards of Corporate Governance.

2. Board of Directors:

i. Constitution of the Board:

Cement Corporation of India Limited is a Government company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act, 2013. As per the Articles of Association of the company, the power to appoint directors rests with the President of India. The strength of the Board shall not be less than 3 Directors and not more than 12. The number of independent directors shall not be less than one third of the actual strength of the Board.

ii. Composition of Board:

As on 31st march 2016, the Board of CCI comprised of five (5) Directors out of which three are functional directors including the Chairman & Managing Director and two Part-time official Directors, who are nominees of the Administrative Ministry, Government of India.

The name and categories of Directors, their attendance in Board Meeting held during the year and at the last Annual General Meeting as well as the number of Directorship and Committee (Audit Committee) positions are given in Table 1.

Table 1: Categories of Directors and the Directorship and Committee positions held by them

Sl. No.	Name of Directors	Board Meeting held during the tenure of Directors	No. of Board Meeting Attended	Attendance in AGM (held on 30.09.2015)	No. of Directorship held as on 31.03.2016	No. of Committee membership held in other companies as on 31.03.2016
Functional Directors:						
1.	Shri Manoj Misra, Chairman & Managing Director	5	5	Yes	NIL	NIL
2.	Shri B. V. N. Prasad, Director (Human Resources) w.e.f. 19.01.2016	1	1	N.A.	NIL	NIL

3.	Shri S. Sakthimani Director (Finance) w.e.f. 07.03.2016	NIL	NIL	N.A.	NIL	NIL
4.	Shri S.C. Agrawal Director (Finance) Upto 05.05.2015	NIL	NIL	N.A.	NIL	NIL
Government Nominee Directors:						
5.	Shri Vishvajit Sahay	5	5	No	4	NIL
6.	Shri A. M. Manichan	5	5	Yes	4	NIL
Special Director / BIFR Nominee :						
7.	Smt. Divjot Kohli (upto 23.11.2015)	3	1	No	1	NIL

The company held five Board Meetings i.e. on 04.06.2015, 31.07.2015, 24.09.2015, 21.12.2015 and 19.02.2016 during the year under report and time gap between two Board Meetings was not more than three months.

iii. Scheduling and selection of agenda items for Board/Committee meetings:

- The meetings are convened by giving appropriate notice after obtaining the approval of the Chairman of the Board/Committee. Detailed agenda notes, management reports, and other explanatory statements are circulated in advance among the members to facilitate meaningful, informed, and focused decisions during the meeting. When urgent issues need to be addressed, meetings are called at shorter notice or resolutions are passed by circulation in due compliance with applicable provisions whether enunciated in the Act or its Articles.
- Wherever it is not practical to attach any document to the agenda notes due to its confidential nature, or in special and exceptional circumstances, additional or supplemental items, such papers are placed on the table in the meeting.
- The agenda papers are circulated after obtaining the approval of the functional director/CMD.
- Presentations are made in the Board/Committees meetings on matters related to Finance, Operations, Human Resources, etc. to enable members to take informed decisions.
- The members of the Board have complete access to all information of the Company. The Board is also free to recommend any issue that it may consider important for inclusion in the agenda. Senior management officials are called to provide additional inputs to the items being discussed by the Board, as and when necessary.

iv. Recording of minutes of the Board/Committee meetings:

Minutes of the proceedings of each Board/Committee meeting are duly recorded in the Minutes Book. The minutes of each Board meeting are circulated among Board members in the next Board meeting for their confirmation. The minutes of committee of the Board are also placed before the Board for its information.

v. Follow-up mechanism:

An action-taken report on the important decisions of the Board/Committee members is presented in subsequent meetings. This acts as an effective follow-up, review and report process.



vi. Compliance:

It is our endeavor to ensure that all applicable provisions of law, rules, and guidelines are adhered to while preparing the agenda notes. The Company ensures compliance of all the applicable provisions of the Companies Act and various other statutory requirements under different laws. The requisite information is regularly provided to the Board as detailed below:-

- Capital budgets, Annual Plan, MOU
- Minutes of the meetings of the Audit Committee and other Committees of the Board.
- Show cause, demand, prosecution notices, and penalty notices, if any, which are materially important.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences.
- Major investments, formation of subsidiaries, joint ventures, and strategic Alliances.
- Disclosure of interest by Directors about directorships and committee positions occupied by them in other companies/firms, etc.
- Award of large contracts.
- Other items in accordance with the law and DPE Guidelines.
- Quarterly Compliance certificate of statutory provisions.
- Other matters desired by the Board from time to time.

vii. Non-Executive Directors' compensation and disclosures:

The Company did not pay sitting fee to Government Nominee Directors. However, the independent Directors/BIFR Nominee were paid sitting fees at the rate of ₹ 6000/- (₹ Six thousand only) per meeting and out of pocket expenses for attending the meeting of Board of Directors and Committees thereof respectively during the financial year 2015-16.

viii. Directorship and Membership in Committee of Board of Directors of other Companies held

Sl. No.	Name of Directors	Category	Directorship in other companies / Disclosures (2015-16)
Functional Directors:			
1.	Shri Manoj Misra, Chairman & Managing Director	Chairman cum Managing Director	NIL
2.	Shri B. V. N. Prasad, Director (Human Resources) w.e.f. 19.01.2016	Director (HR)	NIL
3.	Shri S. Sakthimani (Director (Finance) w.e.f. 07.03.2016	Director (Fin)	NIL
4.	Shri S.C. Agrawal Director (Finance) Upto 05.05.2015	Director(Fin)	NIL

Government Nominee Directors			
5.	Shri Vishvajit Sahay	Govt. Nominee Director	(1) Fluid Control Research Institute, Palakkad - Chairman, Governing Council (2) M/s HMT Limited (3) M/s HMT International Ltd. (4) M/s Heavy Engineering Corporation Limited
6.	Shri A.M. Manichan	Govt. Nominee Director	(1) M/s Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd. (2) M/s Scooter India Ltd. (3) M/s Andrew Yule Company Ltd. (4) M/s ARAI, Pune (5) M/s ILK, Kota
Special Director			
7.	Smt. Divjot Kohli (upto 23.11.2015)	BIFR nominee	(1) M/s Supriya Pharmaceuticals Ltd.

ix. Training of Board Members

CCI takes initiatives to train its Board members about CCI's profile, business, etc. All the relevant issues and significant developments related to the working of CCI are imparted to part-time Directors on the Board of CCI {(official) and (non-official)}, as the case may be by the management of CCI from time to time.

x. Code of Conduct

The company is committed to conduct its business in accordance with the highest standards of business ethics and comply with all applicable laws, rules and regulations. It is confirmed that the Board members and Sr. Management Personnel have affirmed compliance with Code of Conduct during the year 2015-16.

xi. Policies for Risk Assessment & Minimization

The risk management system is an integrated and aligned with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

3. Audit Committee

As per the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013, the Company is having an Audit Committee consisting of the following Directors:-

- 1) Smt. Divjot Kohli (BIFR Nominee) as Chairperson
- 2) Shri Manoj Misra, Director (HR)/C&MD as Member
- 3) Shri A.M. Manichan(Govt. nominee) as Member

The Audit Committee has the powers, role and terms of reference in accordance with the Companies Act, 2013 and the Guidelines on Corporate Governance as issued by Department of Public Enterprises.

During the year 2015-16, four Audit Committee Meetings were held on 06.07.2015, 20.07.2015, 24.07.2015 and 24.09.2015 and attended by following members:-



Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
Smt. Divjot Kohli**	4	3
Shri Manoj Misra	4	4
Shri A.M. Manichan	2	2

* Audit Committee was reconstituted on 15.12.2014 consisting of Smt. Divjot Kohli as Chairperson, Shri A.M. Manichan and Shri Manoj Misra as Members. However with the cessation of Smt. Divjot Kohli (BIFR Nominee) w.e.f. 24.11.2015, there is no other independent director on the Board of CCI due to which Audit Committee could not be constituted for want of Independent Directors.

** Ceased to be director on the Board w.e.f. 24.11.2015

4. Remuneration Committee

Being a Government Company, Remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government and as per the terms and conditions of their appointment / contract. However, Department of Public Enterprises has directed that each CPSE shall constitute a Remuneration Committee headed by a Part-time Non-official Director which will decide the Annual Bonus/Variable pay policy for its distribution across the Employees.

Presently, there is no Independent Director on the Board of CCI. Accordingly, Remuneration Committee could not be constituted.

Detail of Remuneration paid to Functional Directors:

Details of remuneration paid to functional Directors of the Company for the year 2015-16 are given below:-

(₹ In lakhs)

Sl. No.	Name	Salary including DA & HRA	Other Benefits	Performance incentives	Value of Perquisites	Medical Reimbursement	Contribution to PF & Other Funds	Total
1.	Shri Manoj Misra	21.23	4.81	0.00	0.00	0.73	1.91	28.68
2.	Shri B.V.N. Prasad	4.28	0.79	0.00	0.00	0.00	0.42	5.49
3.	Shri S. Sakthimani	1.27	0.24	0.00	0.00	0.00	0.13	1.64
	Total	26.78	5.84	0.00	0.00	0.73	2.46	35.81

5. Stakeholders Relationship Committee

Cement Corporation of India Limited is an Unlisted Government Company and the entire share capital is held by Hon'ble President of India and his nominees. Hence, no such committee is required to be constituted.

6. Meeting of Independent Directors

Since there is no independent director on the board of the Company, the meeting of Independent Directors could not be held.

7. Subsidiary Companies

The Company has no Subsidiary Company

8. Annual General Meeting

Details of Annual General Meetings for the last three years are given hereunder:-

AGM	49 th AGM	50 th AGM	51 st AGM
Date & Time	25 th September, 2013 at 12.30 PM	16 th September, 2014 at 12.45 PM	30 th September, 2015 at 12.30 PM
Location	New Delhi-110003	New Delhi-110003	New Delhi-110003
Special Resolution(s) passed	No	No	No

9. Disclosures

I. Related Party Transactions:

The Company has not entered into any significant related party transactions with the Directors or their relatives (Disclosure made by directors individually pursuant to Section 188 of the Companies Act, 2013) having potential interest with the Company at large.

II. Compliance of Laws:

The Company has taken steps to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE) in May 2010.

The Company has not been imposed penalty by any statutory authority owing to non-compliance under laws, during the last three years.

There are no personal expenses incurred for the Board of Directors except which are as per terms of appointment as contractual obligations.

III. Accounting Treatment:

The company followed the accounting standards as prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India subject to the comments & observations as given by the Statutory Auditors in its Report for the financial Statement prepared for the financial year ended as on 31st March, 2016.

IV. President Directives:

The company has not received any Presidential directives during the financial year 2015-16 and last three years.

10. Vigilance

CCI, being a PSU, the records of the Company are open to Audit by Comptroller and Auditor General of India and open to inspection by Vigilance, CCI has a Vigilance Department, headed by CVO.

11. Means of communication

Annual financial performance is posted on the Company's website. www.cementcorporation.co.in The Company also hosts official news on significant corporate decisions and activities on the website of CCI from time to time.



12. Whistle Blower Policy:

The company has established a mechanism for employees to report concern about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of policy. The employees have direct access to the CMD & Chairperson, Audit Committee who are the competent Authority under the Whistle Blower Policy of the company. The whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.cementcorporation.co.in

13. Compliance Certificate:

Certificate from M/s Amit Agrawal & Associates, Company Secretaries in Whole Time Practice confirming the compliance subject to their remarks and observation thereon with the Conditions of Corporate Governance as stipulated under the guidelines issued by Department of Public Enterprises forms part of the Annual Report for the financial year 2015-16 which is **Annexed** herewith.

for and on behalf of the Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 23.09.2016

Sd/-
(Manoj Misra)
(Chairman & Managing Director)



CS

Amit Agrawal & Associates

Company Secretaries

Office : H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA
Ph. : +91 - 11 - 22024525, 43019279, Mob. : + 91 - 9811272307
E-mail : amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members of
Cement Corporation of India Limited,
New Delhi - 110003

1. We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Cement Corporation of India Limited, having its registered office at Core -5, Scope Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi-110003, for the financial year ended on 31.03.2016, as stipulated in guidelines issued by the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Govt of India, May,2010 (as amended from time to time).
2. The compliance of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementations thereof, adopted by the company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the company.
3. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we

certify that the company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned DPE guidelines except the following :

- a. There was no Independent Director on the Board of Company during the financial year 2015-16.
 - b. As per the DPE guidelines, the Audit Committee shall have minimum three Directors as members and Two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors. But the company does not have any Independent Directors.
4. We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For Amit Agrawal & Associates
(Company Secretaries)

Place: Delhi
Date : 26.7.2016

Sd/-
FCS Amit Agrawal
(Proprietor)
CP No. 3647



MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Overview

India is the second largest producer of cement in the world and the cement industry is a vital part of the economy, providing employment to more than a million people, directly or indirectly. India's potential in infrastructure is vast and cement plays a vital role in growth & development of the nation as a result of which the cement sector is expected to largely benefit from it. A significant factor which aids the growth of this sector is the ready availability of the raw materials for making cement, such as limestone and coal. Some of the recent major government initiatives such as development of 98 smart cities are expected to provide a major boost to the sector.

The index of Eight core industries saw cement production increase by 3.40% in the April, May 2016 compared to corresponding period of previous year. CCI has registered a positive growth of 1.70% during the period of April to June 2016 compared to same period of previous year. The expected growth in demand has led to a huge capacity addition in the industry over the previous decade. The increased output with limited demand had, however, put pressure on the price front across the country resulting in lower realization. The expected rise in demand with the various government initiatives is likely to reverse the trend in the coming days and the future looks bright for the industry.

2. Outlook

Indian Cement Industry has grown rapidly till recently. It is extremely energy intensive and is the third largest user of coal in the country. In the last few years the growth of the cement industry slowed down due to retarded economic situation of the country. With the advent of new government, stress is on development of the infrastructure and thus the coming years have promises for the industry in India. The capacity installation, took a break, is now on path of recovery. This industry as on date uses latest technology, which is among the best in the world. Also, the industry has tremendous potential for development as limestone of excellent quality is found almost throughout the country.

3. Financial review and analysis

The net profit of the Corporation during the year has increased to ₹ 53.51 crores as against net profit of

₹ 40.08 crores during the previous year. The dispatches during the year were 9.14 lakhs MT of Cement as against 9.47 lakh MT during the previous year.

4. Risk and concerns

Risk is a probability or threat of damage, liability, loss, or any other negative occurrence that is caused by vulnerabilities and that may be avoided through pre-emptive action.

Risk Management is an important aspect in today's business environment. The aim of Risk Management is to identify, monitor and take mitigation measures in respect of events that may pose risks for the business. The company Risk Management is embedded in the business processes. Your company has identified the following risks:-

(a) Commodity price risk

This risk impacts the Corporation by way of price fluctuations in raw materials, energy as well as finished goods. As per the Sanctioned Scheme, CCI is installing energy saving equipment for conservation of energy so as to optimize the power consumption. Other measures are also taken for conservation of energy, such as, replacing inefficient/higher capacity motors with energy efficient low capacity motors, installing demand controllers for effective control of maximum demand, arresting leakages in pre-heater tower to maintain oxygen percentage in exit gasses at the optimum level. Conventional lights have been equipped with new energy efficient chokes and regulators etc.

(b) Securing Internal Resources

The cement business operations are dependent on continuous availability of quality coal at economic prices. The availability and quality of limestone depends on its reserve/deposits in the respective mining area. All the three operating units of CCI are having its own captive mines for limestone, shale, etc.

(c) Project Execution Risks

Your Company has undertaken expansion of Bokajan Expansion plan which are exposed to risk of time over run. Any delay in project implementation may impact the revenue and profit for the delayed period.

(d) Human Resource Risk

Company's ability to deliver value is dependent on its competence to attract, retain and nurture talent. Attrition and non-availability of the required talent resources can affect the performance of CCI. In this regard, CCI is continuously bench marking the past HR practices across the industry and carrying out necessary improvements to attract and retain the best talent.

(e) Competition Risk

Presently, there are no barriers for entry of new cement manufacturers in the market. CCI is always exposed to competition risk. The increase in competition can create pressure on margin, market share etc. CCI is continuously making efforts to enhance the brand image of the company by focusing on quality, timely delivery and customer service.

(f) Compliance Risk

Any deficit in compliance of various rules, regulations, guidelines of Central Govt. and State Governments can attract penal provisions. The company is regularly monitoring and reviewing the changes being brought in regulatory frame work and necessary actions are being taken accordingly.

5. Internal Control system

The internal audit team monitors the effectiveness of the internal control systems and reports to the Audit Committee. The recommendations of the internal audit team on improvements in the operating procedures and control systems are also presented to the Audit Committee and the business use these as tools for strengthening the operating procedures.

6. CSR Policy

The company has a Corporate Social Responsibility & Sustainability policy as approved by the Board of Directors.

7. Other disclosures

Chapter-7 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Enterprises (CPSEs) provides that as a part of Directors' Report or as an addition thereto, a Management Discussion and Analysis Report should form part of the Annual Report which includes discussion on various matters within the limits set by the company's competitive position. As regards segment wise and product wise performance, the company deals only in one segment i.e. cement. The topics such as Human Resources, Industrial Relation front and Environmental Protection and conservation, Technological conservation, Foreign Exchange conservation etc. have already been covered in Directors' Report.

Conclusion

The growth prospects of the cement industry are linked to the growth of the economy. The outlook in the short-term remains challenging. However, the long-term driver for cement industry remains intact. Importantly, the government's focus on infrastructure development and housing augur well for the industry.

Cautionary Statement

Statements in this "Management Discussions & Analysis" describing Company's objectives, projections and estimates are forward looking statements and progressive within the meaning of applicable security laws and regulations. Actual results may vary from those expressed or implied depending upon economic conditions, Govt. policies and other factors.



What We Earned and How we Spent

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	2015-16	2014-15	2013-14
1. What we earned			
Sales and despatches & clinker transfer	3,92,89	4,02,92	3,23,89
Misc. Income	63,24	58,46	77,37
Accretion/(Decretion) to Semi-finished goods and finished goods	(5,78)	(11,51)	(10,29)
TOTAL	4,50,35	4,49,87	3,90,97
2. How we Spent			
Raw Materials	50,38	47,79	41,16
Stores & packing Materials	18,65	20,37	18,80
Emp. Remuneration & Benefits	63,65	65,62	60,96
Power	66,83	74,26	63,58
Coal & fuel	1,00,54	1,04,36	86,18
Repairs & Maintenance	20,09	18,23	18,60
Selling Expenses	34,36	41,28	39,09
Interest	2,23	2,97	2,95
Depreciation	7,90	6,36	9,06
Other Expenses	32,21	28,55	34,39
SUB-TOTAL	3,96,84	4,09,79	3,74,77
Profit/(Loss)	53,51	40,08	16,20
TOTAL	4,50,35	4,49,87	3,90,97

Contribution to Exchequer

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	2015-16	2014-15	2013-14
Excise Duty	31,90	34,28	28,30
Sales Tax	55,39	49,54	37,11
Royalty & Cess	11,47	9,88	8,74
TOTAL	98,76	93,70	74,15

Sources & Application of Funds

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	2015-16		2014-15		2013-14	
	Sources	Uses	Sources	Uses	Sources	Uses
A. Internal Generation :						
Additions to Reserves & Surplus	53,51	0	40,08	0	16,20	0
Depreciation	7,90	0	6,36	83	9,06	1,43
Provisions	0	0	0	0	0	0
TOTAL	61,41	0	46,44	83	25,26	1,43
B. Long term sources & uses						
Share Capital	0	0	0	0	0	0
Long term loans	0	0	0	0	0	0
Investments	0	0	0	0	0	0
Additions to Fixed Assets	0	4,01	0	7,81	0	1391
TOTAL	0	4,01	0	7,81	0	13,91
C. Short Term Sources & uses						
Increase/(Decrease) in working capital	0	56,03	0	37,71	0	9,20
Deferred Revenue	0	1,37	0	9	0	72
Expn. written off						
TOTAL	0	57,40	0	37,80	0	9,92
Summary						
Internal Generation	61,41	0	46,44	83	25,26	1,43
Long term sources & uses	0	4,01	0	7,81	0	13,91
Short term sources & uses	0	57,40	0	37,80	0	9,92
TOTAL	61,41	61,41	46,44	46,44	25,26	25,26



Value Added Statement

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	2015-16	2014-15	2013-14
Value of Production, Sales & Services	3,87,11	3,91,41	3,13,60
Less : Direct Materials consumed	1,63,06	1,67,91	1,41,59
Value Added	2,24,05	2,23,50	1,72,01
Other Misc. Income	63,24	58,46	77,37
Distributed as follows :			
Employees :			
Salaries, Wages and other benefits	63,65	65,62	60,96
Suppliers of Materials & Services:			
Stores & Spares	15,38	13,54	15,54
Power	66,83	74,26	63,58
Repairs & Maintenance	11,21	9,30	7,61
Other production expenses	8,32	8,03	8,64
Selling Expenses	34,36	41,28	39,09
Others	23,90	20,52	25,75
TOTAL	1,60,00	1,66,93	1,60,21
Suppliers of Capital:			
Interest on Govt. Loans	0	0	0
Interest on Other Loans	2,23	2,97	2,95
TOTAL	2,23	2,97	2,95
Retained in Business:			
Depreciation for Replacement of Assets	7,90	6,36	9,06
Profit/(Loss)	53,51	40,08	16,20
TOTAL	61,41	46,44	25,26
Average Number of Employees	7,47	8,13	9,07
Value Added per Employee (₹ in lakhs)	29,99	27,49	18,96



Ten Year Digest

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
STATEMENT OF PROFIT & LOSS										
Sales & despatches and Accretion/ (Decretion) to stock	38711	39141	31360	30218	35613	30286	33426	32356	29209	28903
Other Income	6324	5846	7737	4694	4070	5893	3462	4402	2325	14906
Raw Materials consumed	5037	4779	4116	5137	4899	3969	3630	3412	2883	2911
Stores & packing material consumed	1865	2037	1880	1534	1690	1703	1640	1670	1368	1531
Employees Remuneration & Benefits	6365	6562	6096	5650	6045	4997	4597	5724	3689	3595
Interest	223	297	295	446	911	3683	3752	3738	3465	3110
Depreciation	790	636	906	811	744	774	899	1107	1150	1669
Other Manufacturing Expenses	25404	26668	24184	20523	23451	18340	17095	15852	14890	14332
Profit (+)/Loss (-)	5351	4008	1620	811	1943	2713	5275	5255	4089	16661
BALANCE SHEET										
Paidup Share Capital*	81141	81141	81141	81141	81140	81140	81140	81140	81140	80609
Reserves & Surplus	(84923)	(90274)	(93736)	(95356)	(96167)	(98110)	(100823)	(106098)	(111353)	(115442)
Loans	37338	37338	37338	37338	37338	37172	46875	44083	44519	41772
Net Fixed Assets	11919	12169	12741	12911	9863	10224	10734	11474	10982	11990
Current Assets	44525	40394	38412	40710	42486	39269	49033	41763	37285	29141
Current Liabilities & Provisions	30552	32026	33813	37033	35737	33137	36059	37404	38116	37305
Capital W.I.P.	5625	5766	5512	4713	3973	2051	1577	1329	2224	1375
Other Assets (Including DRE)	2039	1902	1891	1821	1726	1795	1907	1963	1931	1738
Capital Employed	25890	20535	17338	16588	16612	16356	27533	19499	13179	15943
No. of Employees (Nos.)	747	813	907	906	907	988	1078	1159	1460	1523

* Includes Equity Shares of ₹ 45,598 Lakhs and Redeemable Pref. Share of ₹ 35,543 Lakhs.



BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2016

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	NOTE NO	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
I. EQUITY AND LIABILITIES			
(1) SHAREHOLDER'S FUNDS			
a) Share Capital	1	8,11,41	8,11,41
b) Reserves & Surplus	2	(8,49,23)	(9,02,74)
(2) SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT		0	0
		(37,82)	(91,33)
(3) NON CURRENT LIABILITIES			
a) Long Term Borrowing	3	1,87,90	1,87,90
b) Other Long Term Liabilities	4	3,28,34	3,38,03
c) Long Term Provisions	5	75,79	85,63
		5,92,03	6,11,56
(4) CURRENT LIABILITIES			
a) Short Term Borrowings	6	0	0
b) Trade Payables	7	11,58	13,64
c) Other Current Liabilities	8	49,82	52,36
d) Short Term Provisions	9	25,47	16,08
		86,87	82,08
TOTAL		6,41,08	6,02,31
II. ASSETS			
(1) NON CURRENT ASSETS			
a) Fixed Assets			
i) Tangible Assets	10	1,19,19	1,21,69
ii) Capital work in Progress	11	56,25	57,64
iii) Intangible Assets-Under Development	11A	0	2
b) Non-Current Investments	12	2,28	2,28
c) Long term loans and Advances	13	32,61	27,24
d) Other non-current Assets	14	88	76
e) Unamortised expenses	15	18,11	16,74
TOTAL NON CURRENT ASSETS		2,29,32	2,26,37
(2) CURRENT ASSETS			
a) Current Investments	16	0	0
b) Inventories	17	1,34,95	1,36,15
c) Trade Receivables	18	11,39	7,61
d) Cash and Bank Balances	19	2,31,44	1,96,49
e) Short Term loans and Advances	20	24,28	27,19
f) Other Current Assets	21	9,70	8,50
TOTAL CURRENT ASSETS		4,11,76	3,75,94
TOTAL		6,41,08	6,02,31

Significant Accounting Policies, (Notes No. 32) and the accompanying notes no. 1 to 31 forming part of the Financial Statements

Sd/-
(Manish Mehta)
Head of Finance

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary

Sd/-
(S. Sakthimani)
Director (Fin)/CFO

Sd/-
(Manoj Misra)
Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached
For Kapoor Bhushan & Co.
Chartered Accountants
FRN No. NO-001676N

Sd/-
(CAP.B. KAPOOR)

Partner

Membership No. 010858

Place : New Delhi
Dated : 28/07/2016

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2016

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	NOTE NO	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2015 TO 31st MARCH 2016	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2014 TO 31st MARCH 2015
REVENUE			
I Revenue from operations			
a) Sale of Products (Includes Sale of Clinker ₹ nil (Previous year ₹ 33 Lakhs)		436,23	4,49,54
Less:- Excise Duty		43,34	46,62
		3,92,89	4,02,92
b) Other Operating Revenues		13	1,18
Net from operation		3,93,02	4,04,10
II Other Income	22	63,11	35,38
III Total Revenues		4,56,13	4,39,48
EXPENSES			
Cost of Materials Consumed	23	50,38	47,89
Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-progress and Stock in Trade	24	5,78	11,51
Employees Benefits Expenses	25	63,65	65,62
Other Expenses	26	2,72,69	2,87,05
Finance Cost	27	2,23	2,97
Depreciation and Amortisation		7,89	6,26
IV Total Expenses		4,02,62	4,21,30
V Profit /(Loss) before Exceptional and Extraordinary Items		53,51	18,18
VI Exceptional Items	28(A)	0	21,90
VII Profit /(Loss) before Extraordinary Items		53,51	40,08
VIII Extraordinary items	28(C)	0	0
IX Profit /(Loss) before tax		53,51	40,08
X Tax Expense of Continuing operations		0	0
XI Profit/(Loss) for the year from continuing Operations		61,38	54,17
XII Profit/(Loss) from discontinuing operations	28(D)	(7,87)	(14,09)
XIII Tax Expense of discontinuing operations		0	0
XIV Profit/(Loss) from discontinuing operations After Tax		(7,87)	(14,09)
XV Profit / (Loss) for the year		53,51	40,08
XVI Earning Per Share (₹)		1,17	40

Significant Accounting Policies, (Note No. 32) and the accompanying notes no. 1 to 31 forming part of the Financial Statements

Sd/-
(Manish Mehta)
Head of Finance

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary

Sd/-
(S. Sakthimani)
Director (Fin)/CFO

Sd/-
(Manoj Misra)
Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached
For Kapoor Bhushan & Co.
Chartered Accountants
FRN No. NO-001676N
Sd/-
(CAP.B. KAPOOR)
Partner

Place : New Delhi
Dated : 28/07/2016

Membership No. 010858



NOTE NO. 1 SHARE CAPITAL

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Authorised		
5000000 Equity Shares (Previous Year 5000000) of ₹ 1000/- each	5,00,00	5,00,00
4000000 0.01% non-cumulative Redeemable Pref. Share of ₹ 1000/- each (Previous Year 4000000)	4,00,00	4,00,00
	<u>9,00,00</u>	<u>9,00,00</u>
Issued, Subscribed & Fully Paid up		
4559749 Equity Shares of ₹ 1000/- each	4,55,98	4,55,98
Fully Paid Up (Previous year 4559749 Shares)		
3554325 0.01% Non-cumulative Redeemable Pref. Share of ₹ 1000/- each (Previous year 3554325 Shares)	3,55,43	3,55,43
Total	<u>8,11,41</u>	<u>8,11,41</u>

Reconciliation of number of equity shares outstanding at the beginning and at the end of the year

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Number of Shares outstanding as at the beginning of the year	4,55,97,49	4,55,97,49
Add: Number of shares Alloted during the year	0	0
Number of Shares outstanding as at the end of the year	<u>4,55,97,49</u>	<u>4,55,97,49</u>

Reconciliation of number of preference shares outstanding at the beginning and at the end of the year

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Number of Shares outstanding as at the beginning of the year	3,55,43,25	3,55,43,25
Add: Number of shares Alloted during the year	0	0
Number of Shares outstanding as at the end of the year	<u>3,55,43,25</u>	<u>3,55,43,25</u>
Details of shareholder holding more than 5% share in the Corporation		
Name/Class of share holder - Govt of India		
-Equity Shares	100%	100%
-Preference Shares	100%	100%

NOTE NO. 2 RESERVES AND SURPLUS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Surplus/(Deficit) in statement of Profit and loss		
As per Last Balance Sheet	(9,02,74)	(9,37,36)
Less:- Profit During the Year	53,51	40,08
Add : Depreciation relating to fixed Assets	0	(546)
Closing Balance	(8,49,23)	(9,02,74)

NOTE NO. 3 LONG TERM BORROWINGS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Unsecured*		
Govt. Loans	1,50,90	1,50,90
Inter Corporate Borrowings	37,00	37,00
Total	1,87,90	1,87,90

Details of Default in respect of Loans & Borrowings

(₹ in lakhs)

S.No	PARTICULARS	Loan Amount	Default Period	2015-16		2014-15	
				Principal	Interest	Principal	Interest
1.	M/s. Goa Shipyard Ltd.	30,00	1995	30,00	47,94	30,00	47,94
2.	M/s. ONGC Ltd.	7,00	1991	7,00	13,69	7,00	13,69
3.	Govt. Of India	1,50,90	From 1975	1,50,90	0	1,50,90	0
4.	Govt. of India	0	From 2011	0	1,23,85	0	1,23,85
	Total	1,87,90		1,87,90	1,85,48	1,87,90	1,85,48

*As per Sanctioned Scheme payment of above Principal Amount of Plan Loan & Borrowings to be made out of sale proceeds of Non-Operating Units



NOTE NO. 4 OTHER LONG TERM LIABILITIES

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Trade Payable		
-MSMEs	81	81
-Others	27,15	27,84
Security & Earnest Money Received	18,94	19,78
Advance from Customers	4,25	12,45
Sales Tax Payable	9,19	11,48
Power	24,73	24,50
Royalty Payable	5,07	5,07
Interest Accrued and due on Borrowing- Govt Loan	1,23,85	1,23,85
Interest Accrued and due on Borrowing-Others	61,63	61,63
Others Payable	52,72	50,62
Total	3,28,34	3,38,03

NOTE NO. 5 LONG TERM PROVISIONS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Gratuity	30,85	34,67
Capital work in progress	11	24
Earned leave liability	15,70	16,84
Others	29,13	33,88
Total	75,79	85,63

NOTE NO. 6 SHORT TERM BORROWINGS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
From Banks	0	0
Others	0	0
Total	0	0

NOTE NO. 7 TRADE PAYABLES

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Trade Payable		
MSMEs	0	33
Others	11,58	13,31
Total	11,58	13,64

NOTE NO. 8 OTHER CURRENT LIABILITIES

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Advance from customers	7,36	8,73
Security and Earnest Money Deposits received	9,26	9,50
Sales tax payable	5,63	6,27
Power dues	6,01	8,30
Dues to Employees	4,64	5,85
Royalty payable	30	6
Others payable	16,62	13,65
Total	49,82	52,36

NOTE NO. 9 SHORT TERM PROVISIONS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Gratuity	9,49	7,62
Earned Leave Liabilities	4,59	2,95
Other Provisions	11,17	5,51
Bonus	22	0
Total	25,47	16,08



NOTE NO. 10 FIXED ASSETS

Tangible Assets

(₹ in Lakhs)

GROSS BLOCK						DEPRECIATION				NET BLOCK		
PARTICULARS	As at 1st April, 2015	Add/ Adjust ments	Deduct ions/ Sales	Trf. in/ out	As at 31st March, 2016	As at 1st April, 2015	For the Year	Adj / dis posal	Trf. in/ out	As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
Works												
Land Freehold	1054	239	0	0	1293	146	0	0	0	146	1147	908
Land Leasehold	481	0	0	0	481	158	0	0	0	158	323	323
Roads & Culverts	654	0	0	0	654	621	0	0	0	621	33	33
Plant Buildings	8884	0	0	0	8884	7876	132	0	0	8008	876	1008
Non-Plant Buildings	1054	0	0	0	1054	630	31	0	0	661	393	424
Water Supply,	1109	10	0	0	1119	966	2	0	0	968	151	143
Drainage & Sewerage												
Railway Siding	2095	0	0	0	2095	1558	25	0	0	1583	512	537
Electrical Installation	1970	10	0	0	1980	1889	0	0	0	1889	91	81
Plant & Machinery	46476	239	0	0	46715	38956	497	0	0	39453	7262	7520
Aerial Ropeway	706	0	0	0	706	672	0	0	0	672	34	34
Railway Rolling Stock	423	0	0	0	423	406	0	0	0	406	17	17
Quarry Equipments	2519	0	0	0	2519	2381	0	0	0	2381	138	138
Vehicles	441	0	0	0	441	383	9	0	0	392	49	58
Furniture &Fixtures	266	3	(5)	0	264	255	3	0	(5)	253	11	11
Office Equipments	462	29	(20)	0	471	415	27	0	(20)	422	49	47
Misc. Equipments	904	9	0	0	913	741	37	0	0	778	135	163
P&M Costing upto ₹ 5000/-	51	1	0	0	52	51	1	0	0	52	0	0
TOTAL WORKS	69549	540	(25)	0	70064	58104	764	0	(25)	58843	11221	11445

(₹ in lakhs)

GROSS BLOCK							DEPRECIATION				NET BLOCK	
PARTICULARS	As at 1st April, 2015	Add-/ Adjust ments	Deduct ions/ Sales	Trf. in/ out	As at 31st March, 2016	As at 1st April, 2015	For the Year	Adj / dis posal	Trf. in/ out	As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
TOWN SHIP												
Land Freehold	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19	19
Land Leasehold	29	0	0	0	29	0	0	0	0	0	29	29
Roads & Culverts	39	0	0	0	39	36	0	0	0	36	3	3
Residential & Welfare												
Buildings	1754	0	0	0	1754	1101	23	0	0	1124	630	653
Water Supply, Drainage												
& Sewerage	158	0	0	0	158	152	0	0	0	152	6	6
Electrical Installation	41	0	0	0	41	40	0	0	0	40	1	1
Vehicles	122	0	0	0	122	113	3	0	0	116	6	9
Furniture & Fixtures	20	0	0	0	20	18	0	0	0	18	2	2
Office Equipments	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0
Misc. Equipments	20	0	0	0	20	18	0	0	0	18	2	2
Total Township	2205	0	0	0	2205	1481	26	0	0	1507	698	724
Total Works & Township	71754	540	(25)	0	72269	59585	790	0	(25)	60350	11919	12169
Previous Year	71227	616	(89)	0	71754	58486	636	(83)	546	59585	12169	12741

NOTE NO. 10 FIXED ASSETS (Contd...)

Depreciation charged to :-

	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Statement of Profit & Loss	7,89	6,26
Quarry (Note -23)	1	10
	<u>7,90</u>	<u>6,36</u>

NOTE NO. 11 CAPITAL WORKS IN PROGRESS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH, 2015	ADDITIONS DURING THE YEAR	ADJUSTMENTS	CAPITALISED DURING THE YEAR	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
Mechanical Consultancy	1,21	0	0	1	1,20
Civil Engineering Works	20,75	6	3	0	20,78
Plant & Machinery	32,58	1,06	0	2,47	31,17
Incl. Awaiting Erection					
Erection Expenses of Plant & Machinery	1	0	0	0	1
Incidental Expenditure	1,36	0	0	0	1,36
Pending Allocation (Refer Annex.)					
Capital Stores	12	0	0	0	12
Others	1,64	0	0	0	1,64
TOTAL	57,67	1,12	3	2,48	56,28
Provision -WIP					
Civil Engg, Works	3	0	0	0	3
TOTAL	57,64	1,12	3	2,48	56,25

NOTE NO.11(A) CAPITAL WORKS IN PROGRESS (Intangible Assets)

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH, 2015	ADDITIONS DURING THE YEAR	ADJUSTMENTS	CAPITALISED DURING THE YEAR	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
Software Development	2	0	0	0	2
TOTAL	2	0	0	0	2
Less : Provision Software Development	0	0	2	0	2
TOTAL	2	0	2	0	0



ANNEXURE OF NOTE-11 INCIDENTAL EXPENDITURE DURING CONSTRUCTION PERIOD

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Employees Remuneration and Benefits		
Salaries, Wages & Allowances	0	0
Total remuneration	0	0
Misc. Expenses	0	1
Legal Expenses	5	2
Security Expenses	10	10
Net Expenditure during the year	15	13
Bal. Tfd. to NYO Expansion	15	13
Addition during the year	0	0
Summary of IEDC Account		
Opening Balance of IEDC	1,36	1,36
Addition during the year	0	0
Less:- Capitalised during the year	0	0
Adjustment during the year	0	0
Closing balance of IEDC TFD. to capital WIP	1,36	1,36

NOTE NO.12 NON-CURRENT INVESTMENTS

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	Market Value as at 31-03-2016	Book Value as at 31-03-2016	Market Value As at 31-03-2015	Book Value as at 31-03-2015
Long Term Investments				
Quoted Shares (Fully Paid) At Cost				
(i) 31 Equity Shares of ₹ 10/-each of Andhra Cement Co Ltd. Market value@ ₹ 8.20 per share on NSE (Previous year ₹ 8.85 per Share)	@	@	@	@
(ii) 280 Equity Shares (Including 180 Bonus Shares) of ₹ 10/- each of ACC Ltd. Converted from 28 shares of ₹ 100 each, New shares certificates are awaited Market Value @ ₹ 1380.30 Per share on NSE (Previous Year ₹ 1562.75 per Share)	4	@	4	@
Unquoted Shares (Fully Paid) At Cost				
(i) 1 Equity Share of ₹ 10/- each of Assam Bengal Cement Co Ltd.*	-	@	-	@
(ii) 79 Equity Shares of ₹ 10/- each of Jaipur Udyog Ltd.	-	@	-	@
(iii) 40 Equity Shares of ₹ 5/- each of Sone Valley Cement Co. Ltd	-	@	-	@
(iv) 5531520 Equity Shares of ₹10/- each of A P Gas Power Corporation Ltd. (Incl 2315520 Bonus Shares) (1610680 Shares sold including 134000 Bonus Shares) Balance Held 3920840 Shares of ₹ 10/- each (Including 2181520 Bonus Shares)	3,22 <u>94</u>	 <u>2,28</u>	3,22 <u>94</u>	 <u>2,28</u>
TOTAL NON-CURRENT INVESTMENTS		<u>2,28</u>		<u>2,28</u>
Aggregate of Quoted Investments				
Cost -	@	-	@	-
Market Value	4	-	4	-
Aggregate of Unquoted Investments				
Cost	2,28		2,28	
TOTAL NON CURRENT INVESTMENTS		<u>2,28</u>		<u>2,28</u>

@ Amount less than ₹ 1,00,000/-

* Yet to be transferred in the name of the Corporation



NOTE NO. 13 LONG TERM LOANS AND ADVANCES

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Capital Advances		
- Secured, Considered Good	61	61
- Unsecured, Considered Good	7,16	1,91
- Doubtful	13	13
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	13	13
Sub Total	7,77	2,52
Deposits		
- Central Excise		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	1,88	1,43
- Doubtful	28	28
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	28	28
Sub Total	1,88	1,43
Other Deposits		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	11,99	10,85
- Doubtful	25	25
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	25	25
Sub Total	11,99	10,85
Contractors & Suppliers		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	38	38
- Doubtful	2,51	2,53
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	2,51	2,53
Sub Total	38	38
Balance with Govt. Deptt.		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	4,61	1,57
- Doubtful	1,74	1,74
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	1,74	1,74
Sub Total	4,61	1,57
Insurance & Claims Others		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	43	41
- Doubtful	1,85	2,04
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	1,85	2,04
Sub Total	43	41

NOTE NO. 13 LONG TERM LOANS AND ADVANCES (Contd.)

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Loans & Advances to Employees		
- Secured, Considered Good	1	2
- Unsecured, Considered Good	0	0
- Doubtful	0	0
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
Sub Total	1	2
Claims Recoverable Railways		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	8	7
- Doubtful	3,88	3,88
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	3,88	3,88
Sub Total	8	7
ED Relief Recoverable		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	1,08	5,28
- Doubtful	93	93
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	93	93
Sub Total	1,08	5,28
Recoverable from Employees		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	6	11
- Doubtful	8	8
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	8	8
Sub Total	6	11
Recoverable from Outside Parties		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	4,32	4,60
- Doubtful	7,60	7,32
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	7,60	7,32
Sub Total	4,32	4,60
Shortage Losses pending Investigation		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	0	0
- Doubtful	5,90	5,90
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	5,90	5,90
Sub Total	0	0
Grand Total	32,61	27,24



NOTE NO. 14 OTHER NON CURRENT ASSETS

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Long Term Trade Receivable		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	0	0
- Doubtful	15,02	15,02
Less : Allowance for bad and Doubtful Debts	15,02	15,02
Sub Total	0	0
Interest Accrued and Due on Loans & Advances (Unsecured, Considered Good)	88	76
Sub Total	88	76
Total	88	76

NOTE NO. 15 UNAMORTISED EXPENSES

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Quarry Development Expenditure		
Opening Balance	16,74	16,65
Additions	3,96	1,79
	20,70	18,44
Less : Adjusted/Capitalized	2,59	1,70
Total	18,11	16,74

NOTE NO. 16 CURRENT INVESTMENTS

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Current Investments:		
A) Non Trade Investments	0	0
Total	0	0
1) Quoted Investments	0	0
2) Unquoted Investments	0	0
Total	0	0

NOTE NO. 17 INVENTORIES

(As Verified, Valued and Certified by the Management)

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
a) Stores and Spares		
-In Stock	68,65	66,45
-In Transit	11	24
Total	68,76	66,69
b) Work in Progress		
-In Stock	27,49	30,62
-In Transit	0	0
Total	27,49	30,62
c) Finished Goods		
-In Stock	11,74	14,40
-In Transit	1,68	2,22
Total	13,42	16,62
d) Raw Materials		
-In Stock	10,89	9,78
-In Transit	1	3
Total	10,90	9,81
e) Loose Tools		
-In Stock	1	1
-In Transit	0	0
Total	1	1
f) Packing Materials		
-In Stock	78	1,02
-In Transit	0	16
Total	78	1,18
g) Coal		
-In Stock	7,64	7,76
-In Transit	1,94	0
Total	9,58	7,76
h) Scrap		
-In Stock	4,12	3,57
-In Transit	0	0
Total	4,12	3,57
Total Inventory	1,35,06	1,36,26
Less: Unrealisable Inventory	11	11
Grand Total	1,34,95	1,36,15



NOTE NO. 18 TRADE RECEIVABLES

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
A) Trade Receivables Outstanding for a period exceeding six months:-		
-Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	1,71	76
-Doubtful	0	0
Less: Allowances for bad and doubtful debts	0	0
Total (A)	1,71	76
B) Others Trade Recivables:		
-Secured, Considered Good	2,99	2,47
-Unsecured, Considered Good	6,69	4,38
-Doubtful	0	0
Less: Allowances for bad and doubtful debts	0	0
Total (B)	9,68	6,85
Total (A+B)	11,39	7,61

NOTE NO. 19 CASH AND BANK BLANCES

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Cash and Cash Equivalents		
Cash in hand	2	2
Cheques / DD in hand	3,58	1,55
Bank Deposits*	2,12,45	1,77,48
Balance with Banks - Current Accounts	7,41	8,47
Total	2,23,46	1,87,52
Other Bank Balances		
Bank Balances held as margin money in form of FDR's Against Guarantees/Latter of credit		
Guarantees	7,98	8,93
Letter of Credit	0	4
Grand Total	2,31,44	1,96,49

*Note: Bank deposits includes deposits of ₹ 1303.94 lakhs (Previous Year ₹ 15223.90 Lakhs) whose maturity period is more than 12 months.

NOTE NO. 20 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Balance with Govt. Deptt.		
-Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	3,95	3,31
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
Sub Total	3,95	3,31
Contractors & Suppliers		
-Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	3,45	8,87
-Doubtful	0	3
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	3
Sub Total	3,45	8,87
Claims Recoverable Railways		
-Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	7	7
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
Sub Total	7	7
Deposit Others		
-Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	3,82	3,47
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
Sub Total	3,82	3,47
Insurance & Claims Others		
-Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	9	12
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
Sub Total	9	12
Loans & Advances to Employees		
-Secured, Considered Good	15	0
-Unsecured, Considered Good	5	5
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
Sub Total	20	5
ED/Vat Relief Recoverable		
-Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	2,38	2,40
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
Sub Total	2,38	2,40



NOTE NO. 20 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES (Contd.)

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Recoverable from Employees		
-Secured, Considered Good	40	20
-Unsecured, Considered Good	20	5
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
Sub Total	60	25
Recoverable from Outside Party		
-Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	9,72	8,65
-Doubtful	0	48
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	48
Sub Total	9,72	8,65
Grand Total	24,28	27,19

NOTE NO. 21 OTHER CURRENT ASSETS

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2015
Interest Accrued on term deposit	9,70	8,50
Total	9,70	8,50

NOTE NO. 22 OTHER INCOME

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2015 TO 31st MARCH 2016	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2014 TO 31st MARCH 2015
Income from :		
Rent from Property	18,14	11,82
Interest on loans and Advances-Employees.	7	8
Receipts form Township	45	44
Prior Period Income (Net) (Note No. 28 B)	0	1
Excess Provision written back	12,40	1,67
Bank Interest	19,02	17,52
Misc. Income	13,01	3,75
Profit on sale of Discarded Assets	2	9
Total	63,11	35,38

NOTE NO. 23 COST OF RAW MATERIALS CONSUMED

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2015 TO 31st MARCH 2016	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2014 TO 31st MARCH 2015
Opening Balance	9,78	9,87
Acquisition during the year		
Limestone Raising, Quarrying & Transportation @ (Refer Details below)	35,17	29,19
Other Raw Materials Purchased	16,32	18,61
Sub total	61,27	57,67
Less Closing Stock	10,89	9,78
Total Raw Materials Consumed	50,38	47,89
@ Limestone Raising, Quarrying & Transportation		
Limestone Raising & Payments to Contractors	910	6,28
Employees Remuneration & Benefits		
Salaries, Wages & Bonus	4,67	5,07
Gratuity Paid	1,05	75
Benefits to Employees	0	0
Contribution to Provident Fund	23	26
Contribution to Pension Fund	8	7
Leave Encashment	29	26
Medical Expenses	9	17
Provision for Gratuity	0	16
Provision for Earned Leave	3	18
Stores Consumed	6,44	6,92
Gross Amount	4,27	2,85
Less: Amount Included under Repairs	2,99	1,89
	1,28	96
Power	69	72
Fuel	39	43
Rates & Taxes	26	14
Insurance	0	1
Royalty & Cess	14,48	9,89
Quarry Development Expenditure written Off	2,59	1,70
Travelling Expenses	2	2
Other Expenses	1,61	1,92
Depreciation	1	10
	20,05	14,93
Repairs-Machinery	62	82
- Building	0	0
- Others	1,64	1,07
	2,26	1,89
Sub Total	39,13	30,98
Less: Quarry Development Expenditure	3,96	1,79
Total	35,17	29,19



NOTE NO. 24 CHANGE IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS, WORK IN PROGRESS AND STOCK IN TRADE

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2015 TO 31st MARCH 2016	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2014 TO 31st MARCH 2015
Semi-Finished Goods		
- Closing Stock	27,49	30,62
- Opening Stock	30,62	39,94
	(3,13)	(9,32)
Finished Goods		
- Closing Stock	11,74	14,40
- Opening Stock	14,40	16,07
	(2,66)	(1,67)
Finished Goods in Transit		
- Closing Stock	1,68	2,22
- Opening Stock	2,22	2,87
	(54)	(65)
Scrap Stock		
- Closing Stock	4,12	3,57
- Opening Stock	3,57	3,44
	55	13
Total Accretion/(Decretion)	(5,78)	(11,51)

NOTE NO. 25 EMPLOYEES BENEFITS EXPENSES

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2015 TO 31st MARCH 2016	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2014 TO 31st MARCH 2015
Salaries, Wages & Bonus	45,93	45,28
Gratuity Paid	4,99	5,51
Benefits to Employees	8	9
Provision for Earned Leave	78	1,98
Contribution to Provident Fund	2,68	2,71
Contribution to Pension Fund	80	65
Medical Expenses	3,06	2,87
Leave Encashment	2,49	2,63
Provision for Gratuity	34	1,63
Staff Welfare Expenses	2,50	2,27
Total	63,65	65,62

NOTE NO. 26 OTHER EXPENSES

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2015 TO 31st MARCH 2016	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2014 TO 31st MARCH 2015
Power	66,83	74,26
Coal	1,00,38	1,04,15
Fuel Oil	16	21
Rent	18	33
Excise Duty	1,62	2,19
Rates & Taxes	4,65	3,78
Insurance	20	22
Sub-Total	1,74,02	1,85,14
Repairs & Maintenance		
Plant & Machinery	15,83	13,50
Buildings	2,10	1,58
Others	2,16	3,15
Total	20,09	18,23
Other Production Expenses	8,32	8,03
Tools & Tackles Written Off	1	1
Travelling Expenses	99	85
Selling Expenses		
Freight on Cement	29,18	34,93
Handling Charges	3,62	4,99
Secondary Transportation	0	5
Godown Charges	1,02	89
Sales Promotion & Publicity	48	36
Other Selling Expenses	6	6
Total Selling Expense	34,36	41,28
Vehicles Running Expenses	72	49
Auditors' Remuneration		
Audit Fee	4	4
Reimbursement of Expenses	0	0
In Other Capacity	1	1
Total Auditors Remunerations	5	5
Cost Audit Fee	1	1
Cost Audit Expenses	0	0
Total Cost Audit Expenses	1	1
Subscriptions to CRI & Others	9	9
Losses on Disposal of Fixed Assets	0	0
Communication Charges	33	33
Printing & Stationary	26	30
Hire Charges on Data Processing	6	2
Legal and Professional Fees	89	67
Security Expenses	4,68	4,29
Training of Workers & Supervisors	10	8
Miscellaneous Expenses	3,76	3,45
Payment to Contract Labour	3,58	3,07
Expenses on closed project	15	13
Provision for Doubtful Debts & Advances	2	13



NOTE NO. 26 OTHER EXPENSES (contd...)

Prior Period expenceses (Net) Refer Note No. 28(B)]
Corporate Social Responsibilies

Sub-Total

Stores and Spare Parts

Gross Amount
Less: Incl. Under Repairs & Maint.
Net Stores & Spares Consumed
Packing Materials

Total

Includes :- Entertainment Expenses
Director Sitting Fees

	1,51	0
	4	3
	<u>2,54,04</u>	<u>2,66,68</u>
15,38		13,54
8,88		8,93
	6,50	4,61
	<u>12,15</u>	<u>15,76</u>
	<u>2,72,69</u>	<u>2,87,05</u>
	0	1
	0	1

NOTE NO. 27 FINANCE COST

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2015 TO 31st MARCH 2016	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2014 TO 31st MARCH 2015
Interest on		
-Deposits From Stockists	13	13
-Others	2,10	2,84
Total	<u>2,23</u>	<u>2,97</u>

NOTE NO. 28 EXCEPTIONAL, EXTRA ORDINARY ITEMS & ADJUSMENTS RELATING TO PAST YEARS

Note No. 28 (A) Exceptional Items

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2015 TO 31st MARCH 2016	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2014 TO 31st MARCH 2015
Income		
Waiver of Interest /penalty as per Sanctioned Scheme	0	21,90
Total Exceptional Income	<u>0</u>	<u>21,90</u>
Expenses		
Total Exceptional Expenses	<u>0</u>	<u>0</u>
Net Exceptional Items Income/ (Expenses)	<u>0</u>	<u>21,90</u>

NOTE : No. 28 (B) PRIOR PERIOD ITEMS

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2015 TO 31st MARCH 2016	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2014 TO 31st MARCH 2015
Income		
Employees Remuneration & Benefits	0	3
Stores & Spares	4	0
Rates and Taxes	0	2
Interest	0	22
Total Prior Period - Income	4	27
Expenses		
Repairs & Maintenance	0	8
Raw Materials	34	0
Stores & Packing Materials	38	0
Employees' Remuneration & Benefits	4	0
Royalty	67	0
Interest	0	10
Power & Fuel	0	1
Others	12	7
Total Prior Period Expenses	1,55	26
Net Prior Period Income / (Expenses)	(1,51)	1

NOTE : No. 28 (C) EXTRA-ORDINARY ITEMS

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2015 TO 31st MARCH 2016	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2014 TO 31st MARCH 2015
Income		
Total Extra Ordinary Income	0	0
Expenses		
Total Extra-Ordinary Expenses	0	0
Net Extra-Ordinary Income/(Expenses)	0	0



NOTE : NO. 28 (D)

STATEMENT OF REVENUE & EXPENSES OF CONTINUING AND DISCONTINUING OPERATION FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
A. Revenue :-						
Turnover (Net)	3,92,89	4,02,92	0	0	3,92,89	4,02,92
Other Operating Revenue	13	1,18	0	0	13	1,18
Accretion/(Decretion) to Semi-Finished Goods and Finished Goods	(5,78)	(11,51)	0	0	(578)	(11,51)
Total Income	3,87,24	3,92,59	0	0	3,87,24	3,92,59
B. Expenses:-						
Operating Expenses	3,80,64	3,91,63	13,97	15,19	3,94,61	4,06,82
Impairment Loss	0	0	0	0	0	0
Total Expenses	3,80,64	3,91,63	13,97	15,19	3,94,61	4,06,82
C. Profit/(Loss) before interest & tax from Operating Activities	6,60	96	(13,97)	(15,19)	(7,37)	(14,23)
Interest Expenses	1,10	1,86	1,13	1,11	2,23	2,97
D. Profit/ (Loss) Before Tax	5,50	(90)	(15,10)	(16,30)	(9,60)	(17,20)
E. Income Tax	0	0	0	0	0	0
F. Profit/(Loss) from Operating Activities after Tax	5,50	(90)	(15,10)	(16,30)	(9,60)	(17,20)
G. Other Income	55,89	33,17	7,22	2,21	63,11	35,38
H. Exceptional items-Income/(Expenditure)	0	21,90	0	0	0	21,90
I. Extra Ordinary items-Income/(Expenditure)	0	0	0	0	0	0
J. Net Profit/(Loss) from Operating Activities	61,39	54,17	(7,88)	(14,09)	53,51	40,08

NOTE NO. 29 CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS-(TO EXTENT NOT PROVIDED FOR)

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2015 TO 31st MARCH 2016	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2014 TO 31st MARCH 2015
A) Contingent Liabilities		
a) Claims against the company not acknowledged as debts		
1) Income Tax Demand u/s 271(1) (c) for AY 2007-08	29,61	29,61
2) Sales Tax demand of Tandur & Bokajan unit.	29,94	18,56
3) Excise Duty on Clinker - Sept 2012 to Feb. 2013 (Rajban unit)	0	13,77
4) Railways Land Licence Fees in respect of Rajban (April 2010 to March 2015)	13,09	13,09
5) Norton Polymers Ltd. - Arbitration Matter	5,87	5,87
6) Tariff Minimum Charges in respect of Akaltara & Mandhar	3,64,49	3,64,49
7) Power Wheeling charges etc. in respect to Tandur	37,15	35,26
8) Others-Miscellaneous Cases	90,12	76,82
b) Other money for which company is contingently liable	0	0
Total (A)	5,70,27	5,57,47
B) Commitments		
a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on the capital accounts and not provided for	1,58,64	1,62,05
b) Other Commitments (specific nature)	0	0
Total (B)	1,58,64	1,62,05
Total (A+B)	7,28,91	7,19,52

a) No effect has been given in the books of Account for cases lying in various courts for compensation/promotion/claims of employees for service matters etc. as the amount thereof is unascertainable.



NOTE NO. 30 NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016

1. No effect has been given in the Accounts for claims/counter claims lodged by the Corporation for ₹ 7664.86 Lakhs (Previous year ₹ 9343.62 lakhs) which are under arbitration/pending in Courts etc. as the outcome will be known only when award/decrees etc. are given.
2. (i) No provision is made or considered necessary for Sales Tax liability on account of non-receipt of 'C', 'D' and F/B-1 forms etc. till the Balance Sheet date for ₹ 418.05 Lakhs (Previous year ₹ 184.39 lakhs) as the same are expected to be received before final assessment is completed and/or appeals are finalized.
(ii) In terms of orders of the Assessing Officers (Income Tax Deptt.) for the Assessment Years 2006-07 & 2007-08, the Assessing Officers assessed income of ₹ 885,00,87,850/- and ₹ 87,98,64,000/- respectively and adjusted the same with brought forward losses of the company. In view of the same, the assessed losses of the company have been reduced by ₹ 972,99,51,850/- The company has filed appeal on before ITAT and same are subject to decision of ITAT.
3. Title deeds for land measuring 1.06 acres (Mandhar), 5 Bighas (Bokajan), 0.146 hectares (Nayagaon), 495.75 acres (Akaltara), 10.12 acres (Bhatinda Grinding Unit) and lease deeds for 155.83 acres (Nayagaon) and 58.81 acres (Adilabad), are yet to be executed. Further, the allotment of land measuring 20.20 acres (Delhi Grinding Unit) on lease hold basis for 99 years was cancelled by the DDA against which CCI has filed an appeal No. 15834/06 before the Hon'ble Delhi High Court which has ordered to maintain status quo. Land details are under reconciliation.
4. Mining lease deemed to have been granted for all the Govt. company for the period of 50 years as per Mineral (Mining by Govt. Co.) Rules 2015 dated 03.12.2015, accordingly mining leases of CCI's are deemed to have been granted and still valid.
5. No provision has been made in the accounts for the consideration, if any, payable for acquisition of Government lands, outside the CCI, Adilabad Township and used as road from Pump house to National Highway No. 7 admeasuring 32 guntas for which alienation orders are awaited from Revenue Department.
6. Liability for un-paid Excise Duty amounting to ₹ 85.80 lakhs (Previous year ₹ 108.67 lakhs) has been provided for in respect of 15753.980 MT (Previous year 19293.727 MT) of closing stock of naked cement lying in Silos as on 31 st March, 2016. Liability for cess amounting to ₹ 0.12 lakhs (Previous year ₹ 0.14 lakhs) has also been provided for on cement stock of 15753.980 MT (Previous year 19293.727 MT) as on 31 st March .2016. However, the said treatment does not vitiate true and fair view of Profit & Loss Statement of the Corporation.
7. The shares of various Companies (face value of ₹ 37.79 lakhs), held by late Shri R.K.Dalmia and kept as security with erstwhile Dalmia Dadri Cement Limited against loan of ₹ 214.00 lakhs taken by him, have been taken possession of shares in earlier years. Although these shares were valued at ₹ 2.80 lakhs (at realisable value) but were considered doubtful and accordingly provided for in earlier years.
8. Pending execution of lease deed in favour of the Corporation in respect of Building at Scope Complex, New Delhi, the cost thereof of ₹ 266.58 lakhs excluding Electrical Installation of ₹ 5.70 lakhs, is being amortised provisionally by way of depreciation, considering as a deemed owner.
9. A reference was made to Board of Industrial & Financial Reconstruction under section 15(1) of Sick Industrial Co. (SP) Act, 1985 vide letter No. SEC/84/96/513 dt. 25.04.96. The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 8.8.96. Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/s. IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03.05.2006 which *inter alia* envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/technological upgradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at six units and employees have been separated under VSS except Adilabad unit where matter is pending before the Hon'ble High Court of Andhra

Pradesh. Further Hon'ble BIFR in hearing held on 21.01.2015 directed company to submit MDRS (Modified Draft Rehabilitation Scheme) for which a board guideline has been submitted to ministry for its approval, Matter is under progress.

10. (i) Reliefs and concessions in respect of Creditors, State Governments, Other Govt. Departments and Agencies etc. will be considered appropriately as and when such payments are made and such concessions/ reliefs become certain without any contingency attached to it or approval for the same is received, as the case may be.
- (ii) Plan Loan from Government of India (interest free) amounting to ₹150.90 crores (Previous year ₹ 150.90 crores) will be repaid from the sale proceeds of seven non operating units as per the sanctioned scheme dated 3rd May 2006 of Hon'ble BIFR. Further, interest accrued amount of ₹ 123.85 crores on Non Plan Loan provided by Govt. of India has been freezed with effect from 01.04.2011. The interest will be paid out of sale proceeds of Non-operating Units.
11. Production at the following units has been discontinued from the dates mentioned against each unit:

i) Mandhar (Chhatisgarh)	06/06/1996
ii) Charkhi Dadri (Haryana)	14/08/1996
iii) Akaltara (Chhatisgarh)	09/12/1996
iv) Nayagaon & Nayagaon Expansion (Madhya Pradesh)	30/06/1997
v) Kurkunta (Karnataka)	01/11/1998
vi) Adilabad (Telangana)	05/11/1998
vii A) Delhi Grinding Unit	08/02/1999
B) Bhatinda Grinding Unit	Not commissioned

The Draft Rehabilitation Scheme (DRS) prepared by IFCI (OA) was approved by Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 and sanctioned scheme circulated on 03.05.2006, envisaged settlement of secured and unsecured creditors and closure / sale of above 7 non-operating units. The market value of the assets in respect of the above 7 units as mentioned in the said scheme is higher than book value of Assets. Similarly, the market value of the Assets in respect of units Bokajan, Rajban & Tandur are expected to be much more than the Book Value of the Assets. Hence, there is no indication of a potential impairment loss. Therefore, no provision for impairment loss has been considered in the Accounts.

12. The special auditor appointed by SBI Caps, Merchant Bankers, as per the terms of the MOU/ Sale agreement in respect of Yerraguntala Unit had submitted their report. Pending reconciliation and confirmation with M/s. India Cement Ltd., necessary liabilities as found accruing, on date of the sale has already been considered in the accounts.
13. On process of implementation of Rehabilitation of scheme, non-cumulative preference share of ₹ 355.43 crore was issued on 22.03.2007 for seven year, further extension for re-issue of preference share has been sought from the Ministry as per Cabinet/BIFRs direction.
14. Deferred Tax Assets/Liabilities are not recognized in the absence of virtual certainty of realisation of the deferred tax assets within the allowable period under the Income Tax Act.
15. For classification of current and non current balances under current liabilities, the stipulations contained in the Sanctioned Scheme have been kept in view besides its nature.
16. Keeping in view the nature of business & Geographical status of the Corporation, the segment reporting under AS-17 is not applicable.
17. Unadjusted/Unclaimed amount of advances for ₹ 717.04 Lakhs which is in books of Accounts more then decades have written back in the current year and shown in Miscellaneous Receipt (Note-22) in the Accounts.



18. Details of provision as per Accounting Standard - 29, Refer Note 5 & 9.

(₹ in Crores)

Units	Opening Balance		Adjustment/ Paid during the year		Addition during the year		Closing Balance	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year
Gratuity	42.29	41.08	2.29	0.58	0.34	1.79	40.34	42.29
Bonus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00
Capital work in progress	0.24	0.47	0.13	0.23	0.00	0.00	0.11	0.24
E. L. liability	19.79	17.75	0.31	0.12	0.81	2.16	20.29	19.79
Others	39.39	56.65	99.35	113.83	100.26	96.57	40.30	39.39

19. Details of interest due / paid to MICRO SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)

(₹ in lakhs)

S.No	Description	Current Year	Previous Year
1.	The principal amount remaining unpaid to supplier as at the end of accounting year	81	114
2.	The interest due thereon remaining unpaid to supplier at the end of accounting year	297	283
3.	The amount of interest paid in terms of Section 16, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year	0	0
4.	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Act.	0	0
5.	The amount of interest accrued during the year and remaining unpaid at the end of the accounting year.	14	14
6.	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of the Act.	297	283

20. Employee's Benefits as per Accounting Standard 15

The Corporation has adopted Accounting Standard 15 - Employees Benefits as per details given below:

i) Provident Fund

The Corporation pays fixed contribution of P.F. at pre-determined rates to a separate Trust which invests the funds in permitted securities. The Trust is required to pay a minimum rate of interest on contribution to the

members of the Trust. Loss of the P.F. Trust, if any, is borne by the Corporation.

ii) Gratuity

The Corporation has a defined gratuity plan. Every employee is entitled to get gratuity as per provisions of the Gratuity Act. The liability of gratuity is recognized on the basis of actuarial valuation.

iii) Leave Encashment

Leave encashment is payable to the eligible employees who have accumulated EL, HPL etc. The liability towards leave encashment is recognized on the basis of actuarial valuation.

iv) Other Defined Retirement Benefit

The Corporation has a Scheme for settlement at home town for employees and dependants at the time of Superannuation. This is recognized in the Statement of Profit & Loss on the basis of actuarial valuation.

The summarize position of various defined benefits recognized in the Statement of Profit & Loss and Balance Sheet are as under:-

A. Expenses recognized in Statement of Profit & Loss

(₹ in lakhs)

		Gratuity		Leave encashment		Other defined retirement benefits	
		31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016
a)	Current service cost	149.56	142.92	81.93	84.15	1.01	0.96
b)	Interest cost	339.50	329.22	149.58	157.11	2.49	2.30
c)	Net actuarial (gain)/ loss recognized in the period	38.48	(54.03)	157.68	119.51	(3.56)	(2.80)
d)	Expenses recognized in the statement of profit & loss	527.54	418.11	389.19	360.77	(0.06)	(0.47)

B. Amounts recognized in Balance Sheet

(₹ in lakhs)

		Gratuity		Leave encashment		Other defined retirement benefits	
		31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016
a)	Present value of obligation as at the end of the period	4115.32	3920.44	1963.85	2014.92	28.81	27.24
b)	Funded status/ Difference	(4115.32)	(3920.44)	(1963.85)	(2014.92)	(28.81)	(27.24)
c)	Net asset/ (liability) recognized in balance sheet	(4115.32)	(3920.44)	(1963.85)	(2014.92)	(28.81)	(27.24)



C. Change in present value obligation

(₹ in lakhs)

		Gratuity		Leave encasement		Other defined retirement benefits	
		31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016
a)	Present value of obligation as at the beginning of the period	3994.19	4115.32	1759.72	1963.85	29.31	28.81
b)	Interest cost	339.50	329.22	149.58	157.11	2.49	2.30
c)	Current service cost	149.56	142.91	81.93	84.15	1.01	0.96
d)	Benefits paid	(406.41)	(612.98)	(185.06)	(309.70)	(0.44)	(2.02)
e)	Actuarial (gain)/ loss on obligation	38.48	(54.03)	157.68	119.51	(3.56)	(2.80)
f)	Present value of obligation as at the end of the period	4115.32	3920.44	1963.85	2014.92	28.81	27.24

D. Amount for the current period

(₹ in lakhs)

		Gratuity		Leave encasement		Other defined retirement benefits	
		31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016
a)	Present value of obligation as at the end of the period	4115.32	3920.44	1963.85	2014.92	28.81	27.24
b)	Surplus/(Deficit)	(4115.32)	(3920.44)	(1963.85)	(2014.92)	(28.81)	(27.24)

E. Actuarial Assumptions

S.No.	Description	As at 31.3.2016
i)	Retirement Age	60 years
ii)	Age	Withdrawal rate: % Upto 30 years - 00.00 From 31 to 44 - 1% Above 44 - 1%
iii)	Discounting rate	8 %
iv)	Future salary increase	6%
v)	Expected return on plan assets	-

21. Balances shown under advances, trade payable and trade creditors etc. are subject to confirmation/ reconciliation. These include certain old balances pending scrutiny and adjustment. Necessary effect would be given on completion of the same.

22. The Expenditure incurred towards various activities under Corporate Social Responsibility (CSR) are shown in Note No. 26 in the Accounts, and summarized statement as per Companies Act 2013 is given below:-

(₹in lakhs)

		Current Year	Previous Year
a)	Average net profit of corporation for last three years	2146	1458
b)	Prescribed CSR Expenditure (2% of the above under companies Act. 2013)	43	29
c)	Total amount spent during the year as given below :-	4	3
d)	Amount unspent (b-c)	39	26

		In Cash		Yet to be paid in cash		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
i)	Construction/acquisition of any assets	0	0	0	0	0	0
	On purposes other than above						
	(i) Two toilets – Under Swach Bharat Mission	4	2	0	0	4	2
	(ii) Health (Medical) Camp	0	1	0	0	0	1

23. “In accordance with Accounting Standard-18 “ Related Party Disclosures “ of the Companies (Accounting Standard) Rules 2006, it is certified by the Management that no related party transactions have been made during the year”. The details of key Personnel Manager are given below :-

(₹in lakhs)

S.N.	Name & Key Person	Designation	Current Year	Previous Year
1.	Sh. Manoj Mishra	C &MD	28.68	27.35
2.	Sh. R. P. Tak	Ex-C&MD, 30.09.14	0.00	15.97
3.	Sh. S. C. Aggarwal	Ex-Director (Fin) upto 5.5.15	5.17	24.33
4.	Sh. B.V. N. Prasad	Director (HR) w.e.f. 19.1.16	5.49	0.00
5.	Sh. S. Sakthimani	Director (Fin) w.e.f. 7.3.16	1.64	0.00
6.	Sh. Ajay Kumar Sharma	Co. Secretary	12.17	11.84
7.	Sh. AB Deyashi	CFO	19.96	18.07

In addition, C & MD and full time Director are also allowed to use of company vehicle for non duty journey upto 1000 kms. Per month on payment of ₹ 2000/- per month.



24. The Earning per Share (EPS) of the company as per Accounting Standard-20 issued by the Institute of Chartered Accountants of India is as under :-

S.No	Particulars	31 st March 2016	31 st March 2015
1	Number of equity share outstanding during the year	4559749	4559749
2	Face Value of Equity Share	1000	1000
3	Net Profit after tax for the year (₹ in Lakhs)	5351	4008
4	Less:- Amount of dividends on non-cumulative Preference shares (₹ in Lakhs)	4	4
5	Net Profit after tax attributable to equity shareholders (3-4)* (₹ in Lakhs)	5347	1814
6	Basic and diluted earnings per share in rupees	117	40

*Excluding extraordinary /Exceptional items.

25. Figures of the previous years have been split up and regrouped wherever necessary so as to correspond to the current year figures.

Sd/-
(Manish Mehta)
Head of Finance

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary

Sd/-
(S. Sakthimani)
Director (Fin)/CFO

Sd/-
(Manoj Misra)
Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached
For Kapoor Bhushan & Co.
Chartered Accountants
FRN No. NO-001676N

Place : New Delhi
Dated : 28/07/2016

Sd/-
(CA P.B. KAPOOR)
Partner
Membership No. 010858

NOTE NO. 31 QUANTATIVE DETAILS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Actual Production				
1.1 Portland cement				
Ordinary	799055	M. Tonnes	835075	M. Tonnes
Pozzolana	113815	M. Tonnes	117610	M. Tonnes
TOTAL	912870	M. Tonnes	952685	M. Tonnes
2. Clinker (A pre cement stage, material & not an additional product)	865310	M. Tonnes	872600	M. Tonnes
2.1 Clinker Purchased	0	M. Tonnes	0	M. Tonnes
3. Cement Despatches	914318	M. Tonnes	947986	M. Tonnes
	Quantity	Value	Quantity	Value
	M. Tonnes	(₹ in lakhs)	M. Tonnes	(₹ in lakhs)
4. Opening Stock				
Stock at Factory				
Cement OPC	2,15,71	8,02	1,89,24	6,53
Cement PPC	24,26	1,00	3,78	17
Stock at Dumps				
Cement OPC	1,11,00	4,60	2,14,54	8,77
Cement PPC	14,21	76	10,64	60
In Transit OPC	43,61	2,00	61,81	2,42
In Transit PPC	4,32	22	7,92	45
Set/ Damaged Cement				
Cement OPC	60,32	2	59,37	0
Cement PPC	30,16	0	30,16	0
TOTAL	5,03,59	16,62	5,77,46	18,94
Clinker	13,68,44	26,68	17,59,77	36,34
Clinker (Purchase)	0	0	0	0
TOTAL	13,68,44	26,68	17,59,77	36,34
5. Net Sales Incl. self consumption / transfer				
(A) Cement OPC	80,29,97	3,92,89	84,43,49	4,02,62
(B) Cement PPC	11,38,84	0	11,54,66	0
(C) Self Consumption OPC	46	0	1,10	0
(D) Self Consumption PPC	0	0	0	0
(E) Export of cement	0	0	0	0
TOTAL	91,69,27	3,92,89	95,99,25	4,02,62
(F) Clinker	0	0	12,79	30
TOTAL	0	0	12,79	30
6. a) Closing Stock - Cement				
Stock at Factory				
Cement in Stock OPC	1,91,11	6,56	2,15,71	8,02
PPC	34,38	1,25	24,26	1,00
Stock at Dumps				
Cement OPC	98,94	3,93	1,11,00	4,60
PPC	0	0	14,21	76
In Transit OPC	33,85	1,49	43,61	2,00
In Transit PPC	4,08	19	4,32	22
Set / Damaged cement OPC	59,93	0	60,32	2
Set / Damaged cement PPC	30,16	0	30,16	0
Total	4,52,45	13,42	5,03,59	16,62



NOTE NO. 31 QUANTATIVE DETAILS (Contd...)

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
b) Closing Stock-Clinker				
Clinker in Stock	13,59,28	21,11	13,68,44	26,68
Clinker (Purchase)	0	0	0	0
c) Cement - Used for Testing	0	0	0	0
Stock transfer to unit OPC	0	0	0	0
Shortages during transit OPC	0	0		
Shortages during transit PPC	2,49	0	1,47	0
Shortages in Gowodon (HA)	8,08	0	0	0
Total	10,57	0	1,47	0
7. Clinker - Used for cement grinding	86,62,26	2,33,56	91,04,54	2,43,73
8. Raw Materials Consumed				
Limestone	1,29,36,38	35,42	1,28,79,60	28,32
Laterite	93,97	32	1,26,62	40
Iron ore	2,14,26	6,15	2,25,37	10,22
Gypsum	2,12,73	5,50	2,35,22	6,37
Shale	4,70,82	1,67	7,44,79	2,04
Fly Ash	2,24,86	1,16	1,78,44	42
Burnt Clay	33,51	16	23,23	12
Others	0	0	0	0
Total Raw Material Consumed		50,38		47,89
9. Value of Imports calculated on CIF basis in respect of				
i) Raw Materials	0	0	0	0
ii) Components & Spare parts	0	0	0	0
iii) Capital Goods	0	0	0	0
10. Value of all imported Raw materials, Spare Parts & Components consumed during the Year and value of all indigenous Raw-materials spare parts and components similary consumed and the percentage of each to total consumption.				
- Imported	0	0	4	2,52
- Indigenous	1,00	65,14	96	58,91
Total	1,00	65,14	1,00	61,43
11. Amount Remitted in Foreign Currency	0	0	0	0
12. Earning in Foreign Exchange	0	0	0	0

Sd/-
(Manish Mehta)
Head of Finance

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary

Sd/-
(S. Sakthimani)
Director (Fin)/CFO

Sd/-
(Manoj Misra)
Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached
For Kapoor Bhushan & Co.
Chartered Accountants
FRN No. NO-001676N
Sd/-

Place : New Delhi
Dated : 28/07/2016

(CAP.B. KAPOOR)
Partner
Membership No. 010858

NOTE NO. 32 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Accounting.

The accounts are prepared on historical cost convention adopting the accrual method of accounting except for the following items which are accounted for on cash basis.

- i) Liquidated damages/penalties/claims other than Railway & Insurance made are accounted for on realization and included in miscellaneous Income.
- ii) Profit / loss, if any, on surplus / slow moving / non-moving items etc. of stores and spares, is accounted for only in the year of their disposal.

2. Revenue Recognition.

Sales are stated inclusive of Excise Duty and excluding Vat,/ Sales Tax. Excise duty is shown separately.

3. Land & Amortization.

- i) Land given free by the state Government is valued at nominal cost or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition.
- ii) Land free hold under mining lease at quarry and land lease hold with less than 99 years lease is amortized within a period of ten years from the date of commercial production of the respective unit.

4. Investments.

- i) Long term investments are stated at cost. Permanent decline in the value of such investments is recognized and provided for.
- ii) Current investments are stated at lower of cost and quoted / fair value. Unquoted current investments are stated at cost.

5. Borrowing Costs.

Borrowing Costs that are attributable to acquisition or construction or production of qualifying assets are capitalized as part of the costs of such assets. A qualifying asset is one that takes necessarily substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to revenue.

6. Inventories.

a) Valuation

- i) Stores, spare parts and raw-materials except as indicated in (ii) below are stated at weighted average cost. The obsolete/unserviceable stores and spares when determined, are treated as scrap and valued at net realizable value.
- ii) Clunker and other semi-finished goods are stated at lower of unit's weighted average cost or net realizable value on the basis of work back formula. However, in case of negative valuation, it is stated at Nil value.
- iii) Finished goods at factories/projects/in dumps or in transit to dumps are stated at lower of units weighted average cost or realizable value. Freight included in selling expenses upto dump is included in value of finished goods lying at various dumps.
- iv) The total quantity of various scrap items as at the close of each financial year is valued as per rates available as per latest sale orders for respective items. However, where no such rates are available because of scrap having been generated for the first time or not disposed off earlier, reserve price fixed for disposal of such scrap items is adopted for the purpose of valuation.

b) Loose Tools & Tackles.

Tools and tackles are written off over a period of three years.

7. Depreciation.

- i) The financial statements have prepared under historical cost on accrual basis in compliance with applicable accounting standards specified under section 133 of the companies Act. 2013 read with Rule 7 of the companies



(Accounts) Rules, 2014 and the relevant provision of the companies Act. 2013.

- ii) Depreciation is provided on assets after they are completed and become available for use.
- iii) Depreciation on assets added during the year is charged prorata from the date they are capitalized and upto the date these are discarded, /Sold / demolished/ destroyed.
- iv) Any individual asset whose written down value is ₹ 5000/- or less at the beginning of the year is fully depreciated during the year without retaining the residual value as it is considered insignificant.
- v) Any individual asset costing upto ₹ 5000/- purchased during the year is taken to gross block and depreciated fully in the same year.

8. Deferred Revenue Expenditure.

- i) Expenditure on Prospecting and Boring is treated as Deferred Revenue Expenditure and charged off in three to five years after Units go into commercial production.
- ii) Expenditure incurred on removal of over-burden etc. at the mines which is utilized for capital works like laying roads, stockyard, crusher ramp etc. is capitalized. The rest of the expenditure incurred on removal of over-burden etc. is treated initially as 'Deferred Revenue Expenditure' and is charged off over the period for which the limestone exposed out of quarry development is available for exploitation.
- iii) The cost of internal partitions and other fixtures in rented buildings are directly charged off in the year of installation, but if the cost is more than rupees one lakh, the same is treated as Deferred Revenue Expenditure and is charged off in three to five years.
- iv) After start of commercial production of a Unit, initial full charge of high-chrome grinding media is treated as Deferred Revenue Expenditure and written off over a period of three years. However, make up charges are charged to Statement of Profit & Loss.
- v) In case there is no un-utilized grant/subsidy for Voluntary Retirement Scheme (VRS), then terminal benefits which are attributable to VRS payment equivalent to one and a half months wages for each completed year of service or wages for the balance period of service, whichever is less and notice period pay are deferred and charged off during the remaining period of service of the individuals or in a maximum period of 5 years, whichever is less. However, any expenditure incurred on VRS/VSS on or after 1/4/2003 will be recognized as an expense when it is incurred and charged off wholly in that year itself.

9. Prior Period/Extra-ordinary Adjustments.

Expenditure / Receipts relating to the particular year, coming to notice after closure of the Accounts i.e. after the cut off date are booked under the relevant head of expenditure / receipt of the next year, if the amount involved is not more than ₹ 10,000/-. In case, the amount is more than ₹ 10,000/- the provisions contained in the Accounting Standard-5 of the Institute of Chartered Accountants of India are applied for determination of its accountal under natural head of accounts of current year / prior period / extra ordinary Expenditure / Receipts.

10. Accountal of Foreign Exchange Transaction.

Foreign loan liabilities are translated at the closing market exchange rates. Gains or losses on settlement of transactions (a) during project period are credited/ debited to the relevant cost of equipment those relating to spares and service are credited/ debited to IEDC, (b) after project has gone into commercial production, the gains/ losses are credited/ debited to the relevant cost of equipment but those relating to spares and services are charged off to Statement of Profit & Loss. Depreciation on such adjustment to fixed assets is adjusted prospectively.

11. Government Grants/ Subsidies.

- i) Government Grants/ Subsidies related to specific fixed assets are deducted from the gross value of the concerned assets in arriving at their book value. Where the grants related to specific fixed assets equals the whole or virtually the whole of the cost of the asset, the asset is valued at nominal value or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition/ installation.
- ii) Grants for Voluntary Retirement Scheme, Transport Subsidy and other Revenue Grants are deducted from

the related expenditure.

iii) Government Grants received under Central Investment Subsidy Scheme included in Central Government Incentive for Industries in backward areas and other similar grants received from the State Governments, where no repayment is ordinarily expected in respect thereof, the grants are treated as Capital Reserve.

iv) Capital/ Revenue Grants/ Subsidies, other than those specified above, are accounted for as per Accounting Standard-12 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

12. Claims of the Corporation.

i) Insurance claims are brought to account on the basis of Surveyor's Report and / or on the basis of claims lodged where on account payments have been received. In case, however, where surveyor's Report for events of loss occurred upto 31st March is not received before closing of the Accounts, the disclosure to that effect is made in the form of Notes to the Accounts.

ii) Railway claims are brought to account on lodging of the claims.

13. Deposit Works.

In respect of Deposit Works in progress, the same are treated as Corporation's Capital-work-in-Progress and Incidental Expenditure during Construction Period is proportionately added to the Deposit Work when the ownership is transferred and capitalized.

14. Staff Benefits.

i) Provision for gratuity under the Payment of Gratuity Act, 1972 and Company's own Gratuity Scheme is made in respect of all employees in service as on 1st January of each year in accordance with the actuarial valuation.

ii) Provision for earned leave / half pay leave etc. which is encashable on retirement or death of an employee is made in respect of employees in service as on 1st January of each year in accordance with the actuarial valuation.

iii) Liability for bonus is provided as per the provisions of Payment of Bonus Act, 1965 on Unitwise basis and not Corporation as a whole. The liability for bonus for the Corporate Office is provided at a rate which is average of the rates at which the bonus is provided for the other Units.

15. Premium on Redemption of Debentures.

Premium payable on redemption of debentures is charged to Statement of Profit & Loss /IEDC Account in such equal instalments as the duration of debentures commencing from the year in which debentures are allotted.

16. Pre-paid Expenses.

Expenditure of ₹ 10,000/- or less in each case incurred in advance of the following year(s) are charged off as expenses of the current year.

17. Accounting for Bad & Doubtful Debts/ Loans / Advances etc.

i) Provision is made for doubtful debts/loans and advances when the same is considered doubtful of recovery but chances of recovery subsist.

ii) Amounts are written off, when the efforts for recoveries have failed either due to legal process or where it is considered litigation will not be fruitful and recovery is not possible.

18. Inter unit/ Zones / Corporate Office transfers.

i) Finished goods transferred by the Units are initially valued at Despatch Plan rates and the quantity sold is then settled by the Zones at the actual net realizable value.

ii) Inter Unit/ Zones / Corporate Office transfers of Fixed assets etc. are accounted for at book value.

iii) Inter Unit Transfer of clinker is accounted for at its realizable rates (by work back method from cement) and its losses in transit are absorbed in cost by the receiving Unit.

iv) Inter Unit/ Zones/ Corporate Office balances are reconciled regularly and balance confirmations obtained.



19. Classification of Expenditure .

- i) Expenditure incurred on Repairs & Maintenance of fixed assets, including cost of stores & spares except as shown as in (ii) below, are charged to Statement Profit & Loss.
- ii) Expenditure incurred on repairs and maintenance of fixed assets including cost of stores & spares that increase the future benefits from the existing assets beyond its previously assessed standard of performance is capitalized e.g. an increase in capacity.
- iii) Salaries and Wages
Salaries and wages incurred on Repairs and Maintenance of Plant & Machinery, Buildings etc. are charged directly to Salaries and Wages Account.
- iv) Other Sundry Expenses

Expenditure on parks, plantation of trees and purchase of tents and tarpaulins etc. are charged off as revenue expenditure.

20. Indirect Expenses on Expansion Projects/ New Projects Adjacent to the Existing Plant.

The common expenses on administration, supervision etc. incurred by the existing plants are not charged to the Expansion Project/ New Projects adjacent to the existing plants.

21. Allocation of Corporate Office Expenditure.

Net Revenue Expenditure / Income of the Corporate Office is allocated to all the units and projects under construction on estimates based on the probable benefits or relatable to the different Units or projects as decided by the management to their best assessment and judgment.

Sd/-
(Manish Mehta)
Head of Finance

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary

Sd/-
(S. Sakthimani)
Director (Fin)/CFO

Sd/-
(Manoj Misra)
Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached
For Kapoor Bhushan & Co.
Chartered Accountants
FRN No. NO-001676N

Place : New Delhi
Dated : 28/07/2016

Sd/-
(CA P.B. KAPOOR)
Partner
Membership No. 010858

Cash Flow Statement for the Year ended 31st March 2016

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
I. CASH FROM OPERATING ACTIVITIES						
Net Profit/Loss (-) after taxation	61,39	54,17	(7,88)	(14,09)	53,51	40,08
Add:-Adjustment for						
Depreciation and amortisation (net)	6,53	5,02	1,37	1,34	7,90	6,36
Profit on disposal of Fixed Assets	0	(9)	0	0	0	(9)
Provision for doubtful debts loans and advances	0	0	0	13	0	13
Finance Cost	1,10	1,86	1,13	1,11	2,23	2,97
DRE Adjusted	2,59	1,70	0	0	2,59	1,70
Less:-						
Interest Income & Miscellaneous receipts	(43,73)	(53,34)	(6,98)	(2,18)	(50,71)	(55,52)
Other Excess Provision Written Back	(12,16)	(1,64)	(24)	(3)	(12,40)	(1,67)
Operating Profit Before Working Capital Change:-	15,72	7,68	(12,60)	(13,72)	3,12	(6,04)
Change in working Capital :						
<i>Adjustment For (Increase)/decrease in operating Assets:-</i>						
Inventories	1,01	12,35	19	38	1,20	12,73
Trade receivable	(3,78)	2,98	0	0	(3,78)	2,98
Short and Long term Loans & Advances	(3,25)	(6,39)	79	(74)	(2,46)	(7,13)
Other Current Assets	0	0	0	0	0	0
Other Non Current Assets	0	0	0	0	0	0
<i>Adjustment For (Increase)/decrease in operating Liabilities</i>						
Trade Payable	(2,06)	(3,11)	0	0	(2,06)	(3,11)
Other Long and Current Liabilities	(15,87)	(1,79)	1,46	1,26	(14,41)	(53)
Short and Long Term Provision	1137	7,45	56	(95)	11,93	6,50
DRE (Addition)	(3,96)	(1,79)	0	0	(3,96)	(1,79)
Net Cash From Operating Activities	(82)	17,38	(9,60)	(13,77)	(10,42)	3,61
II. Cash Flow From Investing Activities						
Purchase of Fixed Assets	3,01	6,16	2,39	0	5,40	6,16
Intrest and other receipts	0	0	0	0	0	0
Receipt on sale of Fixed Assets	0	(15)	0	(1)	0	(16)
Work in Progress	(1,41)	2,54	0	0	(1,41)	2,54
Net cash After Investing Activities	(2,43)	8,83	(11,98)	(13,76)	(14,41)	(4,93)
III. Cash from Financing Activities						
Share Capital	0	0	0	0	0	0
Funds transferred to non-operating units	(4,88)	(11,69)	4,88	11,69	0	0
Loan Repayment to Govt of India	0	0	0	0	0	0
Secured & Unsecured Loans	0	0	0	0	0	0
Interest and other Receipts	42,40	31,81	7,00	2,19	49,40	34,00
Interest Paid	(4)	(26)	0	0	(4)	(26)
Net Cash from Financing Activities	35,05	28,69	(10)	12	34,95	28,81
Net Increase(+)/ Decrease(-) in Cash & cash Equivalents	1,96,29	1,67,60	20	8	1,96,49	1,67,68
Cash And cash Equivalents (Opening)	2,31,34	1,96,29	10	20	2,31,44	1,96,49
Cash And cash Equivalents (Closing)						



Reconciliation of Cash and Bank Balances :

	Current Year	Previous Year
Cash in Hand	2	2
Cheque in Hand	3,58	1,55
Bank Deposits	2,07,97	1,77,48
Current Accounts	7,41	8,47
Bank Balance held under - Guarantees	12,46	8,93
- Letter of Credits	0	4
Total	2,31,44	1,96,49

1. Additional working capital, as when needed, is proposed to be met out of own cash resources.
2. Bank deposits includes deposits of ₹ 1303.94 Lakh (Previous ₹ 15223.90 Lakhs) whose maturity period is more than 12 months.

Sd/-
(Manish Mehta)
Head of Finance

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary

Sd/-
(S. Sakthimani)
Director (Fin)/CFO

Sd/-
(Manoj Misra)
Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached
For Kapoor Bhushan & Co.
Chartered Accountants
FRN No. NO-001676N

Place : New Delhi
Dated : 28/07/2016

Sd/-
(CA P.B. KAPOOR)
Partner
Membership No. 010858

Details of Investment & Expenditure on Social Overheads

	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CAPITAL INVESTMENT		
Township	20,41	20,41
Vehicles, Furniture & Misc. Equipment	1,64	1,64
TOTAL-CAPITAL INVESTMENT	22,05	22,05
EXPENDITURE ON SOCIAL OVERHEADS		
Upkeep & Maintenance of Township	76	54
Depreciation	26	37
Subsidised Canteen	59	57
Subsidised Education	97	80
Subsidised Social & Clutural Activities	18	15
Other Expenses	28	20
TOTAL	3,04	2,63
DEDUCTION : RECEIPTS FROM TOWNSHIP	45	44
TOTAL NET EXPENDITURE ON SOCIAL OVERHEAD	2,59	2,19



INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE MEMBERS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED, NEW DELHI.

To,
The Members,
Cement Corporation of India Ltd
New Delhi

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED ("the Company")** which comprises the Balance Sheet as at **March 31, 2016**, and Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated eleven units (Mandhar, Tandur, Charkhi Dadri, Akaltara, Nayagaon, Nayagaon Expansion and Delhi Grinding unit, Kurkunta, Adilabad, Bokajan & Silchar Grinding Unit) audited by the branch auditors appointed by the Comptroller and Auditor General Of India and Rajban (Himachal Pradesh), Bhatinda Grinding Unit and Corporate Office audited by us.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

BASIS FOR QUALIFIED OPINION:-

- a. *Execution of title and lease deeds of land of certain units in favour of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation. Further, the allotment of land measuring 20.20 acres on leasehold basis for 99 years in respect of Delhi Grinding Unit has been cancelled by Delhi Development Authority and the matter is stayed & pending before the Hon'ble Delhi High Court. [Refer Point No.3 of Note-30].*
- b. *Non Determination and non-provision of the liability arising out of alienation order is still awaited from revenue department in respect of government land outside CCI's Adilabad Township and used as road from pump house to national highway. [Refer Point*



No.5 of Note 30].

- c. *The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntla unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation [Refer Point No. 12 of Note 30]*
- d. *The balance of certain trade receivable Loan and advances. Trade Payables, Deposits to and from parties and other liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation is unascertainable. [Refer Point No.21 of Note 30].*
- e. *The company has seven factories and a grinding unit at Delhi, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which did not commence production, in respect of which attention is drawn to point No.11 of Note 30. In view of the Management, no provision for impairment of assets, under AS-28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, is required become market value expected is normally more than the book value of the Assets. [Refer Point No.11 of Note 30].*
- f. *The company had issued 3554325 Cumulative Redeemable Preference Shares of Rs. 1000/- each for a value of Rs.355.43 crores to Govt. of India on 22nd March 2007 for 7 (seven) years. As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22nd March 2014, which is not in consonance with the terms of the issue. Management informed that further action for re-issue of preference share has been sought from Ministry as per cabinet / BIFR direction. [Refer Point No.13 of Note 30].*
- g. *No effect has been given in accounts for claims / counter claims lodged by the company for ₹ 76.65 crores against various parties which are under Arbitration/pending in Courts etc. As the matters are pending before court, the same can not be assessed at this stage.[Refer Point No.1 of Note 30].*
- h. *In Note No. 29, the Company has included an Amount of ₹ 364.49 crores under Contingent Liabilities as claims against the Company not acknowledged as debts on Account of tariff minimum charges payable to M. P. Electricity board in respect of Akaltara and Mandhar units. The matter is pending before court and outcome of this can not quantified at this stage.*

OPINION

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2016, and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

EMPHASIS OF MATTER

We draw attention to following matters referred to in the Notes to the financial statements:

- a) The financial statements of the company have been prepared on going concern basis despite:
 - I. It being declared a sick company within the meaning of clause (O) of Section 31 of sick industrial companies (special provision) act 1985.
 - II. Company has accumulated losses far in excess of paid up capital and reserves.
 - III. BIFR sanctioned scheme pursuant to its order dated 3rd May 2006 for sale of seven factories of the Company including two units under Nayagaon expansion.

The company's ability to remain going concern is largely contingent on the successful implementation of revival scheme as envisaged in the BIFR package [Refer Point no. 9 of Note 30]. The financial statements do not include any adjustment relating to recoverability and classification of recorded assets and liabilities that may be necessary if the company is unable to continue as going concern.

- b) *Assessments for the AY 2006-07 & 2007-08 have been completed U/s 143(3) read with section 147 of the Income tax Act'1961 resulting into certain disallowances. As a result, assessed brought forward losses of the Company have been reduced by ₹ 973.00 crores against which the company has filed appeals which are pending before Appellate Authorities.[Refer Point No.2(ii) of Note 30].*
- c) Draft Rehabilitation Scheme (DRS) approved by BIFR vide order dated 03.05.2006 was to be implemented into 2 (two) phases of which first phase totally funded by GOI has been funded are

completed. Second phase was to be completed by 2007-08 out of Sale proceeds of 7 (Seven) non-operating units, as on date no significant progress seems to have taken place in this direction.

- d) In terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, the Company spent an amount of ₹ 4.00 lacs towards Corporate Social Responsibility against amount required to be spent of ₹ 43.00 lacs based on average net profit of last 3 years.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation give to us, we give in the 'Annexure A', a statement on the matters specified in the paragraphs 3 and 4 of the said Order.

2. We are enclosing our report in terms of Section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, in the Annexure I and Annexure II on the directions and sub directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

- We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
- The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

- d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

- e) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 5th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company.

- f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B".

- g) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note No 29 to the financial statements.
- The Company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- There has not been any amounts, required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and Rules made there under.

For KAPOOR BHUSHAN & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001676N

PLACE: DELHI
DATE : 28th July 2016

Sd/-
(CA P. B. KAPOOR)
Partner
M.No 010858



Annexure – ‘A’

Annexure to the Auditors' Report

[Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our Report of even date to the members of CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD on the accounts for the year ended 31st March, 2016]

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and Explanations given to us during the course of our audit, we report that:

I. In respect of its fixed assets:

- (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the fixed assets.
- (b) As explained to us, fixed assets (except at some units) have been physically verified by the management during the year in accordance with the phased programme of verification adopted by the management which, in our opinion, provides for physical verification of all the fixed assets at reasonable intervals. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.
- (c) Title deeds of immovable properties are held in name of the Company excepts some of the units as mentioned in the branch audit reports. Some Title deeds of land of the Company are yet to be executed. [Refer Point No.3 of Note 30]

II. In respect of its inventory:

- (a) As explained to us, the inventories of finished goods, semi-finished goods, and A&B category of stores, spare parts and raw materials were physically verified at the end of the year by the Management. As regard inventory of C category of spare parts, the management has a system of physical verification so that all items are physically verified at least once in the block of three years. Accordingly, a part of such inventory was physically verified during the year. There are no inventories lying with third parties.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company

has maintained proper records of its inventories and no material discrepancies were noticed on physical verification of stocks as compared to book records.

- III. In respect of loans, secured or unsecured, granted to the parties covered in register maintained under section 189 of the Companies Act 2013: According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans to companies, firms, limited liability partnership or other parties covered in the Register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013; and therefore paragraph 3(iii) of the Order is not applicable.

- IV. In respect of loans, investments, guarantees, and security, provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with.

- V. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the company has not accepted deposits and does not have any unclaimed deposits. Therefore, the provisions of clause 3(v) of the order are not applicable to the Company.

- VI. We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Rules made by the Central Government under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that prima facie the prescribed cost records have been made and maintained. We have, however, not made a detailed examination of these records with a view to determining whether they are accurate or complete.

VII. In respect of statutory dues:

- (a) According to the records of the Company and information and explanations given to us, the Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, employees state insurance (ESI), Investor Education and Protection Fund, Income-tax, Tax deducted at sources, Tax collected at source, Professional Tax, Sales Tax, value added tax (VAT), service Tax, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it, with the appropriate authorities. In the following undisputed cases, the payment is in arrear as at Balance Sheet date for a period of more than six months from the date they became payable:

Nature of Statute	Nature of dues	Amount (₹ In Lakhs)
Local Sales Tax	Sales Tax	2014.28
Corporation Tax	NALA Tax	51.13
Corporation Tax	Property Tax	640.45
Service Tax	Service Tax	2.29
Excise & Customs	Excise Duty	11.20
Corporation Tax	Royalty	885.83
Corporation Tax	Entry Tax	5.53
Income tax	Interest on Late payment of Income tax	0.22
Central Sales tax	CST	9.28
Local sales Tax	Surcharge / Additional tax	9.07
Industries (Development and Regulation) Act, 1951	Cess on Cement	16.77

- (b) According to the information and explanations given to us, there were no undisputed amounts payable in respect of Income-tax, Custom Duty, Excise Duty, sales tax, VAT, Cess and other material statutory dues in arrears /were outstanding as at 31 March, 2016 for a period of more than six months from the date they became payable except in the following cases:

Particulars	Nature Of Dues	Where Pending	Amount (₹ in Lakh)
Sales Tax	Sales Tax	APST Tribunal / Financial Commissioner/ Appropriate Authority	2556.36
ESI Contribution	ESI Contribution on contract labour	Hon'ble BIFR and Regional Director-ESIC	72.84

Income tax penalty	Penalty U/s 271(1) (c) of the Income tax Act'1961	Commissioner of Income Tax (Appeals)	2961.98
Property Tax	Property Tax	Local Panchayat	92.84
Service Tax	GTA Service	Commissioner (Appeal) Central Excise & Service Tax	38.73
Excise & Customs	Excise Duty	Appellate Authority	197.18

- VIII. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has defaulted in the repayment of principal amount of loans and interest thereon, as per details given here as under:

Particulars	Amount in Lakhs	Period of Default
Inter Corporate Borrowings	3700.00	More than 13 years
Interest Accrued on above	6163.00	More than 13 years
Govt. of India including Interest	27475.00	Since Long

- IX. Based on our audit procedures and according to the information given by the management, the Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or taken any term loan during the year.
- X. According to the information and explanations given to us, we report that no fraud by the Company or any fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.
- XI. The provision of Section 197 read with Schedule V to the Act are not applicable to Government Companies. According, the provisions of clause 3(xi) of the order are not applicable to the Corporation.



- XII. The Company is not a Nidhi Company and Nidhi Rules, 2014 not applicable to it as such the provision of Clause 3(xii) of the Order are not applicable on the Company.
- XIII. According to the information and explanations given to us, all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 have been disclosed in financial statement as required under Accounting standard (AS) 18, Related Party Disclosures specified under Section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 to the extent applicable to the state Controlled entities.
- XIV. The Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, provision of Clause 3 (xiv) of the order are not applicable.
- XV. The Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with him. Accordingly, provision of Clause 3 (xv) of the order are not applicable.
- XVI. The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For KAPOOR BHUSHAN & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001676N

Sd/-
(CA P. B. KAPOOR)
Partner
M.No 010858

PLACE: DELHI
DATE : 28th July 2016

Annexure 'B'

Report on Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD** ("the Company") as of March 31, 2016 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to corporation's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established

and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

1. pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the corporation;
2. provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the corporation are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the corporation; and
3. provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.



Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

PLACE: DELHI
DATE : 28th July 2016

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2016, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For KAPOOR BHUSHAN & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001676N

Sd/-
(CA P. B. KAPOOR)
Partner
M.No 010858

**Compliance Report for Directions under section 143(5) of Companies Act,
2013 for the year ended 31st March, 2016**

1	Whether the company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and lease hold land for which title/ lease deeds are not available?	The Company has clear title deeds excepts the land which are reported in the financial statement at point no 3 of note no 30. According to information and explanation given to us, reasonable steps have been taken by the Company for getting the titles of these land in its favour.
2	Whether there are any cases of waiver/ write off of debtors/ loans/ interest etc., if yes, the reasons there for and amount involved.	According to information and explanation given to us, there are no cases of waiver/write off of debts / loans / interest etc.
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/ grant (s) from the Govt. or other authorities.	The Company is not having any inventories lying with third parties. According to Information and explanations given to us, there are no gifts/ grants received from Government or other Authorities during the year.

Annexure -II

Sub-Directions under section 143(5) of Companies Act 2013 for the year 2015-16.

On the basis of the Books of accounts of the Company, the reply to the following questions and/or information are given below:-

1. Employee Benefits

Information/inputs furnished to Actuary, viz number of employees, average salary, retirement age and assumptions made by the Actuary regarding discount rate, future cost increase, mortality rate, etc for arriving at the provision for liability of retirement benefits, viz gratuity, leave encashment, post-retirement benefits has been duly verified for the Corporation from the actuarial valuation and found in order.

2. BFIR Scheme

The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 8.8.96. Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/S IFCI(OA) and approved by Govt. Of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03.05.2006 which interalia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/technological up-gradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at six units and employees has been separated under VSS except Adilabad unit where matter is pending before the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh. Further Hon'ble BIFR in hearing held on 21-01-2015 directed company to submit MDRS (Modified Draft Rehabilitation Scheme) which is under progress.

ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT PURSUANT TO PROVISION OF THE COMPANIES ACT, 2013

Management's replies to the observations stipulated in the Auditor Report dated 28-07-2016 are given here under :

S.No	Qualifications	Management Reply
1.	BASIS FOR QUALIFIED OPINION - a,b,c,d a. Execution of title and lease deeds of land of certain units in favour of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation. Further, the allotment of land measuring 20.20 acres on leasehold basis for 99 years in respect of Delhi Grinding Unit has been cancelled by Delhi Development Authority and the matter is stayed & pending before the Hon'ble Delhi High Court. [Refer Point No.3 of Note-30]. b. Non Determination and non-provision of the liability arising out of alienation order is still awaited from revenue department in respect of government land outside CCI'S Adilabad Township and used as road from pump house to national highway. [Refer Point No.5 of Note 30]. c. The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntla unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation [Refer Point No. 12 of Note 30] d. The balance of certain trade receivable, Loan and advances. Trade Payables, Deposits to and from parties and other liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation is unascertainable. [Refer Point No.21 of Note 30].	<p>The position has been adequately explained in the relevant points in Note No. 30, which is a forming part of the Annual Accounts.</p> <p>The position has been adequately explained in the relevant points in Note No. 30, which is a forming part of the Annual Accounts.</p> <p>The position has been adequately explained in the relevant points in Note No. 30, which is a forming part of the Annual Accounts.</p> <p>The position has been adequately explained in the relevant points in Note No. 30, which is a forming part of the Annual Accounts.</p>
2.	BASIS FOR QUALIFIED OPINION - e e. The company has seven factories and a grinding unit at Delhi, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which did not commence production, in respect of which attention is drawn to point No.11 of Note 30. In view of the Management, no provision for impairment of assets, under AS-28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, is required become market value expected is normally more than the book value of the Assets. [Refer Point No.11 of Note 30].	<p>The position regarding impairment of Assets of Non-operating units has been adequately explained in point no. 11 of Note 30 of the Annual Accounts.</p>
3.	BASIS FOR QUALIFIED OPINION – f f. The company had issued 3554325 Cumulative Redeemable Preference Shares of ₹ 1000/- each for a value of ₹ 355.43 crores to Govt. of India on 22 nd March 2007 for 7 (seven) years.	<p>The matter regarding re-issue of preference shares has been taken with DHI, which has also been</p>

S.No	Qualifications	Management Reply
	As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22 nd March 2014, which is not in consonance with the terms of the issue. Management informed that further action for re-issue of preference share has been sought from Ministry as per cabinet / BIFR direction.[Refer Point No.13 of Note 30].	adequately explained in point no. 13 of Note-30 of Annual Accounts
4.	<p>BASIS FOR QUALIFIED OPINION – g,h</p> <p>g. No effect has been given in accounts for claims / counter claims lodged by the company for ₹ 76.65 crores against various parties which are under Arbitration/pending in Courts etc. As the matters are pending before court, the same can not be assessed at this stage. [Refer Point No.1 of Note 30].</p> <p>h. In Note No. 29, the Company has included an Amount of ₹ 364.49 crores under Contingent Liabilities as claims against the Company not acknowledged as debts on Account of tariff minimum charges payable to M. P. Electricity board in respect of Akaltara and Mandhar units. The matter is pending before court and outcome of this can not quantified at this stage.</p>	<p>Matter relate with claims / counter claims of the Corporation which is under sub-judice and can not be assessed at this stage, the same has been disclosed in Note 29 and Note 30 of Annual Accounts</p> <p>Matter relate with claims of the Corporation which is under sub-judice and can not be assessed at this stage, the same has been disclosed in Note 29 and Note 30 of Annual Accounts</p>
	<p>EMPHASIS OF MATTER</p> <p>b) Assessments for the AY 2006-07 & 2007-08 have been completed U/s 143(3) read with section 147 of the Income tax Act'1961 resulting into certain disallowances. As a result, assessed brought forward losses of the Company have been reduced by ₹ 973.00 crores against which the company has filed appeals which are pending before Appellate Authorities.[Refer Point No.2(ii) of Note 30].</p> <p>c) Draft Rehabilitation Scheme (DRS) approved by BIFR vide order dated 03.05.2006 was to be implemented into 2 (two) phases of which first phase totally funded by GOI has been funded are completed. Second phase was to be completed by 2007-08 out of Sale proceeds of 7 (Seven) non-operating units, as on date no significant progress seems to have taken place in this direction.</p> <p>d) In terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, the Company spent an amount of ₹ 4.00 lacs towards Corporate Social Responsibility against amount required to be spent of ₹ 43.00 lacs based on average net profit of last 3 years.</p>	<p>The position has been adequately disclosed in the relevant point no. 2 (ii) of Note 30 forming part of the Financial Statement.</p> <p>By following the Sanctioned Scheme of Hon'ble BIFR and the delay in sale process is unforeseen. However preparation of MDRS is under progress.</p> <p>CCI is BIFR referred company, however short fall in CSR activity u/s 135 of Companies Act. 2013 is being explained in Board Report as compliance of the Act.</p>



**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT 2013, ON THE
FINANCIAL STATEMENTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016**

I forward the comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Accounts of **Cement Corporation of India Limited** for the year ended 31st March, 2016. These comments may be printed in the Annual Report of the Company.

Place : New Delhi.
Date : 20.09.2016

Sd/-
(Nandana Munshi)
Director General of Commercial Audit
& Ex-officio Member Audit Board –II
New Delhi.

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE
FINANCIAL STATEMENTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2016**

The preparation of financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2016 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28 July, 2016.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2016. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

**For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

Sd/-

**(Nandana Munshi)
Director General of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-II
New Delhi**

**Place: New Delhi
Date: 20.09.2016**



Our Employees-Our Greatest Assets

HUMAN RESOURCES

“Human Resources” are of vital importance and significance to an enterprise and constitute a primary segment of the total resources held. A peculiar aspect of “Human Resources” is that while these have infinite potential yet whatever is realised out of this resources is generally akin to the tip of the iceberg the remaining whole lot lying submerged untapped. Deliberate efforts have therefore, to be made to augment the gap between ‘Actual’ and ‘potential’ “Human resources” may also be branded as “Mother Resources” through the medium of which other scarce resources viz. Machines, material, money are organised, co-ordinated, directed and controlled. Maximum realisation of the Potentialities of this “Mother Resources” is of crucial importance for the success of an enterprise. The in-house management and leadership styles the participative, collaborative and supportive climate, the motivational environment, care concern and fellow feelings for each other, the freedom and flexibility to operate within given frame-work of organisational goals and objectives productivity oriented performance yard sticks and continued management’s positive awareness for training & development effort to keep the threat of human obsolescence at bay are some of the essential inputs for tapping this resource of human assets. Besides, the human resources, the highly perishable by mere efflux of time unless they are effectively and meaningfully put to use continually.

A good insight into existing human potential can be well perceived through the profile of the human power distributed professionwise and age wise 22.36 % of the total employees strength of CCI represent technically and professional qualified, degree/diploma holders. As such 24.10 % of total strength of the organisation are in the age group of 26-50 year. However, average age of our employees comes to 54 years. The broad distribution of CCI’s human force is as under:

Professional Profile

Sl. No.	PARTICULARS	No. of employees	
		As on 31.3.2016	As on 31.3.2015
1.	Post Graduate Engineers	2	2
2.	Engineers with MBA	2	2
3.	Graduate Engineers	35	36
4.	CA/ICWA/SAS/ACS	8	7
5.	MBBS	0	0
6.	MBAs	27	30
7.	Engineer Diploma Holders	70	71
8.	Professional Diploma holders	23	23
9.	Post Graduate	34	46
10.	Graduates	127	135
11.	ITI Certificate Holders	139	141
12.	Others	280	320
	TOTAL	747	813

The age wise and category-wise distribution of employees as on 31.3.2016 is given below :

CATEGORY	YEARS							Total	Avg. Age
	<30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	58-60		
Executives	13	9	3	9	22	44	75	175	51
Supervisors	6	3	2	1	18	51	128	209	55
Artisans (Skilled workers)	10	4	7	3	15	23	82	144	53
Semi Skilled	1	0	1	1	3	10	27	43	55
Clerical & other Supporting Staff	2	0	0	8	39	50	54	153	53
Unskilled	0	0	0	0	0	6	17	23	57
TOTAL	32	16	13	22	97	184	383	747	53
Percentage	4%	2%	2%	3%	13%	25%	51%	100%	54

In the absence of clear cut, well defined and universally accepted model for evaluation of the economic worth of human assets of a company an attempt has been made to assess the same, by working out the present value of the anticipated future earnings of the employees taking into account the present pay scales and the promotional policies being followed. The computation has been based on the guidelines and principles enunciated in the economic models developed by Lev and Schwartz. (1971) Eric Flamholtz (1974) and Taggi and Lau (1974) with appropriate modifications found necessary.

The total value of human assets of the company evaluated on the lines indicated above is as follows :

CATEGORY	As at 31.3.2016		As at 31.3.2015		As at 31.3.2014	
	Value in Lakhs (₹)	No. of Employees	Value in Lakhs (₹)	No. of Employees	Value in Lakhs (₹)	No. of Employees
Executives	1,17,57	175	1,04,93	159	84,39	149
Supervisors	1,02,65	209	55,46	110	57,03	130
Skilled Workers	61,10	144	1,16,59	258	1,29,71	363
Semi-Skilled Workers	10,87	43	16,13	62	13,04	61
Clerical & Other Supporting Staff	35,41	153	41,03	174	26,37	145
Unskilled workers	3,95	23	8,88	50	8,84	59
TOTAL	3,31,45	747	3,43,02	813	3,19,38	907

ACTIVITIES & PERFORMANCE PER EMPLOYEE

The performance & other indices of the corporation for the year 2015-16, 2014-2015, 2013-14 measured in terms of per employee are as follows:-

SI.	PARTICULARS	Unit	2015-16	2014-15	2013-14
1.	Production	MT	12,20	11,72	9,19
2.	Sales turn over	₹	5,83,97,59	5,52,93,97	3,98,93,40
3.	Profit/(Loss)	₹	7,16,33,20	49,29,89	17,80,22
4.	Payments of Employees	₹	85,20,75	80,71,34	66,98,90
5.	Interest on sums borrowed	₹	2,98,53	3,65,31	3,24,18
6.	Provisions for replacement of assets	₹	10,57,56	7,82,29	9,95,60
7.	Social over heads	₹	3,46,72	2,69,37	2,69,23
8.	Value added	₹	2,99,93,31	2,74,90,77	1,89,02,20
9.	Contribution to exchequer	₹	1,32,20,88	1,15,25,21	81,48,35
10.	Capital employed	₹	3,46,58,63	2,52,60,76	1,90,52,75



The Annual Statement in the prescribed format showing the representation of SCs, STs and OBCs as on 01/01/2016 and number of appointments made during the preceding calendar year, as furnished to the Government, is given below:

CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED														
	REPRESENTATION OF SCs/STs/OBCs.				No. of appointments made during the calendar year									
	(AS ON 01/01/2016)				By Direct Recruitment				By Promotion			By Deputation / Absorption		
Groups	Total No. of Employees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Group A-TOT	182	24	3	16	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0
Group B-TOT	178	28	12	23	2	0	0	2	28	03	0	0	0	0
Group C-TOT	333	55	39	50	9	1	0	4	25	03	0	0	0	0
GROUP D-TOT	74	8	25	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	767	115	79	99	13	1	0	6	62	6	0	0	0	0

Manpower strength of Physically Challenged employees as on 01/01/2016, we have a total of 03 Physically Challenged employees in CCI. The group wise manpower strength of Physically Challenged employees in the Company as on 01/01/2016 is given below:

NAME OF THE UNIT CCI LIMITED																		
Manpower strength of Physically Challenged employees as on 01/01/2016																		
Group-wise manpower strength of Physically Challenged employees as on 01/01/2016																		
Groups	NUMBER OF EMPLOYEES				DIRECT RECRUITMENT (DURING THE CALENDER YEAR)								PROMOTION					
	(AS ON 01/01/2016)				NO. OF VACANCIES RESERVED			NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)				NO. OF VACANCIES RESERVED			NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)			
	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH
Group A	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group B	178	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group C	333	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group D	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	767	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Note: VH stands for Visually Handicapped (persons suffering from blindness or low vision)

ii) HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment)

iii) OH stands for orthopaedically Handicapped (persons suffering from locomotor disability or cerebral palsy)

Salient features of our Units

MANDHAR (Distt. Raipur, Chhattisgarh)

This is the first unit of the Corporation, which went into production in July, 1970 adopting the wet process and this was expanded to produce slag cement from November, 1978. The slag requirement is drawn from Bhilai Steel Plant.

	2015-16	2014-15	2013-14
Installed capacity (in lakh tonnes)	3.80	3.80	3.80
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(1,40)	(1,55)	(1,27)

The production remained suspended due to unit being unviable.

KURKUNTA (Distt. Gulbarga, Karnataka)

This is the second wet process unit which went into production from October, 1972.

	2015-16	2014-15	2013-14
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(1,13)	(1,44)	(1,83)

BOKAJAN (Distt. Karbi Anglong, Assam)

This unit is located in difficult area in Karbi Anglong Distt. of Assam, set up more from a socio economic point of view of serving the neighbouring areas with cement, rather than only from normal economic consideration. Limestone for this unit is transported, by ropeway 18 Kms long, passing through difficult terrain. The unit went into production from 1st April, 1977.

	2015-16	2014-15	2013-14
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)	1.03	0.82	0.92
Value of Production (₹ in lakhs)	44,39	37,55	49,79
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	35	(4,61)	(10,08)

RAJBAN (Distt. Sirmur, Himachal Pradesh)

This is yet another unit located in a hilly and difficult area. In addition to normal communication being difficult, the unit is serviced for both inward movement of materials and outward movement of finished products by road transport for a considerable lead, as the Unit does not have nearby rail head. The entire production of this factory has to be distributed by road. From the quarry situated in the hills, limestone is transported by a ropeway of 9 kms. The unit is in commercial production from April, 1980.

	2015-16	2014-15	2013-14
Installed capacity (in lakh tonnes)	2.48	2.48	2.48
Production (in lakh tonnes)	1.91	1.70	1.25
Value of Production (₹ in lakhs)	88,83	82,72	37,69
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	11,88	(4,42)	(15,51)

NAYAGAON (Distt. Mandasaur, Madhya Pradesh)

This unit with an annual installed capacity of 4 lakh tonnes went into commercial production from 1st March, 1982.

	2015-16	2014-15	2013-14
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(1,18)	(1,46)	(1,28)



Expansion project by another 10 lakh tonnes was undertaken on the concept of split location i.e. clinkerisation at Nayagaon and grinding of clinker at Delhi and Bhatinda. Clinkerisation plant at Nayagaon and grinding unit at Delhi have gone in to commercial production from 1.5.90.

NAYAGAON Expn. Including DGU & BGU

	2015-16	2014-15	2013-14
Installed capacity (in lakh tonnes)	5.00	5.00	5.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	25	(1,71)	(1,49)

AKALTARA (Distt. Bilaspur, Chhattisgarh)

This unit went into commercial production from 1st April, 1981.

	2015-16	2014-15	2013-14
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	2,13	(1,37)	3,28

The production remained suspended due to unit being unviable.

CHARKHI DADRI (Distt. Bhiwani, Haryana)

This was a sick unit taken over by the Government of India and vested with CCI in June, 1981. After rehabilitation within a short period, cement grinding was started by September, 1981 and clinker production started subsequently. Out of two streams, only one was capable of rehabilitation.

	2015-16	2014-15	2013-14
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.74	1.74	1.74
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(142)	(1,70)	(1,53)

The production remained suspended due to unit being unviable.

ADILABAD (Distt. Adilabad, Andhra Pradesh)

This unit went into commercial Production from April, 1984

	2015-16	2014-15	2013-14
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(5,12)	(4,87)	33,10

TANDUR (Distt. K. V. Ranga Reddy, Andhra Pradesh)

This unit went into commercial production from 1st July, 1987

	2015-16	2014-15	2013-14
Installed capacity (in lakh tonnes)	10.00	10.00	10.00
Production (in lakh tonnes)	6.19	7.00	6.19
Value of Production (₹ in lakhs)	2,53,88	2,70,83	2,06,75
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	49,15	63,21	12,81

52वीं वार्षिक रिपोर्ट 2015—16

विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष का भाषण	104
निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	106
सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	131
निगमित शासन पर रिपोर्ट	136
प्रबन्धन के साथ चर्चा और विश्लेषण	145
वार्षिक लेखे 2015—16	148
कैश फ्लो विवरणी	189
निष्पक्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं प्रबंधन के उत्तर	192
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं समीक्षा	204
यूनिटों की प्रमुख विशेषताएं	206

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
नई दिल्ली

52वीं वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे निदेशक मण्डल और अपनी ओर से आपकी कंपनी, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) की 52वीं वार्षिक आम सभा के इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है। इस बैठक में आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कंपनी के प्रयासों में आप रुचि रखते हैं और अपेक्षित सहायता प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। निदेशकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ-साथ 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं को पहले ही परिचालित किया जा चुका है। आपकी अनुमति से मैं यह मानता हूँ कि इन्हें पढ़ लिया गया है।

उद्योग परिदृश्य

सीमेंट पृथ्वी पर पानी के बाद दूसरी सबसे अधिक मात्रा में खपत होने वाली सामग्री है। विश्व भर में सीमेंट की मांग में प्रति वर्ष 4.5% की वृद्धि होने का अनुमान है और वर्ष 2019 तक इसके लगभग 5.2 बिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ने की उम्मीद है। इसी प्रकार भारत में सीमेंट की घरेलू मांग भी वर्ष 2025 तक 550-600 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंचने की आशा है। विश्व भर में सीमेंट की औसतन खपत 513 किलोग्राम की तुलना में भारत के लिए 191 किलोग्राम।

अभी हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों में विभिन्न विरासत स्थलों का पुनरनिर्माण, शहरी विकास, मलिन वस्तियों का पुनरनिर्माण, कंक्रीट रोड, ग्रामीण संपर्क सड़कों और राजमार्गों का निर्माण तथा दिल्ली में विस्तार चरण शामिल हैं, इससे इस क्षेत्र में सीमेंट की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा, जल विद्युत परियोजना बांधों, नदी – नहर लाइनिंग और संपर्क तथा अन्य अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं के चलने से भी सीमेंट की मांग बढ़ेगी। कुछ प्रमुख सरकारी पहलों जैसे स्मार्ट शहरों का विकास, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि से भी इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है।

निष्पादन संबंधी विशेषताएं

- पिछले वर्ष में 449.54 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 436.23 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार

किया गया।

- पिछले वर्ष में 40.08 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 53.51 करोड़ रुपए का निबल लाभ प्राप्त किया गया। पिछले वर्ष में 9.53 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 9.13 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन किया गया।

लाभप्रदता

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष में 40.08 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 53.51 करोड़ रुपए का निबल लाभ प्राप्त किया। सीमेंट का उत्पादन पिछले वर्ष में 9.53 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 9.13 लाख मीट्रिक टन किया गया।

गुणवत्ता प्रबंधन

आपकी कंपनी ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और तांदूर, राजबन और बोकाजन में प्रचालनरत प्लांटों के लिए आईएसओ 9001 प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है। पूरी कंपनी में गुणवत्ता अभिमुखीकरण की संस्कृति विकसित करने के लिए कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी ने सभी स्तरों के कर्मचारियों के कौशल विकास पर सर्वाधिक महत्व दिया है। वर्ष 2015-16 के दौरान कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए 1875 कार्यघंटों का इन-हाउस प्रशिक्षण दिया गया। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर बाह्य प्रशिक्षण के लिए भी अपने कर्मचारियों को नामित किया है। कर्मचारियों के कुछ वर्गों को विभिन्न स्थानों पर उनके कार्य के प्रकार्यात्मक क्षेत्रों से संबंधित कई सेमिनारों और सम्मेलनों के लिए भी नामित किया गया।

सभी प्रचालनरत यूनिटों में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को जोखिम प्रबंधन तकनीकों की संकल्पना और कार्यान्वयन का प्रशिक्षण दिया गया। उपर्युक्त के अलावा आपकी कंपनी ने सभी प्रचालनरत यूनिटों में पर्यवेक्षकीय स्तर के कर्मचारियों की सक्षमता मैपिंग भी संचालित की है ताकि कौशल अंतर को दूर किया जा सके।

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी ने अपने सीएसआर सिद्धांत (दर्शन) के एक भाग के रूप में अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व का हमेशा निर्वहन किया है, जिससे कि व्यापार और समाज विकास में भागीदार बन सकें। अपनी निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के अनुरूप कंपनी ने विभिन्न प्लांट स्थलों पर वहां की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यकलाप शुरू किए हैं।

उपभोक्ता फोकस

आपकी कंपनी हमेशा ग्राहक संतुष्टि के सिद्धांत पर विश्वास करती आई है और इसीलिए कंपनी सकारात्मक फीडबैक प्राप्त करने के प्रयोजन से नियमित अंतराल पर डीलरों की बैठक, मेसनों की बैठक और ऐसे ही अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु लगातार प्रयास करती रही है, जिससे कि अपनी सेवाओं में सुधार किया जा सके और उनका उन्नयन किया जा सके।

निगमित शासन

निगमित शासन पर कंपनी का सिद्धांत (दर्शन) अपने व्यवसाय को इस तरीके से करने पर आधारित है, जो अंशधारकों, उधारदाताओं, क्रेडिटर्स तथा कर्मचारियों सहित कंपनी में सभी शेयरधारकों के लिए नीति परक सैद्धांतिक और पारदर्शी है। सुशासन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा कंपनी अपने सभी अंशधारकों के समग्र हित में अपने प्रचालनों के सभी पहलुओं में इसे बनाये रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। निगमित शासन संबंधी मानकों का और अधिक विस्तार करने के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपनी सचिवालयी लेखापरीक्षा करवाई है। निगमित शासन शीर्षक के अंतर्गत निदेशकों की रिपोर्ट के साथ एक पृथक भाग संलग्न किया गया है।

भावी दृष्टिकोण

आपकी कंपनी गैर परिचालित यूनिटों की बिक्री से प्राप्त निधियों से अनुमोदित योजनाओं में यथापरिकल्पित प्रमुख परियोजनाओं तथा योजनाओं के पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है और उन्हें हरहालत में पूरा करना चाहती है।

आभार प्रदर्शन

आपके सतत सहयोग और विश्वास ने हमें उत्कृष्टता के लिए किए जा रहे हमारे सभी प्रयासों को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है और मैं आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से भारत सरकार विशेष रूप से भारी उद्योग विभाग, लोक उद्यम विभाग के प्रति हमारे सभी प्रयासों में उनके मार्गदर्शन तथा सहयोग हेतु हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ।

हम अपने सभी पणधारकों और निदेशक मंडल के सदस्यों के सक्रिय सहयोग के बिना नए फोकस के साथ निष्पादन में सुधार करने की इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए होते।

इस अवसर पर मैं सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के अपने सभी सम्माननीय ग्राहकों के प्रति भी सीसीआई के उत्पादों को लगातार सहायनीय समर्थन देने के लिए उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

मैं भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक और अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों एवं अभिकरणों, बैंकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रधान निदेशक तथा सदस्य ऑडिट बोर्ड-II के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ।

अंत में, मैं कॉर्पोरेशन के समग्र विकास एवं वृद्धि के लिए इसके कर्मचारियों द्वारा की गई भागीदारी एवं समर्पण की भावना प्रदर्शित करने के लिए उनकी सहायता करता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

धन्यवाद,
जय हिन्द

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 27 सितम्बर 2016

ह0
(मनोज मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में
सभी सदस्य गण

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखा विवरण और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय परिणाम

गत वर्ष के आंकड़ों के साथ-साथ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार रहा:

क्र.सं.	विवरण	रु. करोड़ में	
		31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2015-16) के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2014-15) के लिए
1	निवल बिक्री	393.02	404.10
2	अन्य आय (स्वीकृत योजना के अनुसार असाधारण आय सहित)	63.11	57.28
3	पीबीडीआईटी	63.64	49.41*
4	घटाएं : ब्याज	2.23	2.97
5	मूल्यह्रास से पहले लाभ	61.41	46.44
6	घटाएं : मूल्यह्रास	7.90	6.36
7	मूल्यह्रास और ब्याज से पहले लाभ	53.51	40.08
8	घटाएं : चालू आय कर	0.00	0.00
9	घटाएं : गत वर्ष के आय कर का समायोजन	0.00	0.00
10	घटाएं : आस्थगित कर	0.00	0.00
11	कर पश्चात निवल लाभ	53.51	40.08
12	तुलन पत्र में स्थानांतरित बकाया राशि	53.51	40.08

1.1 वर्ष 2015-16 के दौरान आबकारी कर सहित बिक्री टर्नओवर पिछले वर्ष के 449.54 करोड़ रुपए की तुलना में 436.23 करोड़ रुपए रहा।

1.2 पिछले वर्ष के 40.08 करोड़ रुपए के निवल लाभ की तुलना में कंपनी ने 53.51 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। सीमेंट का उत्पादन पिछले वर्ष के 9.53 लाख एमटी की तुलना में इस वर्ष 9.13 लाख एमटी रहा।

2. लाभांश

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का निवल मूल्य नकारात्मक होने के कारण वित्तीय वर्ष के 2015-16 के लिए आपकी कंपनी द्वारा कोई लाभांश की घोषणा नहीं की जाएगी।

3. व्यापार प्रचालन की समीक्षा और भावी संभावनाएं

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के व्यापार प्रचालन संबंधी विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करना चाहता है :

प्रचालनरत यूनिटें

प्रचालनरत यूनिटों की अलग-अलग और सामूहिक रूप से सीमेंट की सदुपयोग क्षमता (%) क्लिंकर उत्पादन (मीट्रिक टन में) सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन में) और सीमेंट का प्रेषण (मीट्रिक टन में) नीचे दर्शाया गया है :

क. उत्पादन (प्रचालनरत यूनिटें)

	बोकाजन		राजबन		तांदूर		केवल प्रचालनरत संयंत्रों के लिए	
वर्ष	14-15	15-16	14-15	15-16	14-15	15-16	14-15	15-16
सीमेंट की उपयोग क्षमता (%)	41.41	52.03	68.55	77.14	70.06	61.86	65.88	63.13
क्लिंकर उत्पादन (मीट्रिक टन)	72065	80070	133525	153030	667010	632210	872600	865310
सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन)	82010	103015	170005	191300	700670	618555	952685	912870
प्रेषण (मीट्रिक टन)	80275	106088	167691	189209	700020	619021	947986	914318

गैर प्रचालनात्मक यूनिटें

वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी (सीसीआई) की निम्नलिखित छः गैर प्रचालनरत यूनिटें (अदिलाबाद को छोड़कर) बंद रहीं :-

1. मंढार
2. कुर्कुटा
3. नयागांव
4. अकलतरा
5. चरखी दादरी
6. दिल्ली सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट

बोकाजन विस्तार परियोजना

1200 टीपीडी क्लिंकर स्टेशन यूनिट की नई स्ट्रीम के लिए 142.40 करोड़ रुपए की कुल लागत पर दिनांक 24/30.09.2010 को मैसर्स प्रोमेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, बेंगलूर को कार्य आदेश दिया गया। लगभग 22000 घन मीटर के कुल कंक्रीटिंग कार्य की तुलना में लगभग 8270 घन मीटर कंक्रीटिंग का कार्य पूरा हो गया है। बोकाजन साईट में लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के महत्वपूर्ण उपकरणों वाले 18 कंसाइनमेंट प्राप्त हो चुके हैं। संबंधित पक्षकार द्वारा 10 करोड़ मूल्य के सिविल कार्य पूरे कर दिए गए हैं।

पक्षकार ने मई 2014 में परियोजना का कार्य रोक दिया था। तथापि, कई बार बातचीत करने के पश्चात समस्या का समाधान कर लिया गया है और शीघ्र ही परियोजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया जाएगा।

परियोजना के पूरे होने पर बोकाजन यूनिट की क्षमता 1200 टीपीडी तक हो जाएगी। परियोजना सीसीआई को पुराने प्लांटों को स्थानांतरित करने तथा उत्तर पूर्व भारत के अन्य बाजारों तक पहुंचने तथा बोकाजन प्लांट की लाभप्रदता तथा टर्नओवर को बढ़ाने में मदद करेगी।



ख. लाभप्रदता

कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान 40.08 करोड़ रुपए के निबल लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 53.51 करोड़ रुपए का निबल लाभ अर्जित किया है। पिछले वर्ष के दौरान सीमेंट का उत्पादन 9.53 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष के दौरान 9.13 लाख मीट्रिक टन रहा है।

ग. बिक्री

कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान 449.54 करोड़ रुपए के बिक्री टर्नओवर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 436.23 करोड़ रुपए के बिक्री टर्नओवर आबकारी कर सहित का लक्ष्य अर्जित किया है।

घ. विपणन और विपणन परिवेश

सीमेंट की बिक्री पिछले वर्ष के दौरान 9.59 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष के दौरान घटकर 9.16 लाख मीट्रिक टन हो गई है, इस प्रकार इसमें 4.48% की हानि दर्ज की गई। पूरे वर्ष के दौरान प्राइस फ्रंट पर दबाव के बावजूद बिक्री 214.20 रुपए प्रति बैग से बढ़कर 220.10 रुपए प्रति बैग हजो गई और इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 2.74 % की वृद्धि दर्ज की गई।

यद्यपि कंपनी पिछले वर्ष के बिक्री आंकड़ों का लक्ष्य पूरा नहीं कर सकी, परंतु वर्ष 2015–16 के दौरान बोकाजन और राजबन यूनिट ने गत वर्ष के बिक्री आंकड़ों से अधिक बिक्री की और राजबन यूनिट ने अब तक का सर्वोत्कृष्ट बिक्री निष्पादन किया।

राजबन यूनिट ने उत्तर क्षेत्र के बाजारों में मांग बढ़ने पर 222.89 रुपए प्रति बैग की औसत वसूली से वर्ष 2015–16 के दौरान 1.90 मीट्रिक टन सीमेंट की बिक्री कर अब तक का सर्वोत्कृष्ट बिक्री निष्पादन लक्ष्य हासिल किया है। आनेवाले वर्ष के दौरान भी ऐसे ही रुझान बने रहने की उम्मीद है। दक्षिणी बाजार, विशेष रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मांग नहीं बढ़ी और इसी के चलते पूरे वर्ष भर सीमेंट के दामों पर लगातार दबाव बना रहा। गैर व्यापारिक और फुटकर सीमेंट क्षेत्र में मांग अवश्य बढ़ी। इसके परिणामस्वरूप तांदूर यूनिट अपने गत वर्ष के निष्पादन लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पायी और बिक्री में 12% की कमी के साथ 6.21 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े तक ही पहुंच सकी। दक्षिणी बाजार में मूल्य कम होने के बावजूद भी तांदूर यूनिट ने 206.06 रुपए प्रति बैग की तुलना में 211.20 रुपए प्रति बैग की वसूली कर औसत वसूली में वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने बेंगलोर में अपने ब्रांड का पुनः पदार्पण किया है और कर्नाटक क्षेत्र में इसके बेहतर परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। महाराष्ट्र क्षेत्र में मुख्यतया सूखे जैसी स्थितियों और क्षमता अभिवृद्धि के चलते वहां का बाजार कमजोर बना रहा, जिसके फलस्वरूप सीमेंट के दाम प्रभावित हुए।

तांदूर यूनिट में फुटकर सीमेंट क्षेत्र भी अब स्थिर है। कंपनी ने वर्ष 2015–16 के दौरान 104366 मीट्रिक टन फुटकर सीमेंट की बिक्री की है, जो तांदूर यूनिट की कुल बिक्री के 16.81% के समतुल्य हैं। इस क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में 41% की वृद्धि देखी गई है। इस वर्ष भी इसमें और अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि अधिकाधिक अवसंरचना परियोजनाएं और संविदाकार लागत प्रभावी होने के कारण फुटकर खुले सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान तुलनात्मक रूप से कमतर निष्पादन के पश्चात बोकाजन यूनिट में बिक्री की मात्रा और वसूली दोनों के संदर्भ में वर्ष 2015–16 के दौरान अपने निष्पादन में सुधार प्रदर्शित किया है। 32% की वृद्धि के साथ बिक्री की मात्रा बढ़कर 1.06 लाख मीट्रिक टन हो गई है और जहां तक प्रति बैग वसूली का संबंध है तो यह पिछले वर्ष 262.83 रुपए प्रति बैग की तुलना में बढ़कर 267.16 रुपए प्रति बैग हो गई है।

4. पूंजीगत संरचना

कॉर्पोरेशन को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार से इक्विटी के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और वर्ष के अंत में आपकी कंपनी की पूंजी 811.41 करोड़ रुपए बनी रही अर्थात इसकी पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

5. मेहनताना नीति

सीसीआई में कार्यपालकों के वेतन और अन्य लाभ भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2009 की फाईल संख्या 1 (6) 2009-पीई XII के अपने पत्र के जरिए जारी किए गए राष्ट्रपति जी के निदेशों पर आधारित हैं। 01.01.2007 से लागू पिछला वेतन संशोधन इस मंत्रालय के दिनांक 26 नवंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-XVI/08 दिनांक 09 फरवरी 2009 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-IV/09 और दिनांक 02 अप्रैल 2009 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-IV/09 के आधार पर लागू किया गया था। पीआरपी कंपनी के निष्पादन/लाभप्रदता के साथ-साथ व्यक्ति विशेष के निष्पादन की रेटिंग पर आधारित होती है, जो संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप होती है।

6. ईआरपी का कार्यान्वयन

कॉर्पोरेशन में टैली ईआरपी-9 का कार्यान्वयन चल रहा है और इसका कार्य मैसर्स फ्यूचर्स टेक्नोलॉजीज को सौंपा गया है। टैली ईआरपी-9 का कार्यान्वयन सभी प्रचालनरत यूनिटों और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ निगमित कार्यालय में भी किया जा रहा है।

7. मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंधरू

आपकी कंपनी मानव संसाधन को अत्यधिक महत्व देती है क्योंकि कर्मचारी ही किसी भी संगठन की सबसे मूल्यवान परिसंपत्ति होते हैं। आपकी कंपनी में विभिन्न प्रकार के कौशल तथा क्षमता वाले 747 कर्मचारी शामिल हैं। मानव संसाधनों के विकास हेतु आपका कॉर्पोरेशन प्रतिबद्ध है और उन्हें संगठन के उद्देश्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। आपका कॉर्पोरेशन मानवीय क्षमताओं का समुचित विकास सुनिश्चित करने तथा इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान परिसम्पत्ति माने जाने वाले कर्मचारियों के कल्याण हेतु हर संभव प्रयास करता है।

कॉर्पोरेशन की सभी यूनिटों में पूरे वर्ष भर औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण बने रहे। विभिन्न मंचों पर ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों के साथ उपयोगी विचार विमर्श और चर्चा की जा रही है। जिसने संचालन, शिकायत और मतभेदों के समाधान तथा औद्योगिक संबंधों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान एक भी कार्य दिवस का नुकसान नहीं हुआ।

8. मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी मानव संसाधन विकास की आवश्यकता के प्रति सजग है और एक स्वस्थ कार्य संस्कृति बनाए रखने तथा उच्चतर लक्ष्य एवं उत्पादकता प्राप्त करने के साथ-साथ भावी चुनौतियों का मुकाबला करने हेतु मानव संसाधनों के विकास पर बल दिया गया है। मानव क्षमता के पुनर्गठन और विस्तार हेतु कंपनी ने मैसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) हैदराबाद को कॉर्पोरेशन में मानव क्षमता का अध्ययन कराने के लिए नियुक्त किया है। इस संबंध में एएससीआई द्वारा प्रबंधन को एक आरंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और कंपनी को कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, वार्ताओं का दूसरा राउंड भी आयोजित किया गया तथा फाइनल प्रिंट भी दिया गया, जिन्हें इस रिपोर्ट में शामिल किया जाना है। समेकित और अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपयुक्त जनशक्ति के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

9. प्रशिक्षण एवं विकास:

मानव संसाधन विकास के एक भाग के रूप में आपकी कंपनी ने प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों के कौशल विकास को पूरा महत्व दिया है। 2015-16 के दौरान, कर्मचारियों को उनके कौशल संवर्धन हेतु कुल 1875 दिनों की इन-हाउस ट्रेनिंग दी गई। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर बाहरी प्रशिक्षण हेतु भी कर्मचारियों को मनोनीत किया है। कर्मचारियों के एक विशेष समूहको विभिन्न स्थानों पर उनके प्रकार्यात्मक कार्यक्षेत्र से जुड़े विभिन्न सेमीनार तथा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए मनोनीत किया गया।

आपकी कंपनी की सभी प्रचालनात्मक यूनिटों के वरिष्ठ अधिकारियों को जोखिम प्रबंधन तकनीकों के क्रियान्वयन तथा अवधारणा से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने प्रचालनरत यूनिटों में पर्यवेक्षक स्तर के कर्मचारियों की दक्षता मैचिंग भी संचालित की ताकि कौशल की कमी को पूरा किया जा सके।

10. शिकायत निवारण प्रक्रिया:

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में शिकायत निवारण प्रणाली का बहुत ही प्रभावी ढंग से रखरखाव किया जा रहा है और प्रत्येक कर्मचारी को मजदूरी से संबंधित मामलों, कार्य की स्थितियों, छुट्टी, सौंपे गए कार्यों और कल्याण संबंधी सुविधाओं के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए प्रत्येक चरण पर अवसर दिया जाता है। ज्यादातर शिकायतों का निराकरण यूनिटों में मौजूद प्रतिभागी प्रकृति वाले वातावरण को ध्यान में रखते हुए अनौपचारिक रूप से किया जाता है। शिकायत निवारण प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है तथा कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी एवं कारगर सिद्ध हुई है।

11. महिला कर्मचारियों का कल्याण:

आपकी कंपनी महिला कल्याण के लिए अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति पूरी तरह से सजग है। कॉर्पोरेशन की विभिन्न यूनिटों / कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को सभी सांविधिक और अन्य लाभ बराबर दिए जाते हैं।

महिला कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से सीसीआई की सभी यूनिटों में महिला क्लबों की स्थापना की गई है, जहां महिलाओं के लिए बहुत से सामाजिक और मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इन विभिन्न क्लबों में कम्प्यूटर साक्षरता, महिला और बाल स्वास्थ्य देख-रेख आदि जैसे विषयों पर व्यावसायिक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। कॉर्पोरेशन महिला कल्याण के लिए ऐसी गतिविधियों के आयोजन के लिए समय समय पर अवसंचनात्मक और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जहां तक कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का संबंध है, तो इस बारे में 2015-16 के दौरान हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

12. राजभाषा कार्यान्वयन:

कॉर्पोरेशन ने संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार राजभाषा का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखे हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है और कॉर्पोरेशन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों में भी नियमित रूप से एवं सक्रिय भागीदारी करता है। अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिन्दी सप्ताह/पखवाड़ा मनाया जा रहा है।

13. निगमित शासन का अनुपालन

आपकी कंपनी ने अपने सीएसआर सिद्धांत के एक अंश के रूप में अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को सदैव निभाया है जिसके अनुसार व्यवसाय और समाज दोनों विकास के लिए भागीदार बन सकते हैं। अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसार आपकी कंपनी ने अपने प्लांटों के स्तर पर विभिन्न गतिविधियां तथा बहुत सी पहलों को संचालित किया है।

14. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय संबंधी विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(एम) के अंतर्गत यथावश्यक ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय संबंधी विवरण अनुबंध में दिए गए हैं और यह अनुबंध इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

15. कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित विवरण

जोखिम प्रबंधन प्रणाली कॉर्पोरेशन के निगमित और प्रचालनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप एकीकृत और संरेखित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन सामान्य व्यापार प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाता है और इसके लिए अलग से समय निर्धारित करके कोई कार्य नहीं किया जाता है।

16. कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व प्रयास नीति के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित विवरण

आपकी कंपनी ने अपने सीएसआर सिद्धांत के एक अंश के रूप में अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को सदैव निभाया है जिसके अनुसार व्यवसाय और समाज दोनों विकास के लिए भागीदार बन सकते हैं। अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसार आपकी कंपनी ने अपने प्लांटों के स्तर पर विभिन्न गतिविधियां तथा बहुत सी पहलों को संचालित किया है।

17. सतर्कता विभाग की गतिविधियां और उपलब्धियां

अपने कर्मचारियों के व्यवहार और आचरण को विनियमित करने के लिए एक निर्धारित नियमावली के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) में एक मजबूत सतर्कता यूनिट की आवश्यकता है। सतर्कता को प्रबंधन की एक अनिवार्य शाखा (अनुशासन) के रूप में देखा जाना चाहिए। यह किसी भी संगठन में उतना ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जितना की वित्त, मानव संसाधन, तकनीकी, विपणन आदि। यदि किसी संगठन में सतर्कता यूनिट या सतर्कता की व्यवस्था प्रभावी है, तो यह अन्य शाखाओं की कार्य प्रणाली को भी प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायक होगी और सुचारु रूप से संचालन सुनिश्चित होगा। सतर्कता यूनिट के कार्य निवारक सतर्कता, अनुशासनिक सतर्कता और अपवेषणात्मक सतर्कता के रूप में विभाजित होते हैं। सीसीआई में सतर्कता यूनिट ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

निवारक सतर्कता के अंतर्गत ऐसे नियमों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों की लगातार समीक्षा करना आवश्यक होता है, जिनमें भ्रष्टाचार होने अथवा किए जाने की संभावना हो। इसमें संगठन के विभिन्न क्षेत्र जैसे क्रय, विक्रय, सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य, इंटेंटीरी, वित्त, कार्मिक, प्रचालन, एम एंड सीएस आदि क्षेत्र शामिल होते हैं। बिलों के संसाधन की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के प्रयोजन से यह सुझाव दिया गया था कि केंद्रीकृत बिल रजिस्टर बनाकर बिलों का संसाधन वरिष्ठता क्रम में किया जाएगा। इसके अलावा जहां तक चिकित्सा व्यवस्था संबंध है, तो इसके लिए बीमारियों की गंभीरता के साथ-साथ संबंधित कर्मचारी की वित्तीय स्थिति के आधार पर चिकित्सा नियमों में छूट के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और एक समान प्रक्रिया अपनायी जाए तथा उसे लिखित रूप में लेखबद्ध की जाए। इसके अलावा इन मामलों पर क्रमबद्ध ढंग से ही कार्रवाई की जानी चाहिए। मामलों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचारार्थ क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत न करने वाले संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए एक प्रणाली लागू की जाए और तदनुसार उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।

क्लंकर की कमी की समस्या से निपटने के लिए व्यवस्थित सुधार जैसे भार मशीन की स्थापना, क्लंकर गैट्री के बाहर पड़े हुए क्लंकर की रिप्रोसेसिंग/ग्राइंडिंग ऐसे बिंदुओं का नियमित रूप से रखरखाव, जहां से लीकेज की समस्या रहती है आदि को लागू करने के लिए सुझाव दिए गए हैं।

तीनों प्रचालनरत यूनिटों के संदर्भ में सीमेंट के मौजूदा एक्स-फैक्टरी मूल्यों को सीसीआई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एक प्रणाली लागू की गई है।

‘संदेहास्पद सत्यनिष्ठा’ वाले अधिकारियों की सूची और ‘सहमति सूची’ तैयार की गई है तथा तदनुसार अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से बिक्री डंप की नियमित रूप से/औचक जांच की जाती है।

कार्मिक, विपणन और बिक्री/कार्य नीति/नियम पुस्तकों को अद्यतन करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। ई-निविदा प्रक्रिया ई-क्रय प्रक्रिया का एक भाग है। सीसीआई पहले से ही ई-निविदा प्रक्रिया अपने निविदा नोटिस (एनआईटी) जारी कर रहा है।

समाचारपत्रों में निविदा नोटिस (एनआईटी) की छोटी क्लिपिंग प्रकाशित कर निविदा दस्तावेज के साथ-साथ एनआईटी सीसीआई की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। सीसीआई के पास केंद्रीय रूप से क्रय किए जाने वाले आइटमों के लिए एक वेंडर सूची उपलब्ध है। इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है और नए वेंडरों को शामिल कर इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। सीसीआई में 90% से अधिक भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया जाता है। सीसीआई में यथासंभव सीमा तक ई-क्रय और ई-निविदा प्रणाली का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सीसीआई में सत्यनिष्ठा समझौता को अपनाने की प्रक्रिया चल रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के सामर्थ्य का लाभ उठाने के उद्देश्य से ईआरपी का कार्यान्वयन चल रहा है, जिससे कि कॉर्पोरेशन के विभिन्न कार्यकलापों और प्रचालनों के लिए इसे लागू किया जा सके। सीसीआई की वेबसाइट के संबंध में आरटीआई अधिनियम की सभी सांविधिक अपेक्षाओं और विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों से जुड़ी अन्य अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाता है।

सीसीआई के निदेशक मंडल द्वारा सतर्कता संबंधी कार्यकलापों की अर्धवार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है। इस उद्देश्य से एक विस्तृत कार्यसूची तैयार की जाती है, जिसमें प्राप्त/निपटाई गई शिकायतों, छोटी/बड़ी शास्तियों, उनके संबंधी में की गई कार्रवाई, महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित सार, सतर्कता के साथ-साथ अन्य चिंताजनक क्षेत्रों में प्रशिक्षण और जनशक्ति सहित सभी कार्यकलापों को शामिल किया जाता है। सीवीसी, डीएचआई और अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की जांच भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है तथा अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान दोषी पाये गए चूककर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग और भारी उद्योग विभाग के सतर्कता अनुभाग के साथ परामर्श सहित सभी चरणों पर सतर्कता मामलों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। सीसीआई के अधिकारियों द्वारा दायर की गई रिट याचिका के संबंध में उचित और पर्याप्त कार्रवाई की गई। यह सुनिश्चित किया गया कि जो कर्मचारी शीघ्र ही सेवानिवृत्त होनेवाले हैं, उनके संबंध में लंबित मामलों का निपटान त्वरित ढंग से किया जाए।

कर्मचारियों से वार्षिक संपत्ति विवरणी प्राप्त की जा रही है। सतर्कता संबंधी कार्यकलापों के बारे में सभी विहित मासिक, तिमाही और वार्षिक विवरणियां सीवीसी, डीएचआई आदि को समय पर भेजी जा रही हैं। सीवीसी के अनुदेशों के अनुपालन में निगमित कार्यालय, यूनिटों, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में वार्षिक रूप से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, सीसीआई के कर्मचारियों को गोपनीय कार्यालयी कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त कर डीओपीटी के अनुदेशों के संदर्भ में सीबीआई को सहयोग / सहायता प्रदान की गई।

18. ई-क्रय

हमारे संगठन में ई-क्रय प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है। ई-क्रय सेवाओं के लिए उनके पोर्टल का इस्तेमाल करने हेतु मैसर्स एमएसटीसी, नई दिल्ली के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। तदनुसार मैसर्स एमएसटीसी ने यूनिटों और निगमित कार्यालय के प्रयोक्ता अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया था और इस प्रणाली को 01 जुलाई 2015 से ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। सीसीआई की वेबसाइट पर वेंडर पंजीकरण के लिए एक प्रपत्र अपलोड किया गया है और जब कभी वेंडर आवेदन करते हैं, उन्हें यूनिटों और निगमित कार्यालय, दोनों स्तरों पर पंजीकृत किया जा रहा है। क्रय तथा सेवाओं के लिए 1.0 लाख रुपए से अधिक की सभी निविदाओं को यूनिट तथा निगमित कार्यालय, दोनों स्तरों पर मैसर्स एमएसटीसी के ई-क्रय पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

19. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में इसकी नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम, परिशुद्ध और त्वरित वित्तीय रिपोर्टिंग, बेहतर निगमित शासन की दिशा में जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार करने और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने सहित अपने व्यापार के सुचारु एवं दक्ष ढंग से संचालन के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। कंपनी में दो प्रकार की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मौजूद है, जो मुख्यतया निम्नानुसार है: —

1) स्वतंत्र सनदी लेखाकार फर्म द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा 2) इन हाउस लेखापरीक्षा

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात लेखापरीक्षा समिति द्वारा बाह्य आंतरिक लेखापरीक्षकों

की नियुक्ति की जाती है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ प्रबंधन को आवधिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं और उपर्युक्त इनहाउस आंतरिक लेखापरीक्षा दल के अलावा निदेशक (वित्त) के पर्यवेक्षण में कंपनी की लेखापरीक्षा समिति का भी गठन किया गया है।

कंपनी में सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों को शामिल करते हुए प्रबंधन द्वारा जारी की गई विभिन्न आचार संहिताओं, नियम पुस्तकों और प्रक्रियाओं अर्थात् विपणन संबंधी नियम पुस्तक, क्रय और कार्य संबंधी नियम पुस्तक, सामग्री, भंडार, लेखा और कार्मिक नियम पुस्तक आदि के रूप में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय किए गए हैं। लेखा संबंधी नियम पुस्तक को अद्यतन किया गया है, तथापि प्रबंधन ने बेहतर जांच और नियंत्रण के प्रयोजन से अन्य सभी नियम पुस्तकों को भी समय-समय पर अद्यतन करने के लिए कदम उठाए हैं।

कंपनी वित्त के साथ-साथ कॉर्पोरेशन के प्रचालनात्मक क्षेत्रों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में सुधार के लिए सुझाव देने और अध्ययन करने के लिए किसी विशेषज्ञ परामर्शदाता अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म अथवा आंतरिक लेखापरीक्षक के माध्यम से उक्त कार्य करवाने की भी योजना बना रही है।

20. समझौता ज्ञापन

डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीआई ने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके लिए समझौता ज्ञापन के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित समझौता ज्ञापन के लक्ष्य सीसीआई के लिए बेंचमार्क है और तदनुसार हमने इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। बाजार में मंदी का दौर जारी रहने तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान डीपीई द्वारा हमें “बहुत अच्छी” रेटिंग दी गई है। वर्ष 2015-16 के लिए एमओयू रेटिंग पर डीपीई द्वारा विचार किया जा रहा है।

21. ऋणों, गारंटियों अथवा निवेश के विवरण

आपकी कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत कोई सरकारी ऋण, गारंटियां अथवा निवेश नहीं किया गया है।

22. लेखापरीक्षकों और पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा अपनी रिपोर्टों में अर्हताओं, अवलोकनों अथवा प्रतिकूल अभ्युक्तियों या अस्वीकारोक्तियों पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणियां :

सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बारे में प्रबंधन का उत्तर निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

23. संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरण

आपकी कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संविदा अथवा व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं।

24. कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति, मेहनताने के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में कंपनी की नीति:

सीसीआई भारत सरकार की एक कंपनी अर्थात् सीपीएसई होने के नाते इसके निदेशक की नियुक्ति, मेहनताने और अन्य देय भत्तों के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्णय किया जात है।



25. वार्षिक विवरणी (रिटर्न)

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 के साथ पठित अधिनियम की धारा 92 के प्रावधानों के अनुक्रम में वार्षिक विवरणी का सारांश इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

26. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित की गई निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की पांच (5) बैठकों का आयोजन किया है।

27. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के फार्म वाले भाग और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

28. निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के अंतर्गत आपका निदेशक मंडल एतद्वारा अपनी जिम्मेदारियों के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता है:-

- (क) वार्षिक लेखे तैयार करने में वास्तविक विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों को अपनाया गया है;
- (ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया और उन्हें लगातार लागू किया गया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित एवं स्वायत्त हैं ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के लाभ अथवा हानि की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;
- (ग) निदेशकों द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गयी है; और
- (घ) निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखे एक निरंतर जारी प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किए गए हैं।
- (ङ) निदेशकों द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली निर्धारित की गई थी जिसका कंपनी को अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाया गया और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और कंपनी द्वारा प्रभावी ढंग से प्रचालित किए जा रहे थे। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित अपने व्यापार का क्रमिक रूप से और दक्षता पूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियां और प्रक्रियाएं अभिप्रेत है।
- (च) निदेशकों द्वारा सभी लागू सांविधिक विधियों, विनियमों और कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से प्रचालित की जा रही थीं।

29. सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट कंपनियां

आपकी कंपनी के पास कोई सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट कंपनियां नहीं हैं।

30. जमा राशियां

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न तो कोई जमा राशियां स्वीकार की हैं और न ही उनका नवीनीकरण किया है।

31. निदेशक मंडल

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित निदेशक नियुक्त हुए/त्यागपत्र दिया गया

- श्रीमति दिवोजोत कोहली ने अपने कार्यकाल के पूरे होने के कारण दिनांक 24.11.2015 को पद से हट गयीं। कंपनी ने उनके कार्यकाल में उनके दिशानिर्देश तथा उनके योगदान के कारण प्रशंसनीय जगह बनाए रखी है।
- श्री बी. वी. एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) तथा श्री शे. शक्तिमणी, निदेशक (वित्त) निदेशक मण्डल में क्रमशः 19.01.2016 तथा 07.03.2016 को शामिल हुए।
- श्री एस सी अग्रवाल ने 05.05.2015 से कंपनी के निदेशक (वित्त) के पद से त्यागपत्र दे दिया है।

32. स्वतंत्र निदेशकों के बारे में घोषणा

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सीसीआई के निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

33. कंपनी की वेबसाइट का लिंक

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ ही साथ विभिन्न नीतियां कंपनी की वेबसाइट www.cementcorporation.co.in पर उपलब्ध हैं।

34. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रयास करती रही है। कंपनी ने आरटीआई अधिनियम की धारा 5 और धारा 19 (1) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी तथा पारदर्शिता अधिकारी पदनामित किए हैं। कंपनी के सभी प्लान्टों और यूनिटों द्वारा आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

कंपनी की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराने सहित एक विशिष्ट आरटीआई कॉर्नर विकसित किया गया है। अपीलीय प्राधिकारियों, पीआईओ, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी के विवरण भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

35. विदेशी विनिमय से अर्जन और बहिर्गमन:

हमसे समय-समय पर विभिन्न पक्षकारों द्वारा निर्यात के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे प्लान्टों की भौगोलिक स्थिति अलाभकर होने, जो समुद्री बंदरगाहों से काफी दूर हैं, इसके कारण प्लान्ट से निकटतम समुद्री बंदरगाहों तक अंतर्देशीय मालभाड़ा काफी अधिक हो जाता है। इस वजह से हमारा एफओबी मूल्य प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाता है। जब कभी भी मौका मिलता है, तो इस अवसर का लाभ उठाने के लिए निर्यात के क्षेत्र में निकटतम निगरानी की जा रही है। तथापि पूरे उत्पादित सीमेंट की बिक्री घरेलू बाजारों में ही की जा रही है।



36. लेखापरीक्षक:

सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2015-16 के लिए मेसर्स कपूर भूषण एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, दिल्ली को प्रधान सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया और मेसर्स डी एल गोएनका एंड कंपनी, मेसर्स झांवर एंड कंपनी, मेसर्स गोपाल एंड रंजन, मेसर्स डीसीजी एंड कंपनी, मेसर्स पी गग्गर एंड एसोसिएट्स, मेसर्स एन सांबाशिव एंड कंपनी, मेसर्स एसएसआर एंड कंपनी, मेसर्स सत्यनारायण एंड कंपनी शाखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गयी है।

लागत लेखापरीक्षक

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) संशोधन नियमावली, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर मेसर्स सुभद्रा दत्ता एण्ड एसोसिएट, लागत लेखाकार, मेसर्स जुगल के पुरी एंड एसोसिएट्स, देहरादून, लागत लेखाकार, मेसर्स बीवीआर एंड एसोसिएट्स, हैदराबाद, लागत लेखाकार को लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, वार्षिक आम सभा के आयोजन संबंधी नोटिस में उल्लिखित मेहनताने पर 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी की लागत लेखापरीक्षा संचालित करेंगे।

अधिनियम के प्रावधानों के तहत यथावश्यक होने से लागत लेखापरीक्षक को देय मेहनताने को संशोधन अथवा पुष्टि के लिए वार्षिक आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तदनुसार लागत लेखापरीक्षकों को देय मेहनताने के लिए सदस्यों की पुष्टि प्राप्त करने विषयक संकल्प को आगामी वार्षिक आम सभा के नोटिस के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है।

सचिवालयी लेखापरीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और मेहनताना) नियमावली, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी की सचिवालयी लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। सचिवालयी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अनुबंध के रूप में संलग्न है। सचिवालयी लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के संदर्भ में अपने निदेशक मंडल ने निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया है :

- (क) “निदेशक मंडल में आवश्यक स्वतंत्र निदेशक/महिला निदेशक के अभाव में डीपीई के दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल/लेखापरीक्षा समिति का विधिवत गठन नहीं किया जा सका। तथापि प्रशासनिक मंत्रालय को खाली स्थानों से भरने से संबंधित अनुरोध भेजा गया था। प्रशासनिक मंत्रालय ने 29.06.2016 से सीसीआई के निदेशक मंडल में एक पार्ट टाइम गैर शासकीय (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त किया है।
- (ख) बोर्ड के बीआईएफआर नामितियों के 24.11.2015 से पद से हटने के कारण कंपनी की सीएसआर समिति 24 नवंबर 2015 तक ही है।

37. लेखापरीक्षा समिति के स्वरूप के बारे में प्रकटन और सतर्कता तंत्र उपलब्ध कराना

लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

- क. श्रीमती दिवजोत कोहली (बीआईएफआर नामिती) – अध्यक्ष
- ख. श्री मनोज मिश्रा – सदस्य
- ग. श्री ए एम, मनीचन – सदस्य

उपर्युक्त लेखापरीक्षा समिति 24.11.2015 से कॉर्पोरेशन के निदेशक के रूप में श्रीमती दिवजोत कोहली (बीआईएफआर नामिती) के पद से हटने के बाद खत्म हो जाएगी।

कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्हिसिल ब्लोवर नीति लागू की गई है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों और निदेशकों जो अपनी चिंताओं को उजागर करते हैं, को शोषण का शिकार होने से बचाने के लिए भी पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। कंपनी में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात करने की भी सुविधा प्रदान की है, जो कर्मचारियों और कंपनी के हितों से संबंधित मुद्दों के बारे में रिपोर्ट करने पर कंपनी की व्हिसिल ब्लोवर नीति के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी हैं। व्हिसिल ब्लोवर नीति को कंपनी की अधिकृत (सरकारी) वेबसाइट : www.cementcorporation.co.in पर भी होस्ट किया गया है।

38. आभार प्रदर्शन

निदेशक मंडल, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के साथ-साथ रेल मंत्रालय, डीजी एस एण्ड डी, पीईएसबी, बीआईएफआर, वित्तीय संस्थानों, बैंकों और केन्द्रीय और राज्य सरकार के अन्य विभागों से कॉर्पोरेशन को प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता है। हम सीसीआई के उत्पादों पर लगातार विश्वास प्रकट करने और सहयोग प्रदान करने के लिए सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों के सम्मानित ग्राहकों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल मेसर्स कपूर भूषण एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक तथा प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा और पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निदेशक मंडल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के समर्पण हेतु हृदय से उनकी प्रशंसा करना चाहता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
ह0
(मनोज मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

तारीख : 23.09.2016

स्थान : नई दिल्ली

सीएसआर संबंधी कार्यकलाप

1. शुरु किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यकलापों, परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों की समीक्षा और सीएसआर नीति के वेब-लिंक के संदर्भ सहित कंपनी की सीएसआर नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी :

सीसीआई की सीएसआर और स्थायित्व नीति की परिकल्पना “प्राथमिक रूप से ऐसे परियोजना क्षेत्रों, जहां कंपनी का प्रचालन चल रहा है, में स्थाई आधार पर समुदायों और पणधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सक्रिय भूमिका अदा कर अपनी सामाजिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता” निम्नलिखित रूप में की गई है।

सीसीआई अपनी सीएसआर और स्थायित्व नीतियों और कार्यकलापों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सुझाए गए कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों, योजनाओं और रणनीतियों के अनुरूप एकीकृत और संरेखित करता है। सीएसआर और स्थायित्व नीति सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा लागू की जाएगी और इसे सीसीआई के सभी कार्यकलापों, प्रक्रियाओं और लेनदेनों में परिलक्षित होना चाहिए।

सीएसआर नीति का वेब-लिंक पता : <http://www.cementcorporation.co.in/page.php?id=194> है।

2. सीएसआर समिति का स्वरूप निम्नानुसार है :

निदेशक मंडल के स्तर वाली निगमित सामाजिक जिम्मेदारी समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

क. श्री मनोज मिश्रा – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ख. श्रीमती दिवजोत कोहली (बीआईएफआर नामिती)

ग. श्री ए एम, मनीचन – (सरकारी नामिती)

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत निबल लाभ : 2146 लाख रुपए रहा।

4. विहित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद संख्या 3 में उल्लिखित राशि का 2%) : 43 लाख रुपए

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर किए गए व्यय के विवरण :

(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि : 43 लाख रुपए

(ख) खर्च न की गई राशि, यदि कोई है : 39 लाख रुपए

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान राशि को खर्च किए जाने के ढंग के विवरण नीचे दिए गए हैं :

(₹ लाखों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
क्र. सं.	पहचान की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	परियोजना अथवा कार्यकलाप (1) स्थानीय अथवा अन्य	परियोजना परिव्यय की राशि (बजट)	खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण	बोकाजन	.	4	.	प्रत्यक्ष

ह0

(शे. शक्तिमणी)

महाप्रबंधक (वित्त) / सीएफओ

ह0

(मनोज मिश्रा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली 1988 के अंतर्गत आवश्यक विवरण

क. ऊर्जा संरक्षण

(क) किए गए ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपाय:—

बोकाजन

- दैनिक आधार पर विद्युत खपत की निगरानी की जा रही है।
- उपस्करणों के बेकार संचालन को नियंत्रित और न्यूनतम किया गया है।
- उच्च वोल्टेज वाले प्रकाश उपकरणों को सीएफएल फिक्चर्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

राजबन

- ईओटी क्रेन के पुराने और अप्रचलित बूस्टर ट्रांसफार्मर को नए संस्करण वाले बूस्टर ट्रांसफार्मर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
- तीन कम्प्रेसर हाऊस के तीन लिक्विड रोटर स्टार्टर बदल दिये गए हैं।
- तीन लिक्विड रोटर स्टार्टर क्रय किए गए हैं जो कि 300 एचपी कम्प्रेसर हाऊस में लगने हैं।
- गेस्ट हाऊस क्षेत्रों, जीएम रेजिडेंस के क्वार्टर नं. डी-1, डी-2 कालोनी स्ट्रीट लाइटिंग एवं एडीएम बिल्डिंग में उच्च क्षमता वाली पारंपरिक लाइट फिटिंग के स्थान पर एलईडी लाइट फिटिंग की स्थापना की जा रही है।
- केवल ऊर्जा दक्ष इलेक्ट्रॉनिक चोक और रेग्युलेटर ही लगाए जा रहे हैं।

तांदूर

- 1.5 करोड़ रुपये लागत से एल एस क्रशर 750 केवी, वीआरएम फेन, 3200 केवी कोलविल फैन, 225 केवी कोलमिल मेन ड्राईव एवं 45 अन्य मोटरें 110 किलो वाट को नई एनर्जी मोटरों से बदला गया है।
- 06 डब्लू एफ डी पैनल एवं एनर्जी मोटरें खरीदने का कार्य जारी है।
- अन्य ऊर्जा बचत करने का कार्य किया गया है। जैसे ज्यादा केवी मोटरो को कम किलोवाट मोटरों को बदला गया है। 24 लाख रुपये की लागत से उच्च बोल्टेज वाली लाइटों को एलईडी ट्यूबो द्वारा बदलने का कार्य प्रगति पर है।
- 1.84 लाख रुपये की लागत से 6 सोलर स्ट्रीट लाईटें, कालोनी, प्रशासनिक भवन एवं मैगजीन क्षेत्र में लगाने का कार्य पूरा हो चुका है।
- स्ट्रीट लाईट और ऊँचे खम्बों पर टाइम स्वीच कंट्रोल सिस्टम लगाये गए हैं।
- नई कोल फाइरिंग पाइप लाइन बिछा दी गई है। जिससे 250 एचपी कम्प्रेसर वाली मोटरों के प्रेशर में कमी आए तथा 100 एचपी मोटरों का सरकिट बदलने की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) कुल ऊर्जा खपत और प्रति यूनिट उत्पादन के अनुसार ऊर्जा खपत :

1. विद्युत

(2015-2016)

(2014-2015)

(प्रचालनरत यूनिट मात्र) (प्रचालनरत यूनिट मात्र)

क) खरीद

i) यूनिट (लाख में)	1148.02	1230.56
ii) कुल राशि (लाख रुपए में)	6640	7426
iii) दर प्रति यूनिट	5.78	6.03

ख) स्वयं का उत्पादन

i) डीजल जनरेटर के माध्यम से		
• यूनिट (केडब्ल्यूएच)	96253	81484
• डीजल आयल के प्रति लीटर यूनिट (केडब्ल्यूएच प्रति लीटर)	2.24	2.59
• प्रति यूनिट लागत (रुपए प्रति केडब्ल्यूएच)	20.08	17.68

2. कोयला

i) खपत की गई मात्रा (टन में)	196331	205931
ii) कुल लागत (लाख रुपए में)	10038	10415
iii) औसत दर (रुपए प्रति मीट्रिक टन)	5112.78	5057.60
प्रति यूनिट उत्पादन पर खपत		
i) विद्युत (टाउनशिप सहित पैक किए गए सीमेंट के प्रति टन केडब्ल्यूएच)	125.76	129.25
ii) बुक किया गया कोयला (किलोग्राम कोयला / प्रति किलोग्राम क्लिंकर उत्पादन)	0.23	0.2366
iii) कोयले की गुणवत्ता (यूएचवी) (कि. सेल्सियस प्रति किलोग्राम कोल)	4366	4097

ख. प्रौद्योगिकी आमेदन

I. अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी)

- ऐसे विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान और विकास कार्य किए गए— प्वाइंट नं 6 उल्लिखित गुणवत्ता नियंत्रण/सुधार कार्य किए गए हैं।
- अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ : सीमेंट की उचित गुणवत्ता बनाए रखना।
- आगे की कार्यवाही की योजना

II. प्रौद्योगिकी आमेदन अंगीकरण एवं नवाचार :

चूंकि वर्ष के दौरान कोई भी प्रौद्योगिकी आयात नहीं हुई, आमेदन अंगीकरण और नवाचार संबंधी सूचना शून्य है।

अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय (2015-16)

(रु.करोड़ में)

(क) पूंजीगत	—
(ख) राजस्व	शून्य
(ग) कुल	शून्य
(घ) कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर किया गया कुल व्यय	शून्य



ग. विदेशी विनियमन से अर्जन और बर्हिगमन

यद्यपि हमें समय-समय पर विभिन्न पक्षकारों से निर्यात संबंधी रुझान प्राप्त होते रहे हैं, परंतु हमारे प्लांट जो समुद्री बंदरगाहों से काफी दूर हैं, की अवस्थिति संबंधी समस्या के कारण प्लांटों से निकटतम समुद्री बंदरगाह के बीच अंतर्देशीय मालभाड़ा बहुत अधिक हो जाता है। इस कारण से हमारे एफओबी मूल्य की गणना प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाती है। अवसर प्राप्त होने पर निर्यात के क्षेत्र में निकटतम निगरानी की जा रही है। हालांकि सीमेंट का जितना भी उत्पादन हो रहा है उसकी बिक्री घरेलू बाजार में की जा रही है।

(रु. करोड़ में)

प्रयुक्त और अर्जित कुल विदेशी विनिमय	शून्य
वर्ष के दौरान प्रयुक्त कुल विदेशी विनिमय	शून्य
वर्ष के दौरान अर्जित कुल विदेशी विनिमय	शून्य

फॉर्म संख्या एमजीटी- 9
वार्षिक विवरणी का सारांश
31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में,

1. पंजीकरण और अन्य विवरण:

- i) सीआईएन : यू74899डीएल 1965जीओआई004322
- ii) पंजीकरण की तारीख : 18.01.1965
- iii) कंपनी का नाम:- सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- iv) कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी :- विनिर्माण क्षेत्र
- v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण :-
कोर -5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड नई दिल्ली- 110003
- vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है- हां/नहीं :- नहीं
- vii) रजिस्टार और अंतरण एजेंट, यदि कोई है का नाम, पता तथा संपर्क विवरण :- शून्य

2. कंपनी के प्रमुख व्यापारिक कार्यकलाप

कंपनी के ऐसे सभी कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगा, जो कंपनी के कुल कारोबार में 10 % या उससे अधिक का योगदान देते हैं.

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	सीमेंट	2394	100 %
2	विलंकर	2394	

3. धारक, सहायक और एसोसिएट कंपनियों के विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/एसोसिएट कंपनी	धारित शेयरों का %	लागू धारा
	शून्य				

4. शेयरधारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी के ब्यौरे)

(i) श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान %में परिवर्तन
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क) प्रमोटर									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्ति विशेष / एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(ख) केंद्र सरकार के इक्विटी शेयर	—	45,59,749	45,59,749	100%	—	45,59,749	45,59,749	100%	शून्य
प्राथमिकता शेयर	—	35,54,325	35,54,325	100%	—	35,54,325	35,54,325	100%	
(ग) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	
(घ) निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(च) अन्य कोई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
उप जोड़. (क) (1)	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	
(2) विदेशी									
(क) एनआरआई—व्यक्ति विशेष	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(ख) निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(ग) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(घ) अन्य कोई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
उप जोड़. (क) (2) :	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क) (1)+(क) (2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
क. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचुअल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
ग) केंद्र/राज्य सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
घ) उद्यम पूंजी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
ङ.) बीमा कंपनियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	

ड.) एफआईआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
च) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
छ) अन्य विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
प्रत्यास्थ परिसंपत्तियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
उप जोड. (ख) (1):	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
2. गैर संस्थागत निकाय									
क) निगमित निकाय (भारतीय और विदेशी)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
ख) व्यक्ति विशेष									
(i) व्यक्तिगत शेयरधारक, जिनके पास सामान्यतः 1 लाख रुपए तक की शेयर पूंजी है	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(ii) व्यक्तिगत शेयरधारक, जिनके पास सामान्यतः 1 लाख रुपए से अधिक की शेयर पूंजी है	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) न्यास	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
एनआरआई और विदेशी निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
ग-ii) समाशोधन सदस्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
उप जोड. (ख) (2):-	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख) (1)+(ख) (2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
क. जीडीआर और एडीआर के अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
सकल योग (क+ख+ग)	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	शून्य

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए/ कम कीमत पर निर्धारित किए गए शेयरों का कुल शेयरों की तुलना में %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए/ कम कीमत पर निर्धारित किए गए शेयरों का कुल शेयरों की तुलना में %	वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
1.	केंद्र सरकार	81,14,074	100 %	.	81,14,074	100%	.	शून्य
	जोड़	81,14,074	100 %	.	81,14,074	100%	.	शून्य

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें)

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण / बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि)				
	वर्ष के अंत में				

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशक, प्रमोटर और जीडीआर तथा एडीआर धारकों से अन्य) की शेयरधारिता का पैटर्न:

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयर धारक	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में				
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएं (उदाहरण के लिए				

	आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) वर्ष के अंत में (अथवा				
	पृथक्करण की तारीख को, यदि पृथक्करण उसी वर्ष के दौरान हुआ है)				

(v) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता :

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य			
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)				
	वर्ष के अंत में				

5. कर्जदारी

बकाया /संचित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं राशियों पर ब्याज सहित कंपनी की कर्जदारी

(रु. लाख में)

	जमा राशियों सहित सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
i) मूलधन की राशि	—	18,790	—	18,790
ii) देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	—	18,548	—	18,548
iii) संचित परंतु देय नहीं ब्याज				
जोड़ (i+ii+iii)		37,338		37,338
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन				
• वृद्धि	—	—	—	—
• कमी				
निबल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी				
i) मूलधन की राशि	—	18,790	—	18,790
ii) देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	—	18,548	—	18,548
iii) संचित परंतु देय नहीं ब्याज	—	—	—	—
जोड़ (i+ii+iii)		37,338		37,338

6. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का मेहनताना

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधकों का मेहनताना

(रु. लाख में)

क्र. सं.	मेहनताने का विवरण	प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		श्री मनोज मिश्रा	श्री बी.वी. एन. प्रसाद	श्री शे. शक्तिमणी	श्री एस सी अग्रवाल (05.05.2015 तक)	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	26.04	5.08	1.51	4.87	37.50
		—	—	—	—	
		—	—	—	—	
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य				
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य				
4.	कमीशन — लाभ के % के रूप में — अन्य, विनिर्दिष्ट करें.....	शून्य				
5.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें					
	(i) भविष्य निधि में अंशदान	1.92	0.41	0.13	0.19	2.65
	(ii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.72	—	—	0.11	0.83
	जोड़ (क)	28.68	5.49	1.64	5.17	40.98
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा					

ख. अन्य निदेशकों का मेहनताना:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	मेहनताने का विवरण	निदेशक का नाम			कुल राशि
		श्रीमती दिवजोत कोहली	—	—	
3.	स्वतंत्र निदेशक				
	● बोर्ड कमिटी बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क				
	● कमीशन				
	● अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें				

जोड़ (1)	—			
4. अन्य गैर कार्यपालक निदेशक (बीआईएफआर नामिती) ● बोर्ड कमिटी बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क ● कमीशन ● अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	0.36			0.36
जोड़ (2)	0.36			0.36
जोड़ (ख)=(1+2)	0.36			
कुल प्रबंधकीय मेहनताना	0.36			0.36
अधिनियम के अनुसार संपूर्ण सीमा				

ग. प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधकों से इतर अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों का मेहनताना

(रु. लाख में)

क्र. सं.	मेहनताने का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ/ सीएमडी	कंपनी सचिव	सीएफओ	निदेशक (वित्त)/सीएफओ
		श्री मनोज मिश्रा	श्री अजय कुमार शर्मा	श्री ए बी दयाशी * (31.7.15 से)	श्री एस सी अग्रवाल ** (05.05.15 तक)
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	26.04	10.89	18.10	4.87
2.	स्टॉक विकल्प		—	—	
3.	स्वेट इक्विटी		—	—	
4.	कमीशन — लाभ के % के रूप में — अन्य, विनिर्दिष्ट कर.....		—	—	
5.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें				
	(iii) भविष्य निधि में अंशदान	1.92	0.84	0.56	0.19
	(iv) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.72	0.44	1.30	0.11
	जोड़	28.68	12.17	19.96	5.17



* श्री ए बी दयाशी को 31/07/2015 से सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है।

** श्री एस सी अग्रवाल ने 05/05/2015 से सीएफओ के पद से त्यागपत्र दे दिया है।

7. अपराधों के लिए सजा/दंड/समझौता :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित की गई सजा / दिए गए दंड/समझौता शुल्क के विवरण	प्राधिकार आरडी/एनसीएल /न्यायालय,	की गई अपील, यदि कोई है (विवरण दें)
क. कंपनी					
दण्ड			शून्य		
समझौता					
ख. निदेशक					
सजा					
दंड					
समझौता					
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
सजा					
समझौता					



सी एस

अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरीज

कार्यालय: एच- 63, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली- 110092, भारत
फ़ोन : +91-11-22024525, 43019279, मोबाइल : +91-981272307
ई मेल : amitagcs@gmail.com. amit2kas@yahoo.com

सेवा में,
सदस्यगण,
सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड,
कोर-5, स्कोप काम्प्लेक्स,
7- लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
महोदय/ महोदया,
फॉर्म संख्या-

एम आर - 3 में उसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि सचिवालयी अभिलेख (रिकॉर्ड) का अनुरक्षण करे। हमारे लेखापरीक्षक के आधार पर इन सचिवालयी अभिलेखों पर अपनी राय जाहिर करना हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने, लेखापरीक्षण की पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवालयी अभिलेखों की अंतर्वस्तु (कंटेंट्स) के सही -सही होने हेतु तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त था। परीक्षण के आधार पर यह सत्यापित किया गया है कि सचिवालयी अभिलेखों के सही - सही तथ्य प्रतिबिंबित हो। हमें विश्वास है कि प्रक्रियाओं और पद्धतियों जिनका हम पालन करते हैं वे हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार पर आधारित होते हैं।
3. हमने कंपनी की वित्तीय अभिलेखों और खातों का शोधन और विनियोजन को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ी हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं आदि के घटित होने से सम्बंधित प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगम के प्रावधानों तथा लागू होने वाले कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारा परीक्षण टेस्ट के आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करना था।
6. सचिवालयी लेखा परीक्षण की रिपोर्ट कंपनी की सक्षमता (वायबिलिटी) का आश्वासन नहीं देती है और यह प्रभावकारिता और प्रभावशीलता को भी नहीं सूचित करती है जिससे प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का कार्यसंचालन किया।

दिनांक: 26.07.2016
स्थान: दिल्ली

ह0
(सी.एस. अमित अग्रवाल)
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
सदस्य संख्या - 5311
प्रेक्टिस सर्टिफिकेट संख्या - 3647



सी एस

अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरीज

कार्यालय: एच- 63, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली- 110092, भारत
फ़ोन : +91-11-22024525, 43019279, मोबाइल : +91-981272307
ई मेल : amitagcs@gmail.com. amit2kas@yahoo.com

फार्म संख्या एमआर-3
सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और मेहनताना)
नियमावली 2014 के नियम संख्या 9 के अनुक्रम में)

सेवा में सदस्यगण

हमने मैसर्स सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; जिसे यहां से आगे कंपनी कहा गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर 5, स्कोप काम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में है, द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा संचालित की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस ढंग से की गई, जिसके जरिए मुझे निगमित संव्यवहार/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उन पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

मैसर्स सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की खाताबही, कागजात, कार्यवृत्त बही, भरे गए फार्मों और विवरणियों तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्डों के आधार पर और साथ ही कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालयी लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान हमें दी गई सूचना के आधार पर हम एतद्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे दृष्टिकोण में कंपनी ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष अर्थात् हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध किए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन तंत्र उस सीमा और ढंग से मौजूद है, जो यहां नीचे की गई रिपोर्टिंग के अध्वधीन है :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मैसर्स सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की खाताबही, कागजातों, कार्यवृत्त बही, कंपनी द्वारा भरे गए फार्म और विवरणियों तथा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच की है :

- (i) कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम
- (ii) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक
- (iii) कंपनी के लिए विशेष रूप से यथालागू अन्य लागू विधियां
 - क) मजदूरी भुगतान अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम;
 - ख) ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम;
 - ग) समान मेहनताना अधिनियम 1976;
 - घ) राष्ट्रीय और त्यौहारिक अवकाश अधिनियम;
 - ङ) संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970;
 - च) मातृत्व लाभ अधिनियम 1961;
 - छ) कर्मचारी भविष्य अधिनियम 1952;
 - ज) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम;

- झ) वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम;
- ज) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
- ट) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;
- ठ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रतिभूतियां जारी करने के लिए यथालागू सीमा तक भारतीय स्टाम्प अधिनियम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और ऊपर बताए गए मानकों का अनुपालन किया है, जो हमारे निम्नलिखित अवलोकनों के अध्यक्षीन हैं।

- क. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था;
- ख. डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में सदस्य के रूप में कम से कम तीन निदेशक शामिल होने चाहिए और लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए; परन्तु कंपनी के निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है;
- ग. कंपनी में 24 नवम्बर, 2015 तक महिला निदेशक नियुक्त थी, परन्तु उस तारीख के बाद से कंपनी के निदेशक मंडल में कोई भी महिला निदेशक नहीं है;
- घ. कंपनी में 24 नवम्बर, 2015 तक सीएसआर समिति मौजूद थी।

तथापि समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित विनियमों के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं थे। अतः इन खंडों के संबंध में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है :

- I. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत यथाविहित नियम, विनियम और दिशानिर्देश क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई भी बॉड जारी नहीं किए गए;
- II. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई भी बॉड जारी नहीं किए गए;
- III. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अधिकांश शेयरों का अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;
- IV. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992;
- V. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी जारी करना और प्रकटन संबंधी आवश्यकता) विनियम, 2009;
- VI. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कंपनी स्टॉक विकल्प योजना और कंपनी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999;
- VII. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डी-लिस्टिंग) विनियम, 2009;
- VIII. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाईबैक) विनियम, 1998।

इसके अलावा हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है, जिसमें नीचे दिए गए अवलोकन के अनुसार स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक को छोड़कर कार्यकारी निदेशकों, सरकारी नामित निदेशक का उचित संतुलन है।

सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकें अनुसूचित करने के लिए पर्याप्त समय रहते नोटिस दिया जाता है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट उन्हें कम से कम 7 दिन पहले भेजे गए और बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर कोई भी स्पष्टीकरण



और उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है, जिससे कि बैठक में सार्थकता के साथ भागीदारी की जा सके।

जब सभी सदस्यों के बीच किसी भी बात को लेकर मतैक्य की स्थिति नहीं बनती है, तो अधिकांश निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और मतांतरों को एकत्र कर उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

हमारे अवलोकन

- क. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था;
- ख. डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में सदस्य के रूप में कम से कम तीन निदेशक शामिल होने चाहिए और लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए; परन्तु कंपनी के निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है;
- ग. कंपनी में 24 नवम्बर, 2015 तक महिला निदेशक नियुक्त थी, परन्तु उस तारीख के बाद से कंपनी के निदेशक मंडल में कोई भी महिला निदेशक नहीं है;
- घ. कंपनी में 24 नवम्बर, 2015 तक सीएसआर समिति मौजूद थी।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चय करने के लिए कंपनी के आकार एवं प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि इस लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा यथालागू वित्तीय विधियों (कानूनों) जैसे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून और वित्तीय रिकॉर्ड और लेखाबही का रखरखाव के अनुपालन की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह किसी अन्य पदनामित पेशेवर द्वारा सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा के जरिए समीक्षा के अध्वधीन है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उन विशेष घटनाओं/कार्रवाईयों के विवरण उपलब्ध कराए हैं, जिनका उपर्युक्त संदर्भित नियमों, विनियमों, विधियों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुक्रम में कंपनी के कार्यों पर प्रमुख प्रभाव पड़ सकता है।

दिनांक: 26.07.2016
स्थान: दिल्ली

ह0
(सी.एस. अमित अग्रवाल)
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
सदस्य संख्या - 5311
प्रैक्टिस सर्टिफिकेट संख्या - 3647

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के संदर्भ में आपके निदेशकों ने निम्नानुसार स्पष्ट किया है :

(क) “कंपनी के निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की कमी के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल/लेखापरीक्षा समिति का विधिवत रूप से गठन नहीं किया जा सका। खाली पदों को भरने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध भेजे गए। तथापि प्रशासनिक मंत्रालय ने 29.06.2016 से सीसीआई के निदेशक मंडल में एक अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति कर दी है।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में कोई भी महिला निदेशक न होने कारण 24 नवम्बर, 2015 के बाद से कंपनी में सीएसआर समिति का विधिवत रूप से गठन नहीं किया जा सका।

निगमित शासन पर रिपोर्ट

1. शासन की संहिता पर कंपनी का दर्शन/सिद्धांत:

निदेशक मंडल दृढ़तापूर्वक विश्वास करता है कि बेहतर निगमित शासन यह सुनिश्चित करने के लिए एक आधारभूत घटक है कि कंपनी अपने सभी पणधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तम तरीके से कार्य संचालित कर रही है और सुव्यवस्थित है। निगमित शासन के संबंध में कंपनी का सिद्धांत/दर्शन है कि सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) वित्तीय समझदारी, उपभोक्ता की संतुष्टि, पारदर्शिता, जवाबदेही और शेयरधारकों के प्रति वचनबद्धता में विश्वास करता है। सीसीआई भारत सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए निर्देशों और अपने उपर्युक्त विश्वास के माध्यम से कार्य करता है और इसे व्यापक रूप में जो समाज और सरकारी एजेंसियों/विभागों, राज्य सरकारों, भारत सरकार, ऋणदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं, उपभोक्ताओं, शेयरधारकों, निकाय से जुड़े हैं, उन सभी का मूल्य संवर्धन करने के लिए एक लंबा सफर तय करना चाहिए।

निगम विश्वास करता है कि इसके परिचालन और कार्यों को एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से, अपने सभी पणधारकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ाने के लिए उल्लिखित लक्ष्यों का लंबे समय तक संवर्धन करना चाहिए।

कंपनी निगमित शासन के उच्चस्तरीय मानकों की पुष्टि करने के प्रति वचनबद्ध है।

2. निदेशक मंडल

i. निदेश मंडल का आकार :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत जैसा परिभाषित किया गया है, उसके अनुसार सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के संस्था अन्तर्नियम के अनुच्छेद (संगम अनुच्छेद) के अनुसार निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या 3 से कम तथा 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र निदेशकों की संख्या किसी भी स्थिति में निदेशक मंडल के सदस्यों की वास्तविक संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए।

ii. निदेशक मंडल का स्वरूप:

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार सीसीआई के निदेशक मंडल में 5 (पांच) निदेशक हैं जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सहित तीन कार्यकारी निदेशक और दो अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं जो भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय के नामिती निदेशक हैं।

निदेशकों के नाम और श्रेणी, इस वर्ष आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में उनकी उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम सभा में निदेशकों की संख्या के साथ-साथ अन्य कंपनियों में निदेशक का पद धारित करने तथा समिति (लेखापरीक्षा समिति) में उनकी हैसियत आदि के विवरण सारणी 1 में दिए गए हैं।

सारणी 1: निदेशकों की श्रेणी और विभिन्न समितियों में उनके पद (स्थिति)

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	एजीएम में 30.09.2015 (को आयोजित) में उपस्थिति	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार डायरेक्टर शिप की संख्या	31.03.2016 की स्थिति के अनु-सार अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता की संख्या
कार्यकारी निदेशक:						
1.	श्री मनोज मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5	5	हां	शून्य	शून्य
2.	श्री बी. वी. एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) 19.01.2016 से	1	1	लागू नहीं	शून्य	शून्य
3.	श्री शे. शक्तिमणी निदेशक (वित्त) 07.03.2016 से	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य
4.	श्री एस. अग्रवाल निदेशक (वित्त) 05.05.2015 तक	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य
सरकारी नामिति निदेशक:						
5.	श्री विश्वजीत सहाय	5	5	नहीं	4	शून्य
6.	श्री ए. एम. मणिचन	5	5	हां	4	शून्य
विशेष निदेशक/बीआईएफआर नामिती						
7.	श्रीमती दिवजोत कोहली (23.11.2015 तक)	3	1	नहीं	1	शून्य

कंपनी द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की पांच बैठकें क्रमशः 04.06.2015, 31.07.2015, 24.09.2015, 21.12.2015 और 19.02.2016 को आयोजित की गईं तथा दो बैठकों के बीच तीन महीने से अधिक का अंतराल नहीं था।

iii. निदेशक मंडल/समिति की सभाओं के लिए कार्यसूची तैयार करना और चयन :

- निदेशक मंडल/समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करके उपयुक्त नोटिस देने के बाद सभाएं आयोजित की जाती हैं। बैठक के दौरान अर्थपूर्ण, सूचित और केंद्रित निर्णय लेने में प्रबंध की सुविधा के लिए विस्तृत कार्यसूची नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण सदस्यों के बीच अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं। तात्कालिक महत्व के मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता होने पर लघुकालिक नोटिस पर भी सभाएं आयोजित की जाती हैं या अधिनियम अथवा इसके अनुच्छेदों में दिए गए यथालागू प्रावधानों के अनुसार उनके बीच परिचालन द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाते हैं।

- जहां कहीं भी इनकी गोपनीय प्रवृत्ति के कारण जब कभी किसी दस्तावेज को कार्यसूची नोट्स के साथ जोड़ना व्यावहारिक नहीं होता है, तो विशेष और अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में अतिरिक्त या संपूरक विषय से संबंधित ऐसे दस्तावेज सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं।
- कार्यसूची के दस्तावेज प्रकार्यात्मक निदेशक/सीएमडी के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात परिचालित किए जाते हैं।
- सदस्यों द्वारा सूचित निर्णय लेने की दृष्टि से उन्हें सक्षम बनाने के लिए बोर्ड/समिति की बैठकों में वित्तीय परिचालन, मानव संसाधन आदि से संबंधित सामग्री पर प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं।
- बोर्ड के सदस्य कंपनी की सभी सूचनाओं तक पूरी पहुँच रखते हैं। बोर्ड ऐसे किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है जो वे कार्यसूची में समावेशन के लिए आवश्यक समझें। जब कभी आवश्यक होता है, बोर्ड द्वारा जिन मद्दों पर बातचीत की जा रही है, उन पर वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारियों को अतिरिक्त जानकारी (इनपुट) प्रदान करने के लिए कहा जाता है।

iv. निदेशक मंडल/समिति की सभाओं में कार्यवृत्त को अभिलेखबद्ध करना :

प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त, कार्यवृत्त किताब में विधिवत रिकॉर्ड किए जाते हैं। निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त अगली बोर्ड बैठक में बोर्ड के सदस्यों के बीच उनकी पुष्टि के लिए परिचालित किए जाते हैं। बोर्ड की समिति की बैठक के कार्यवृत्त भी निदेशक मंडल की सूचना के लिए उनके समझ रखे जाते हैं।

v. अनुवर्ती कार्रवाई के लिए व्यवस्था/तंत्र :

बोर्ड/समिति के सदस्यों के महत्वपूर्ण निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट आगामी सभाओं में प्रस्तुत की जाती है। यह एक प्रभावशील अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा / पुनर्विचार और रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है।

vi. अनुपालन:

हमारा प्रयत्न यह सुनिश्चित करना है कि जब कार्यसूची नोट्स तैयार किए जायें तो विधि के सभी यथालागू प्रावधानों, नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए। कंपनी, कंपनी अधिनियम के सभी यथालागू प्रावधानों तथा अलग-अलग विधियों के अंतर्गत अन्य विविध सांविधिक आवश्यकताओं / अपेक्षाओं का अनुसरण सुनिश्चित करती है। निम्नलिखित अपेक्षित सूचनाएं बोर्ड को लगातार प्रदान की जाती हैं :

- पूंजीगत बजट, वार्षिक योजना, समझौता ज्ञापन (एमओयू)
- लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त
- कारण बताओ नोटिस, मांग, अभियोजन नोटिस और हर्जाना नोटिस, यदि कोई हैं, जो वास्तविक दृष्टि से आवश्यक है
- घातक और गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं
- प्रमुख निवेश, सहायक कंपनियों का निर्माण, संयुक्त उद्यम और रणनीतिक गठबंधन
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों और कार्यों आदि में उनके द्वारा उपयोग किए गए समिति के पदों और डायरेक्टरशिप के बारे में प्रकटन
- बड़ी संविदाओं का अधिनिर्णय
- विधि और डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य विषय
- सांविधिक प्रावधानों का तिमाही अनुपालन प्रमाणपत्र
- समय समय पर निदेशक मंडल द्वारा अपेक्षित अन्य मामले

vii. गैर कार्यकारी निदेशकों के प्रकटन और क्षतिपूर्ति :

कंपनी ने सरकारी नामिती निदेशकों को सीटिंग फीस का भुगतान नहीं किया। हालांकि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक मंडल और समिति की सभाओं में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र निदेशकों / बीआईएफआर के नामिती को प्रति बैठक 6000/- रु. (छह हजार रुपए मात्र) की दर से तथा अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किया गया।

viii. अन्य कंपनियों के निदेशक मंडल/समिति में अध्यक्षता और सदस्यता के विवरण

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	श्रेणी	अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशिप/प्रकटन (2015-16)
कार्यकारी निदेशक:			
1.	श्री मनोज मिश्रा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	शून्य
2.	श्री बी. वी. एन. प्रसाद निदेशक (मानव संसाधन) 19.01.2016 से	निदेशक (मानव संसाधन)	शून्य
3.	श्री शे. शक्तिमणी निदेशक (वित्त) 07.03.2016 से	निदेशक (वित्त)	शून्य
4.	श्री एस. अग्रवाल निदेशक (वित्त) 05.05.2015 तक	निदेशक(वित्त)	शून्य
सरकारी नामिती निदेशक :			
5.	श्री विश्वजीत सहाय	सरकारी नामिती निदेशक	(1) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पलक्कड़- अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल (2) मैसर्स एचएमटी लिमिटेड (3) मैसर्स एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड (4) मैसर्स हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, सीएमडी आई/सी
6.	श्री ए. एम. मणिचन	सरकारी नामिती निदेशक	(1) मैसर्स भारती भारी उद्योग निगम लिमिटेड (2) मैसर्स स्कूटर इंडिया लिमिटेड (3) मैसर्स एंड्रयू यूले कंपनी लिमिटेड (4) मैसर्स एआरआई पुणे (5) मैसर्स आईएलके, कोटा
विशेष निदेशक			
7.	श्रीमती दिवजोत कोहली (23.11.2015 तक)	बीआईएफआर नामिती	(1) मैसर्स सुप्रिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

ix. निदेशक मंडल सदस्यों का प्रशिक्षण

सीसीआई अपने निदेशक मंडल के सदस्यों को सीसीआई के प्रोफाइल, व्यवसाय आदि के बारे में प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है। सीसीआई की कार्यशैली से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दे और महत्वपूर्ण विकास सीसीआई के निदेशक मंडल (सरकारी) और (गैर सरकारी) अंशकालिक निदेशकों को समय-समय पर सीसीआई प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

x. आचार संहिता

कंपनी व्यावसायिक नीतिशास्त्र के सर्वोच्च मानकों के अनुसार अपने व्यवसाय को करने के प्रति और सभी अनुप्रयोग विधियों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात की पुष्टि की जाती है कि वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों और शीर्षस्थ प्रबंधन स्तर के अधिकारियों ने आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

xi. जोखिम प्रबंधन और उसे न्यूनतम करने के लिए नीतियां

जोखिम प्रबंधन प्रणाली निगमित और प्रचालनात्मक उद्देश्यों के साथ एकीकृत और संबद्ध है। जोखिम प्रबंधन को सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में किया जाता है, न कि निर्धारित समय में एक भिन्न कार्य के रूप में।

3. लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी में एक लेखापरीक्षा समिति होती है जिसमें निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

1. श्रीमति दिवजोत कोहली (बीआईएफआर नामिति), अध्यक्ष के रूप में
2. श्री मनोज मिश्रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सदस्य के रूप में
3. श्री ए एम मणिचन, (सरकारी नामिति), सदस्य के रूप में

लेखापरीक्षा समिति को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम के विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शक्तियां, भूमिका और विचारार्थ विषय सौंपे गए हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की दिनांक 06.07.2015, 20.07.2015, 24.07.2015 तथा 24.09.2015 को चार बैठकें आयोजित की गईं और निम्नलिखित सदस्यों द्वारा उनमें अपनी उपस्थिति दर्ज की गई:

नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्रीमति दिवजोत कोहली**	4	3
श्री मनोज मिश्रा	4	4
श्री ए एम मणिचन	2	2

* लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन 15.12.2014 को किया गया जिसमें श्रीमति दिवजोत कोहली अध्यक्ष, तथा श्री ए एम मणिचन एवं श्री मनोज मिश्रा सदस्य के रूप में शामिल थे। परन्तु श्रीमती दिवजोत कोहली (बीआईएफआर नामिति) का दिनांक 24.11.2015 से कार्यकाल पूरा होने के कारण सीसीआई के निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है, जिसके कारण स्वतंत्र निदेशक के अभाव में लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया जा सका।

** 24.11.2015 को निदेशक मण्डल में कार्यकाल पूरा किया

4. मेहनताना समिति

सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों को किये जाने वाले भुगतान जैसे मेहनताना और भत्ते, उनकी नियुक्ति / संविदा की निबंधन और शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। हालांकि सार्वजनिक उद्यम विभाग यह निर्देश दे चुका है कि प्रत्येक सीपीएसई एक मेहनताना समिति का गठन करेगा जिसकी अध्यक्षता एक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक द्वारा की जाएगी जो सभी कर्मचारियों में इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस / परिवर्तनीय भुगतान नीति तय करेगी।

वर्तमान में सीसीआई के निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है। तदनुसार मेहनताना समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका।

प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए मेहनताना का विवरण

वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए मेहनताना का विवरण निम्नलिखित है:-

(रु. लाख में)

क्र. सं.	नाम	वेतन और भत्ता	अन्य लाभ	निष्पादन प्रोत्साहन	परिलब्धियों का मूल्य	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	पीएफ और अन्य निधियों में अंशदान	कुल
1.	श्री मनोज मिश्रा	21.23	4.81	0.00	0.00	0.73	1.91	28.68
2.	श्री बी वी एन प्रसाद	4.28	0.79	0.00	0.00	0.00	0.42	5.49
3.	श्री शे. शक्तिमणी	1.27	0.24	0.00	0.00	0.00	0.13	1.64
	कुल	26.78	5.84	0.00	0.00	0.73	2.46	35.81

5. शेयरधारक और निवेशक शिकायत समिति

सीमेंट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है और पूरी शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति द्वारा धारित की जाती है। अतः ऐसी किसी भी समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

6. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

चूंकि कंपनी के निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

7. सहायक कंपनियां

कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

8. वार्षिक आम सभा

पिछले तीन सालों की वार्षिक आम सभाओं का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:-

वार्षिक आम सभा	49वीं वार्षिक आम सभा	50वीं वार्षिक आम सभा	51वीं वार्षिक आम सभा
तारीख और समय	25 सितम्बर, 2013 को दोपहर 12.30 बजे	16 सितम्बर, 2014 को दोपहर 12.45 बजे	30 सितम्बर, 2015 को दोपहर 12.30 बजे
स्थान	नई दिल्ली – 110003	नई दिल्ली – 110003	नई दिल्ली – 110003
यदि कोई प्रस्ताव पारित किया गया हो	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

9. प्रकटन

I. संबंधित पार्टी लेन देन :

कंपनी निदेशकों या उनके ऐसे संबंधियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुक्रम में अलग-अलग निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटन) के साथ पार्टी से संबंधित किसी लेन-देन में शामिल नहीं हुई है, जो कंपनी के साथ बड़े स्तर पर संभावित हित रखते हैं।

II. दिशानिर्देशों का अनुपालन :

मई 2010 में निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए कंपनी ने कदम उठाए हैं।

कंपनी पर पिछले तीन सालों के दौरान विधि के तहत गैर अनुपालन वाले किसी निकाय प्राधिकार द्वारा जुर्माना नहीं लगाया गया है।

संविदागत अपेक्षाओं के अनुरूप नियुक्ति की शर्तों के अनुसार नियत खर्चों के अतिरिक्त निदेशक मंडल के लिए कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं किया गया है।

iii. लेखांकन उपचार :

31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के लिए इसकी रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणी और पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विहित लेखांकन मानकों का अनुसरण किया है।

iv. राष्ट्रपति निर्देश :

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 और पिछले तीन सालों के दौरान राष्ट्रपति से संबंधित कोई निर्देश प्राप्त नहीं किया है।

10. सतर्कता

सीसीआई पीएसयू होने के नाते कंपनी का रिकार्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए तथा सतर्कता अनुभाग, सीसीआई द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए खुला है। सीसीआई का सीवीओ की अध्यक्षता में एक सतर्कता विभाग भी है।

11. संप्रेषण के साधन

वार्षिक वित्तीय निष्पादन कंपनी की वेबसाइट www.cementcorporation.co.in पर जारी कर दिया गया है। कंपनी समय-समय पर सीसीआई की वेबसाइट पर महत्वपूर्ण निगमीय निर्णयों और गतिविधियों पर सरकारी समाचार प्रायोजित करती है।

12. व्हिस्ल ब्लोअर नीति

अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहात्मक धोखाधड़ी या नीति के अतिक्रमण के बारे में चिंता व्यक्त करने हेतु कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक तंत्र की स्थापना की है। कर्मचारी कंपनी के लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तथा प्रबंधन निदेशक जोकि कंपनी के व्हिस्ल ब्लोअर नीति के तहत सक्षम प्राधिकारी हैं तक सीधी पहुंच रखते हैं। व्हिस्ल ब्लोअर नीति कंपनी की सरकारी वेबसाइट www.cementcorporation.co.in पर जारी की गई है।

13. अनुपालन प्रमाणपत्र

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के एक हिस्से के रूप में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत शर्तों के रूप में निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने वाले पूर्णकालिक अभ्यास में कंपनी सचिव, मैसर्स अमित अग्रवाल एण्ड कंपनी से प्राप्त प्रमाणपत्र, उनकी टिप्पणियां और अवलोकन पर्यवेक्षण का विषय है जो यहां अनुबंध के रूप में संलग्न किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके लिए

ह0

(मनोज मिश्रा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 23.09.2016



सी एस

अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरीज

कार्यालय: एच- 63, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली- 110092, भारत
फ़ोन : +91-11-22024525, 43019279, मोबाइल : +91-981272307
ई मेल : amitagcs@gmail.com. amit2kas@yahoo.com

निगमित शासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण
सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०
नई दिल्ली-110003

- हमने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मई, 2010 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों (समय-समय पर यथासंशोधित) में किए गए उल्लेखानुसार 31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर 5, स्कोप काम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में है, द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।
- निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं और उनके अनुपालन तक ही सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों की कोई लेखापरीक्षा है और न ही उन पर व्यक्त किया गया कोई दृष्टिकोण।
- हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर डीपीई के उपर्युक्त दिशानिर्देशों में किए गए उल्लेखों के अनुसार निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

क. वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

ख. डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक सदस्य के रूप में शामिल होंगे और लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। परंतु कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
- हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही ऐसी कोई दक्षता अथवा प्रभावशीलता है, जिसके जरिये प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किया है।

दिनांक: 26.07.2016
स्थान: दिल्ली

ह०
(सी.एस. अमित अग्रवाल)
प्राक्टिसिंग कंपनी सचिव
सदस्य संख्या 5311
प्राक्टिस सर्टिफिकेट संख्या - 3647

प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण

1. सिंहावलोकन

भारत विश्व में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है तथा यह 10 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है। भारत में अवसंरचना और निर्माण क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं हैं तथा सीमेंट राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जिसके कारण सीमेंट क्षेत्र को इसका बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। एक सबसे बड़ा फ़ैक्टर जिससे सीमेंट क्षेत्र को वृद्धि मिली है वह है लाइमस्टोन और कोयला जैसे कच्चे मालों की तैयार उपलब्धता। सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे 98 स्मार्ट सिटी का विकास, ने इस क्षेत्र को एक तीव्र गति प्रदान की है।

आठ आधारभूत उद्योगों का इंडेक्स यह दिखाता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले अप्रैल, मई 2016 में सीमेंट के उत्पादन में 3.40% की वृद्धि हुई है। सीसीआई ने अप्रैल से जून 2016 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.70% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। मांग में संभावित वृद्धि के परिणामस्वरूप पिछले दशक से उद्योग में एक बहुत बड़ी क्षमता वृद्धि हुई है। तथापि, सीमित मांग के साथ बढ़े हुए आउटपुट के फलस्वरूप देश भर में सीमेंट की कीमतों पर दबाव बढ़ा, जिसके कारण वसूली अपेक्षाकृत कम रही। पूर्ववर्ती सरकार की पहलों से मांग में संभावित वृद्धि के रुझान आनेवाले दिनों में परिवर्तित होने की संभावना है और इस उद्योग का भविष्य बेहतर दिखाई दे रहा है।

2. दृष्टिकोण

भारतीय सीमेंट उद्योग का अभी हाल ही में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। भारतीय सीमेंट उद्योग अत्यधिक ऊर्जा संवेदी है और यह देश में कोयला के इस्तेमाल के संदर्भ में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। पिछले कुछ वर्षों में सीमेंट उद्योग की वृद्धि देश की खराब आर्थिक स्थिति के कारण कम हुई है। नई सरकार के गठन के साथ अवसंरचना के विकास पर जोर दिया जा रहा है और इस प्रकार आगे आने वाले वर्षों में भारत में इस उद्योग का भविष्य बेहतर प्रतीत होता है। स्थापना और क्षमता निर्माण में कुछ रुकावटें आई थीं, परंतु अब अर्थव्यवस्था पुनः बहाल हो रही है। इस उद्योग क्षेत्र में अब नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, जो विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके अलावा भारत भर में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला चूना पत्थर मौजूद होने के कारण सीमेंट उद्योग की वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं।

3. वित्तीय समीक्षा और विश्लेषण

कॉर्पोरेशन का निबल लाभ गत वर्ष 40.08 करोड़ रु. से बढ़कर वर्तमान वर्ष के दौरान 53.51 करोड़ रु. हो गया है। सीमेंट का डिस्पैच गत वर्ष 9.47 लाख मीट्रिक टन से घटकर वर्तमान वर्ष के दौरान 9.14 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

4. जोखिम और चिंताएं

जोखिम किसी टूट-फूट के भय, उत्तरदायित्व, हानि या अन्य किसी नकारात्मक घटनाओं की संभावना है जो किसी असुरक्षा की भावना के कारण उत्पन्न होती है तथा जिसे निवारक कार्यों द्वारा रोका जा सकता है।

वर्तमान व्यापार परिवेश में जोखिम प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य ऐसी घटनाओं की पहचान, निगरानी और उनके उन्मूलन के संदर्भ में उपाय करना है जो कॉर्पोरेशन के व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं और उसके समक्ष जोखिम पैदा कर सकती हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन इसकी व्यापार प्रक्रिया में निहित है। आपकी कंपनी ने निम्नलिखित जोखिमों की पहचान की है:—

(क) पण्यवस्तु मूल्य जोखिम

जोखिम कॉर्पोरेशन को कच्चे माल, ऊर्जा के साथ-साथ तैयार माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के रूप में प्रभावित करता है। स्वीकृत योजना के अनुसार सीसीआई ऊर्जा के संरक्षण हेतु ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों की स्थापना कर रहा है ताकि विद्युत खपत को इष्टतम बनाया जा सके। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण के लिए कुछ अन्य उपाय भी किए गए हैं, जैसे— आदक्ष/अधिक क्षमता वाले मोटरों के स्थान पर ऊर्जा की दृष्टि से दक्ष और कम क्षमता वाले मोटर लगाना, अधिकतम मांग के प्रभावी नियंत्रण हेतु मांग नियंत्रकों की स्थापना, उत्सर्जित गैसों में अधिकतम स्तर तक ऑक्सीजन का प्रतिशत बनाए रखने के लिए प्री-हीटर टावरों में रिसाव को रोकना आदि उपाय किए गए हैं। पारंपरिक लाईटों और पंखों को ऊर्जा की दृष्टि से दक्ष नए चोक और रेगुलेटर आदि से प्रतिस्थापित किया गया है।

(ख) आंतरिक संसाधनों की रक्षा

सीमेंट कारोबार का प्रचालन किफायती मूल्य पर गुणवत्तायुक्त कोयला की निरंतर उपलब्धता पर निर्भर करता है। चूना पत्थर की उपलब्धता/गुणवत्ता संगत खनन क्षेत्र में इसके आरक्षित/जमा भंडारों पर निर्भर करती है। सीसीआई की तीनों प्रचालनरत यूनिटों के लिए इसके पास चूनापत्थर के लिए अपनी कैप्टिव खानें, शेल आदि हैं।

(ग) परियोजना क्रियान्वयन जोखिम

आपकी कंपनी ने बोकाजन विस्तार योजना शुरू की है, जिसके लिए कंपनी को समय और लागत अधिक होने के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। परियोजना के कार्यान्वयन में कोई भी विलंब उस अवधि के राजस्व और लाभ को प्रभावित कर सकता है।

(घ) मानव संसाधन जोखिम

मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने में कंपनी की योग्यता प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कंपनी में उन्हें रोक कर रखने और उनकी प्रतिभा में निखार लाने की क्षमता/दक्षता पर निर्भर करती है। अपेक्षित प्रतिभावान संसाधनों की कमी और अनुपलब्धता सीसीआई के निष्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। इस संदर्भ में सीसीआई उद्योग जगत में लागू की गई पिछली मानव संसाधन प्रक्रियाओं की लगातार बेंच मार्किंग कर रहा है और प्रतिभाओं को आकर्षित करने तथा उन्हें रोकने के लिए आवश्यक सुधार कर रहा है।

(ङ) प्रतिस्पर्धा जोखिम

बाजार में नए सीमेंट विनिर्माताओं के प्रवेश हेतु वर्तमान में कोई बाधाएं अथवा प्रतिबंध नहीं हैं। सीसीआई को हमेशा प्रतिस्पर्धा जोखिम का सामना करना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से लाभ मार्जिन, बाजार में हिस्सेदारी आदि पर दबाव पड़ सकता है। सीसीआई गुणवत्ता, समय पर प्रदायगी और ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित कर कंपनी की ब्रांड छवि को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

(च) अनुपालन जोखिम

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों के अनुपालन में किसी भी चूक अथवा कमी के लिए दांडिक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। कंपनी नियामक ढांचे में किए जा रहे परिवर्तनों की नियमित रूप निगरानी और समीक्षा कर रही है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

5. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा टीम आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता की निगरानी करती है तथा लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करती है। प्रचालन प्रक्रियाओं और नियंत्रण प्रणालियों में सुधार हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा टीम की सिफारिशों को भी लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और व्यवसाय/उद्योग प्रचालन प्रक्रियाओं के सुदृढीकरण हेतु टूल के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं।

6. सीएसआर नीति

कंपनी की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति है जिसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया

7. अन्य प्रकटन

केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश के अध्याय-7 में प्रावधान किया गया है कि वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में अथवा उसके साथ एक अतिरिक्त संलग्नक के रूप में प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए, जिसमें विभिन्न मामलों पर कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के आधार पर निर्धारित सीमाओं के भीतर चर्चा-परिचर्चा शामिल होती है। जहां तक क्षेत्रवार और उत्पादवार निष्पादन का संबंध है, कंपनी केवल एक क्षेत्र अर्थात् सीमेंट के विभिन्न ब्रांडों का व्यवसाय करती है। मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों तथा पर्यावरण संरक्षण और रक्षा, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी विनिमय संरक्षण जैसे मुद्दों को निदेशकों की रिपोर्ट में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

उपसंहार

सीमेंट उद्योग की वृद्धि की संभावना अर्थव्यवस्था की वृद्धि से जुड़ी हुई है। अल्पकालिक दृष्टिकोण अभी भी चुनौतीपूर्ण ही हैं। तथापि सीमेंट उद्योग के दीर्घावधि चालक अभिन्न अंग ही रहे हैं। मुख्यतः सरकार का मुख्य ध्यान अवसंरचना विकास तथा परिसंपत्तियों के उपयोग पर है।

एहतियाती वक्तव्य

‘प्रबंधन के साथ चर्चा एवं विश्लेषण में दिए गए विवरण कंपनी के उद्देश्यों, योजनाओं एवं अनुमानों को दर्शाने वाले प्रगतिशील तथा सुरक्षा के नियमों एवं प्रावधानों से परिपूर्ण कथन हैं। वित्तीय स्थिति, शासकीय नीतियों एवं अन्य प्रभावित करने वाले कारकों के अनुसार वास्तविक परिणाम व्यक्त अथवा इंगित किये गए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।’

तुलन पत्र 31 मार्च 2016 को

(₹ लाखों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
I. साम्या और दायित्व			
1) अंशधारियों की निधियाँ			
क) शेयर पूंजी	1	8,11,41	8,11,41
ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	(8,49,23)	(9,02,74)
2 आवंटन लंबित रहने के दौरान शेयर आवेदन धन		0	0
		(37,82)	(91,33)
3. गैर-चालू दायित्व			
क) दीर्घ-कालिक उधार	3	1,87,90	1,87,90
ख) अन्य दीर्घ-कालिक दायित्व	4	3,28,34	3,38,03
ग) दीर्घ-कालिक प्रावधान	5	75,79	85,63
		5,92,03	6,11,56
4. चालू दायित्व			
क) अल्प-कालिक उधार	6	0	0
ख) व्यापार देय	7	11,58	13,64
ग) अन्य चालू दायित्व	8	49,82	52,36
घ) अल्प-कालिक प्रावधान	9	25,47	16,08
		86,87	82,08
योग		6,41,08	6,02,31
II. परिसम्पत्तियाँ			
1) गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
क) स्थायी परिसम्पत्तियाँ			
i) मूल परिसम्पत्तियाँ	10	1,19,19	1,21,69
ii) चालू पूंजी संकर्म	11	56,25	57,64
iii) चालू पूंजी संकर्म (विकास अधीन)	11A	0	2
ख) गैर-चालू निवेश	12	2,28	2,28
ग) दीर्घ-कालिक ऋण और अग्रिम	13	32,61	27,24
घ) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	14	88	76
ड) अपरिशोधित व्यय	15	18,11	16,74
कुल गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ		2,29,32	2,26,37
2) चालू परिसम्पत्तियाँ			
क) चालू निवेश	16	0	0
ख) वस्तु सूचियों	17	1,34,95	1,36,15
ग) व्यापार प्राप्य	18	11,39	7,61
घ) नगद और बैंक शेष	19	2,31,44	1,96,49
ड) अल्प-कालिक ऋण और अग्रिम	20	24,28	27,19
च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	21	9,70	8,50
		4,11,76	3,75,94
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ		6,41,08	6,02,31

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (नोट सं. 32) और संलग्नित नोट संख्या 1 से 31, जो की वित्तीय विवरणी के भाग हैं।

ह0
(मनीष मेहता)
वित्त प्रमुख

ह0
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0
(शे. शक्तिमणि)
निदेशक (वित्त)/ सीएफओ

ह0
(मनोज मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते कपूर भूषण एण्ड क.

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001676 एन

ह0
(सी ए पी. बी. कपूर)
भागीदार
मेम्बरशिप नं. 010858

नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2016

लाभ हानि विवरण 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का

(₹ लाखों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के लिए ऑकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के लिए ऑकड़े
आय			
1. प्रचालनों से राजस्व			
क) उत्पादों के विक्रय (रु. शून्य (गत वर्ष 33 लाख रु.) की किलंकर ब्रिक्री सहित) घटाएँ : उत्पाद शुल्क		436,23 43,34	4,49,54 46,62
		3,92,89	4,02,92
ख) अन्य प्रचालन राजस्व शुद्ध प्रचालनों से आय		13	1,18
		3,93,02	4,04,10
2. अन्य आय	22	63,11	35,38
3. कुल आय		4,56,13	4,39,48
व्यय			
उपभोग की गई सामग्रियों की लागत तैयार माल, व्यापार स्टॉक और चालू सकर्म की सूचियों में परिवर्तन	23	50,38	47,89
कर्मचारी हित व्यय	24	5,78	11,51
अन्य व्यय	25	63,65	65,62
वित्त संबंधी लागत	26	2,72,69	2,87,05
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	27	2,23	2,97
	10	7,89	6,26
4. कुल व्यय		4,02,62	4,21,30
5. आपवादिक और असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि)		53,51	18,18
6. आपवादिक मदें	28(क)	0	21,90
7. असाधारण मदों से पूर्व लाभ		53,51	40,08
8. असाधारण मदें	28(ग)	0	0
9. कर से पूर्व लाभ		53,51	40,08
10. चालू प्रचालनों से कर संबंधी व्यय		0	0
11. सतत् प्रचालनों से वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)		61,38	54,17
12. रोक दिए गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)	28(घ)	(7,87)	(14,09)
13. रोक दिए गए प्रचालनों के कर संबंधी व्यय		0	0
14. कर के पश्चात रोक दिए गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)		(7,87)	(14,09)
15. वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)		53,51	40,08
16. प्रति अर्जित अंश		1,17	40

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (नोट सं. 32) और संलग्न नोट संख्या 1 से 31, जो वित्तीय विवरणी के भाग हैं।

ह0
(मनीष मेहता)
वित्त प्रमुखह0
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिवह0
(शे. शक्तिमणि)/सीएफओ
निदेशक (वित्त)ह0
(मनोज मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकहमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते कपूर भूषण एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001676 एनह0
(सी ए पी. बी. कपूर),
भागीदार
मेम्बरशिप नं. 010858नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2016

नोट सं.-1 शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
प्राधिकृत		
प्रत्येक ₹ 1000/- के 5,00,00,00 साम्या अंश (गत वर्ष 5,00,00,00)	5,00,00	5,00,00
प्रत्येक ₹ 1000/- के 4,00,00,00 (गत वर्ष 4,00,00,00) 0.01 % गैर संचयी मोचन हेतु अधिमानी अंश	4,00,00	4,00,00
	9,00,00	9,00,00
निर्गमित, अभिदत्त तथा प्रदत्त		
प्रत्येक ₹ 1000/- के 4,55,97,49 साम्या अंश पूर्ण प्रदत्त (गत वर्ष 4,55,97,49)	4,55,98	4,55,98
प्रत्येक ₹ 1000/- के 3,55,43,25 (गत वर्ष 3,55,43,25) 0.01 % गैर संचयी मोचन हेतु अधिमानी अंश	3,55,43	3,55,43
योग	8,11,41	8,11,41
अवधि के प्रारम्भ और अंत पर बकाया साम्या शेयरों की संख्या का समाधान		
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेयरों की संख्या	4,55,97,49	4,55,97,49
जमा: वर्ष के दौरान आवंटित शेयरों की संख्या	0	0
वर्ष के अंत पर बकाया शेयरों की संख्या	4,55,97,49	4,55,97,49
अवधि के प्रारम्भ और अंत पर बकाया अधिमानी शेयरों की संख्या का समाधान		
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेयरों की संख्या	3,55,43,25	3,55,43,25
जमा: वर्ष के दौरान आवंटित शेयरों की संख्या	0	0
वर्ष के अंत पर बकाया शेयरों की संख्या	3,55,43,25	3,55,43,25
निगम में 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयर धारक की विवरणी		
शेयर धारक का नाम एवं शेयर की विवरणी-भारत सरकार		
साम्या अंश	100%	100%
अधिमानी अंश	100%	100%

नोट संख्या-2 आरक्षित एवं अधिशेष

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
लाभ/हानि विवरण में अधिशेष/(कमी)		
पिछले वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार	(9,02,74)	(9,37,36)
घटा : वर्ष के दौरान लाभ	53,51	40,08
स्थायी सम्पत्ति के संदर्भित मूल्यह्रास	0	(546)
अंतिम शेष	<u>(8,49,23)</u>	<u>(9,02,74)</u>

नोट संख्या-3 दीर्घ-कालिक उधार

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
अप्रतिभूत ऋण*		
भारत सरकार से ऋण	1,50,90	1,50,90
अन्तर निगमित उधार	37,00	37,00
योग	<u>1,87,90</u>	<u>1,87,90</u>

ऋण एवं अन्तर निर्गमित उधार का ब्यौरा :

(₹ लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	ऋण राशि	कब से चूक	2015-16		2014-15	
				मूल	ब्याज	मूल	ब्याज
1.	मै. गोवा शिपयार्ड लि.	30,00	1995	30,00	47,94	30,00	47,94
2.	मै. ओ. एन. जी. सी. लि.	7,00	1991	7,00	13,69	7,00	13,69
3.	भारत सरकार	1,50,90	1975 से	1,50,90	0	1,50,90	0
4.	भारत सरकार	0	2011 से	0	1,23,85	0	1,23,85
	योग	1,87,90		1,87,90	1,85,48	1,87,90	1,85,48

* मंजूरशुदा योजना के अनुसार, उपरोक्त योजनागत ऋण एवं निगमित उधार का भुगतान, गैर प्रचलन ईकाइयों की बिक्री से किया जाएगा

नोट संख्या-4 अन्य दीर्घ-कालिक दायित्व

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
व्यापार देय		
एम.एस.एम.ई.	81	81
अन्य	27,15	27,84
प्रतिभूति एवं पेशगी से प्राप्त राशी	18,94	19,78
ग्राहकों से अग्रिम	4,25	12,45
बिक्री कर देय	9,19	11,48
विद्युत	24,73	24,50
रायल्टी देय	5,07	5,07
भारत सरकार से ऋण पर प्रोदभूत एवं देय ब्याज	1,23,85	1,23,85
अन्य ऋण पर प्रोदभूत एवं ब्याज देय	61,63	61,63
अन्य देय	52,72	50,62
योग	3,28,34	3,38,03

नोट संख्या-5 दीर्घ-कालिक प्रावधान

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
उपदान (ग्रेच्युटी)	30,85	34,67
निर्माणधीन पूंजीगत कार्य	11	24
अर्जित अवकाश दायित्व	15,70	16,84
अन्य	29,13	33,88
योग	75,79	85,63

नोट संख्या-6 अल्प-कालिक उधार

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
बैंकों से	0	0
अन्य	0	0
योग	0	0

नोट संख्या-7 व्यापार देय

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
व्यापार देय		
एम.एस.एम.ई.	0	33
अन्य	11,58	13,31
योग	11,58	13,64

नोट संख्या-8 अन्य चालू दायित्व

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
ग्राहकों से अग्रिम	7,36	8,73
प्रतिभूति एवं पेशगी से प्राप्त राशि	9,26	9,50
बिक्री कर देय	5,63	6,27
विद्युत बकाया	6,01	8,30
कर्मचारियों को देय	4,64	5,85
रॉयल्टी देय	30	6
अन्य देय	16,62	13,65
योग	49,82	52,36

नोट संख्या-9 अल्प-कालिक प्रावधान

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
उपदान (ग्रेचुटी)	9,49	7,62
अर्जित अवकाश दायित्व	4,59	2,95
अन्य प्रावधान	11,17	5,51
बोनस	22	0
योग	25,47	16,08

नोट संख्या – 10 : स्थायी परिसम्पत्तियां

(₹ लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल, 2015 को	सकल ब्लाक				01 अप्रैल 2015 को	मूल्यहास			शुद्ध ब्लाक		31 मार्च 2015 को
		परिवर्धन/ समायोजन	कटौतियां / बिक्री	अन्तरण आया/गया	31 मार्च 2016 को		वर्ष के लिए	समायोजन / निपटान	अन्तरण आया/गया	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2016 को	
वर्क्स												
फ्री होल्ड भूमि	1054	239	0	0	1293	146	0	0	0	146	1147	908
पट्टे की भूमि	481	0	0	0	481	158	0	0	0	158	323	323
सड़कें एवं पुलिया	654	0	0	0	654	621	0	0	0	621	33	33
संयंत्र भवन	8884	0	0	0	8884	7876	132	0	0	8008	876	1008
गैर संयंत्र भवन	1054	0	0	0	1054	630	31	0	0	661	393	424
जल प्रदाय, मल निकास व व्ययन	1109	10	0	0	1119	966	2	0	0	968	151	143
रेलवे साइडिंग	2095	0	0	0	2095	1558	25	0	0	1583	512	537
विद्युत संस्थापन	1970	10	0	0	1980	1889	0	0	0	1889	91	81
संयंत्र एवं मशीनरी	46476	239	0	0	46715	38956	497	0	0	39453	7262	7520
हवाई रज्जु मार्ग (रोपवे)	706	0	0	0	706	672	0	0	0	672	34	34
रेलवे रोलिंग स्टॉक	423	0	0	0	423	406	0	0	0	406	17	17
खदान उपकरण	2519	0	0	0	2519	2381	0	0	0	2381	138	138
वाहन	441	0	0	0	441	383	9	0	0	392	49	58
फर्नीचर, जुड़नार	266	3	(5)	0	264	255	3	0	(5)	253	11	11
कार्यालय उपकरण	462	29	(20)	0	471	415	27	0	(20)	422	49	47
विविध उपकरण	904	9	0	0	913	741	37	0	0	778	135	163
₹ 5,000/- लागत तक प्रभारित परिसम्पत्तियां	51	1	0	0	52	51	1	0	0	52	0	0
वर्क्स योग	69549	540	(25)	0	70064	58104	764	0	(25)	58843	11221	11445

नोट संख्या – 10 : स्थायी परिसम्पत्तियां

(₹ लाखों में)

सकल ब्लॉक						मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक		
विवरण	1 अप्रैल, 2015 को	परिवर्धन/ समायोजन	कटौतियां / बिक्री आया / गया	अन्तरण	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल 2015 को	वर्ष के लिए	समायोजन / निपटान	अन्तरण आया / गया	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
टाउनशिप												
फ्री होल्ड भूमि	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19	19
पट्टे की भूमि	29	0	0	0	29	0	0	0	0	0	29	29
सड़कें एवं पुलिया	39	0	0	0	39	36	0	0	0	36	3	3
आवासीय एवं कल्याण भवन	1754	0	0	0	1754	1101	23	0	0	1124	630	653
जल प्रदाय, मल निकास तथा व्ययन	158	0	0	0	158	152	0	0	0	152	6	6
विद्युत संस्थापन	41	0	0	0	41	40	0	0	0	40	1	1
वाहन	122	0	0	0	122	113	3	0	0	116	6	9
फर्नीचर, जुड़नार	20	0	0	0	20	18	0	0	0	18	2	2
कार्यालय उपकरण	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0
विविध उपकरण	20	0	0	0	20	18	0	0	0	18	2	2
टाउनशिप योग	2205	0	0	0	2205	1481	26	0	0	1507	698	724
वर्क्स एवं टाउनशिप का योग	71754	540	(25)	0	72269	59585	790	0	(25)	60350	11919	12169
गत वर्ष	71227	616	(89)	0	71754	58486	636	(83)	546	59585	12169	12741

प्रभारित मूल्यहास :

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
लाभ हानि खाता	7,89	6,26
खदान (नोट सं. 23)	1	10
	7,90	6,36

नोट संख्या-11 निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य

(₹ लाखों में)

विवरण	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अंत में आंकड़े	वर्ष के दौरान वृद्धि	समायोजन	वर्ष के दौरान पूँजीगत	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अंत में आंकड़े
यांत्रिक परामर्श	1,21	0	0	1	1,20
सिविल इंजीनियरिंग कार्य	20,75	6	3	0	20,78
संयंत्र एवं मशीनरी-प्रतिस्थापन के अधीन सहित	32,58	1,06	0	2,47	31,17
संयंत्र एवं मशीनरी प्रतिस्थापन व्यय	1	0	0	0	1
प्रासंगिक व्यय जिनका आवंटन करना है। (संलग्न संदर्भित)	1,36	0	0	0	1,36
पूँजीगत भंडार	12	0	0	0	12
अन्य	1,64	0	0	0	1,64
योग	57,67	1,12	3	2,48	56,28
प्रावधान : डब्ल्यू. आई. पी. सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स	3	0	0	0	3
योग	57,64	1,12	3	2,48	56,25

नोट संख्या-11 (क) निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य (अमूर्त सम्पत्ति)

(₹ लाखों में)

विवरण	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अंत में आंकड़े	वर्ष के दौरान वृद्धि	समायोजन	वर्ष के दौरान पूँजीगत	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अंत में आंकड़े
सॉफ्टवेयर विकसित करना	2	0	0	0	2
योग	2	0	0	0	2
घटाए : प्रावधान सॉफ्टवेयर विकसित करना	0	0	2	0	2
योग	2	0	2	0	0

नोट संख्या – 11 का संलग्नक : निर्माण काल के दौरान प्रासंगिक व्यय लेखा

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हित सुविधाएं		
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	0	0
कुल पारिश्रमिक	0	0
विविध व्यय	0	1
विधिक व्यय	5	2
सुरक्षा व्यय	10	10
शुद्ध व्यय	15	13
नयागाँव विस्तार में अंतरित शेष	15	13
वर्ष के दौरान वृद्धि	0	0
आई. ई. डी. सी. खाते का सारांश		
निर्माण काल के दौरान प्रासंगिक व्यय का आरम्भिक शेष	1,36	1,36
वर्ष के दौरान वृद्धि	0	0
घटाएँ:		
वर्ष के दौरान पूजीगत किया गया	0	0
वर्ष के दौरान समायोजन किया गया	0	0
निर्माण काल के दौरान प्रासंगिक व्यय का अन्तिम शेष	1,36	1,36

नोट संख्या- 12 : गैर चालू निवेश

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को बाजार मूल्य	31 मार्च, 2016 को खाता मूल्य	31 मार्च, 2015 को बाजार मूल्य	31 मार्च, 2015 को खाता मूल्य
लंबी अवधि के निवेश				
लागत पर उद्धरित शेयर (पूर्ण प्रदत्त)				
(i) आन्ध्र सीमेंट कंपनी लि. के ₹ 10 प्रत्येक के 31 इक्विटी शेयर @ ₹ 8.20 (गत वर्ष ₹ 8.85)	@	@	@	@
(ii) ए.सी.सी.लि. के ₹ 10 के प्रत्येक मूल्य के 280 इक्विटी शेयर (जिसमें 180 बोनस शेयर सम्मिलित हैं) जोकि ₹ 100 मूल्य के 28 शेयरों से बदले गये हैं जिनका बाजार मूल्य बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से ₹ 1380.30 प्रति शेयर है। (गत वर्ष ₹ 1562.75)	4	@	4	@
लागत पर अनुद्धरित शेयर (पूर्ण प्रदत्त)				
(i) असम बंगाल सीमेंट कंपनी लि. का ₹10 का 1 इक्विटी शेयर *	-	@	-	@
(ii) जयपुर उद्योग लि. के ₹ 10 प्रत्येक के 79 इक्विटी शेयर	-	@	-	@
(iii) सोन वैली सीमेंट कंपनी लि. के ₹ 5 प्रत्येक के 40 इक्विटी शेयर	-	@	-	@
(iv) आन्ध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन के ₹ 10 मूल्य के 55,31,520 इक्विटी शेयर (23,15,520 बोनस शेयर सहित) 16,10,680 शेयर बेच दिए गए, जिसमें 1,34,000 बोनस शेयर सम्मिलित है। ₹ 10 मूल्य के 39,20,840 शेयर शेष बचे है (21,81,520 बोनस शेयर सहित)	3,22 94 <hr/>	- - 2,28 <hr/>	3,22 94 <hr/>	- - 2,28 <hr/>
निवेश का योग		2,28		2,28
उद्धरित निवेशों का योगफल				
लागत	-	@	-	@
बाजार मूल्य	4	-	4	-
अनुद्धरित निवेशों का योगफल				
लागत	—	2,28		2,28
गैर चालू निवेश का योग		2,28		2,28

@ ₹ 1,00,000/- से कम राशि

* निगम के नाम हस्तांतरण होना बाकी है।

नोट संख्या-13 दीर्घ-कालिक ऋण और अग्रिम

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
पूँजीगत अग्रिम		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	61	61
असुरक्षित, उत्तम माने गए	7,16	1,91
संदिग्ध	13	13
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	13	13
उपयोग	7,77	2,52
जमा केन्द्रीय उत्पादक शुल्क		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	1,88	1,43
संदिग्ध	28	28
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	28	28
उपयोग	1,88	1,43
अन्य जमा		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	11,99	10,85
संदिग्ध	25	25
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	25	25
उपयोग	11,99	10,85
ठेकेदार एवम् पूर्तिकर्ता		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	38	38
संदिग्ध	2,51	2,53
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	2,51	2,53
उपयोग	38	38
सरकारी विभाग के साथ शेष		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	4,61	1,57
संदिग्ध	1,74	1,74
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	1,74	1,74
उपयोग	4,61	1,57
बीमा व अन्य दावे		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	43	41
संदिग्ध	1,85	2,04
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	1,85	2,04
उपयोग	43	41

नोट संख्या-13 दीर्घ-कालिक ऋण और अग्रिम (जारी.....)

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
कर्मचारियों को अग्रिम व ऋण		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	1	2
असुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
संदिग्ध	0	0
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
उपयोग	1	2
वसूली योग्य दावे-रेलवे		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	8	7
संदिग्ध	3,88	3,88
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	3,88	3,88
उपयोग	8	7
वसूली योग्य उत्पाद शुल्क राहत		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	1,08	5,28
संदिग्ध	93	93
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	93	93
उपयोग	1,08	5,28
कर्मचारियों से वसूली योग्य		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	6	11
संदिग्ध	8	8
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	8	8
उपयोग	6	11
बाह्य पार्टियों से वसूली योग्य		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	4,32	4,60
संदिग्ध	7,60	7,32
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	7,60	7,32
उपयोग	4,32	4,60
जाँच होने तक कमियाँ-हानियाँ		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
संदिग्ध	5,90	5,90
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	5,90	5,90
उपयोग	0	0
कुल योग	32,61	27,24

नोट संख्या-14 : अन्य गैर चालू सम्पत्तियाँ

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
क) दीर्घ-कालिक व्यापार प्राप्य		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
संदिग्ध	15,02	15,02
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए	15,02	15,02
उप योग	0	0
ख) ऋणों एवं अग्रिमों पर देय व प्रोदभूत ब्याज (असुरक्षित, उत्तम माने गए)	88	76
उप योग	88	76
कुल योग	88	76

नोट संख्या-15 व्यय- अपरिशोधित व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
खनन् विकास व्यय		
आरम्भिक शेष	16,74	16,65
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,96	1,79
	20,70	18,44
घटाए: समायोजित/पूँजीगत	2,59	1,70
योग	18,11	16,74

नोट संख्या-16 चालू निवेश

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
चालू निवेश		
गैर व्यापार निवेश	0	0
1. कोट किए गए निवेशों से	0	0
2. कोट नहीं किए गए निवेशों से	0	0
योग	0	0

नोट संख्या-17 वस्तु सूचियाँ
(प्रबंधन द्वारा बनाई गई, मूल्यांकित एवं प्रमाणित)

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
क) भंडार व अतिरिक्त पुर्जे		
—स्टाक में	68,65	66,45
—मार्गस्थ में	11	24
उपयोग	68,76	66,69
ख) कार्य प्रगति में		
—स्टाक में	27,49	30,62
—मार्गस्थ में	0	0
उपयोग	27,49	30,62
ग) तैयार माल		
—स्टाक में	11,74	14,40
—मार्गस्थ में	1,68	2,22
उपयोग	13,42	16,62
घ) कच्ची सामग्रियाँ		
—स्टाक में	10,89	9,78
—मार्गस्थ में	1	3
उपयोग	10,90	9,81
ङ) खुले औजार एवं उपकरण		
—स्टाक में	1	1
—मार्गस्थ में	0	0
उपयोग	1	1
च) पैकिंग सामग्री		
—स्टाक में	78	1,02
—मार्गस्थ में	0	16
उपयोग	78	1,18
छ) कोयला		
—स्टाक में	7,64	7,76
—मार्गस्थ में	1,94	0
उपयोग	9,58	7,76
ज) स्क्रैप		
—स्टाक में	4,12	3,57
—मार्गस्थ में	0	0
उपयोग	4,12	3,57
योग	1,35,06	1,36,26
घटाएं: अप्राप्य वस्तु सूची का प्रावधान	11	11
कुल	1,34,95	1,36,15

नोट संख्या-18 व्यापार प्राप्य

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
क) व्यापार प्राप्य जो छह माह से अधिक की अवधि से बकाया है		
—सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
—असुरक्षित, उत्तम माने गए	1,71	76
—संदिग्ध	0	0
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
योग (क)	1,71	76
ख) अन्य व्यापार प्राप्य:		
—सुरक्षित, उत्तम माने गए	2,99	2,47
—असुरक्षित उत्तम माने गए	6,69	4,38
—संदिग्ध	0	0
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
योग (ख)	9,68	6,85
कुल योग (क+ख)	11,39	7,61

नोट संख्या-19 नगद और बैंक शेष

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
नगद और नगद समतुल्य		
हाथ में नगदी	2	2
चैक / डी.डी. हाथ में	3,58	1,55
बैंक में जमा *	2,12,45	1,77,48
बैंक शेष—चालू खाता	7,41	8,47
योग	2,23,46	1,87,52
अन्य बैंक शेष		
बैंक में शेषों को, जो कि मार्जिन मनी अथवा प्रतिभूतियों के रूप में धारित किया है		
—प्रतिभूति	7,98	8,93
—साख पत्र	0	4
कुल योग	2,31,44	1,96,49

* बैंकों में जमा राशि में, ₹ 1303.94 लाख (गत वर्ष ₹ 15223.90 लाख) की जमा जिसकी मैच्युरटी तारीख 12 महीनों से ज्यादा है, भी सम्मिलित है।

नोट संख्या-20 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
सरकारी विभागों के साथ शेष		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	3,95	3,31
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
उपयोग	3,95	3,31
ठेकेदार एवं पूर्तिकर्ता		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	3,45	8,87
संदिग्ध	0	3
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	3
उपयोग	3,45	8,87
वसूली योग्य दावे-रेलवे		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	7	7
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
उपयोग	7	7
अन्य जमा		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	3,82	3,47
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
उपयोग	3,82	3,47
बीमा व अन्य दावे		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	9	12
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
उपयोग	9	12

नोट संख्या-20 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (जारी)

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
कर्मचारियों के ऋण व अग्रिम		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	15	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	5	5
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
उपयोग	20	5
उत्पाद शुल्क/वैट वसूली योग्य राहत		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	2,38	2,40
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
उपयोग	2,38	2,40
कर्मचारियों से वसूली योग्य		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	40	20
असुरक्षित, उत्तम माने गए	20	5
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
उपयोग	60	25
बाह्य पार्टियों से वसूली योग्य		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	9,72	8,65
संदिग्ध	0	48
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	48
उपयोग	9,72	8,65
कुल योग	24,28	27,19

नोट संख्या-21 अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
मियादी जमा पर प्रोदभूत ब्याज	9,70	8,50
योग	9,70	8,50

नोट संख्या-22 अन्य आय

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के लिए आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के लिए आँकड़े
आय		
सम्पत्ति से किराया	18,14	11,82
कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	7	8
टाउनशिप से प्राप्तियाँ	45	44
विगत वर्षों से आय (शुद्ध) (नोट सं. 28 ख)	0	1
अधिक प्रावधान वापसी	12,40	1,67
देयताओं की छूट	0	0
बैंक ब्याज	19,02	17,52
विविध आय	13,01	3,75
पृथक की गई सम्पत्तियों की बिक्री से आय	2	9
योग	63,11	35,38

नोट संख्या-23 : उपभुक्त कच्चे माल की लागत

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के लिए आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के लिए आँकड़े
प्रारम्भिक शेष	9,78	9,87
वर्ष के दौरान अर्जन		
चूना पत्थर की खनन एवं परिवहन (*नीचे दी गई टिप्पणी को संदर्भित करें)	35,17	29,19
अन्य कच्चे माल की खरीद	16,32	18,61
उप-योग	61,27	57,67
घटाएं : अंतिम रहतिया	10,89	9,78
कुल उपभुक्त कच्चा माल	50,38	47,89
*टिप्पणी-चूना पत्थर की खनन तथा परिवहन		
चूना पत्थर की खनन तथा ठेकेदारों को किया गया भुगतान	910	6,28
कर्मचारियों को पारिश्रमिक तथा सुविधाएं		
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	4,67	5,07
उपदान भुगतान	1,05	75
कर्मचारियों को सुविधाएं	0	0
भविष्य निधि में अंशदान	23	26

नोट संख्या-23 : उपभुक्त कच्चे माल की लागत (जारी)

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के लिए आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के लिए आँकड़े
पेंशन निधि में अंशदान	8	7
छुट्टियों का नकदीकरण	29	26
चिकित्सा खर्च	9	17
उपदान के लिए प्रावधान	0	16
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	3	18
	6,44	6,92
उपभुक्त भण्डार		
सकल राशि	4,27	2,85
घटाएं : मरम्मत में सम्मिलित	2,99	1,89
	1,28	96
विद्युत	69	72
ईंधन	39	43
दर एवं कर	26	14
बीमा	0	1
रॉयल्टी एवं उपकरण	14,48	9,89
बट्टे खाते में डाला गया खदान विकास व्यय	2,59	1,70
यात्रा व्यय	2	2
अन्य व्यय	1,61	1,92
मूल्यहास	1	10
	20,05	14,93
मरम्मत मशीनरी	62	82
भवन	0	0
अन्य	1,64	1,07
	2,26	1,89
उपयोग	39,13	30,98
घटाएं : खदान विकास व्यय	3,96	1,79
योग	35,17	29,19

नोट संख्या-24 : तैयार माल, व्यापार स्टॉक और चालू सकर्म की सूचियों में परिवर्तन

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के लिए आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के लिए आँकड़े
अर्द्ध तैयार माल		
अंतिम रहतिया	27,49	30,62
प्रारम्भिक रहतिया	30,62	39,94
	(3,13)	(9,32)
तैयार माल		
अंतिम रहतिया	11,74	14,40
प्रारम्भिक रहतिया	14,40	16,07
	(2,66)	(1,67)
तैयार माल मार्गस्थ		
अंतिम रहतिया	1,68	2,22
प्रारम्भिक रहतिया	2,22	2,87
	(54)	(65)
स्क्रेप रहतिया		
अंतिम रहतिया	4,12	3,57
प्रारम्भिक रहतिया	3,57	3,44
	55	13
योग-उपचय / (अनुपचय)	(5,78)	(11,51)

नोट संख्या 25 : कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हित लाभ

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के लिए आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के लिए आँकड़े
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	45,93	45,28
उपदान भुगतान	4,99	5,51
कर्मचारियों को हितलाभ	8	9
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	78	1,98
भविष्य निधि में अंशदान	2,68	2,71
पेंशन निधि में अंशदान	80	65
चिकित्सा खर्चे	3,06	2,87
छुट्टियों का नकदीकरण	2,49	2,63
उपदान के लिए प्रावधान	34	1,63
कर्मचारी कल्याण व्यय	2,50	2,27
योग	63,65	65,62

नोट संख्या 26: अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के लिए आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के लिए आँकड़े
विद्युत	66,83	74,26
कोयला	1,00,38	1,04,15
ईंधन तथा तेल	16	21
किराया	18	33
उत्पाद शुल्क	1,62	2,19
दर एवं कर	4,65	3,78
बीमा	20	22
	1,74,02	1,85,14
मरम्मत एवं रख रखाव		
संयंत्र एवं मशीनरी	15,83	13,50
भवन	2,10	1,58
अन्य	2,16	3,15
कुल मरम्मत एवं रख-रखाव	20,09	18,23
अन्य उत्पादन व्यय	8,32	8,03
बट्टे खाते में डाले गये औजार एवं उपकरण	1	1
यात्रा व्यय	99	85
बिक्री व्यय		
सीमेंट का भाड़ा	29,18	34,93
चढ़ाई-उतराई खर्चे	3,62	4,99
द्वितीयक परिवहन	0	5
गोदाम व्यय	1,02	89
बिक्री संवर्धन एवं प्रचार	48	36
अन्य बिक्री व्यय	6	6
कुल बिक्री व्यय	34,36	41,28
वाहनों का परिचालन व्यय	72	49
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		
लेखा परीक्षा शुल्क	4	4
खर्चों की प्रतिपूर्ति	0	0
अन्य क्षमता में	1	1
कुल लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	5	5
लागत लेखा परीक्षा फीस	1	1
लागत लेखा परीक्षा व्यय	0	0
कुल लागत लेखा परीक्षा व्यय	1	1
सी. आर. आई तथा अन्यो को अंशदान	9	9
स्थायी सम्पत्ति के निपटान से हानि	0	0
संचार व्यय	33	33

नोट संख्या 26: अन्य व्यय (जारी)

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के लिए आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के लिए आँकड़े
मुद्रण तथा लेखन सामग्री व्यय	26	30
डाटा प्रोसेसिंग पर भाड़ा प्रभार	6	2
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	89	67
सुरक्षा व्यय	4,68	4,29
कर्मचारियों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण व्यय	10	8
*विविध व्यय	3,76	3,45
संविदा श्रमिकों को भुगतान	3,58	3,07
बन्द योजना पर व्यय	15	13
बटटे खाते का प्रावधान	2	13
विगत वर्षों का व्यय (शुद्ध) (नोट सं. 28 ख के संदर्भित)	1,51	0
निगमित समाजिक दायित्व	4	3
उप योग	2,54,04	2,66,68
भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे		
सकल राशि	15,38	13,54
घटाएं : मरम्मत तथा रख रखाव के अधीन सम्मिलित	8,88	8,93
	6,50	4,61
पैकिंग सामग्री	12,15	15,76
योग	2,72,69	2,87,05
*सम्मिलित :		
—मनोरंजन व्यय	0	1
—निदेशक उपस्थिति फीस	0	1

नोट संख्या—27 वित्त संबंधी लागतें

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के लिए आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के लिए आँकड़े
ब्याज		
—स्टाकिस्टों से जमा पर	13	13
—अन्य	2,10	2,84
योग	2,23	2,97

नोट संख्या-28 आपवादिक, असाधारण एवं विगत वर्षों से सम्बन्धित समायोजन

नोट संख्या-28 (क) आपवादिक मर्दे

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के लिए आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के लिए आँकड़े
आपवादिक मर्दे		
आय		
स्वीकृत योजना के तहत ब्याज की छूट	0	21,90
योग : आपवादिक आय	0	21,90
व्यय		
ब्याज	0	0
योग : आपवादिक व्यय	0	0
शुद्ध आपवादिक मर्दे आय/(व्यय)	0	21,90

नोट संख्या-28 (ख) विगत वर्षों के मद

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के लिए आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के लिए आँकड़े
आय		
कर्मचारियों की पारिश्रमिक एवं हितलाभ	0	3
भण्डार एवं पुर्जे	4	0
दर एवं कर	0	2
ब्याज	0	22
पूर्वावधि आय का योग	4	27
व्यय		
मरम्मत एवं रखरखाव	0	8
कच्चा माल	34	0
भण्डार एवं पैकिंग सामग्री	38	0
कर्मचारियों की पारिश्रमिक एवं हितलाभ	4	0
रॉयल्टी	67	0
ब्याज	0	10
बिजली एवं ईंधन	0	1
अन्य	12	7
पूर्वावधि व्यय का योग (i)	1,55	26
शुद्ध पूर्वावधि आय/व्यय (i-ii)	(1,51)	1

नोट संख्या-28 (ग) असाधारण मदें

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के लिए आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के लिए आँकड़े
आय	0	0
योग असाधारण मदें आय	0	0
व्यय		
योग असाधारण मदें व्यय	0	0
शुद्ध असाधारण आय/(व्यय)	0	0

नोट संख्या – 28 (घ)

31.3.2016 को समाप्त वर्ष का प्रचालन एवं गैर-प्रचालन के आय और व्यय का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	प्रचालित		गैर-प्रचालित		योग	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
क) आय:-						
बिक्री (शुद्ध)	3,92,89	4,02,92	0	0	3,92,89	4,02,92
अन्य प्रचालित आय	13	1,18	0	0	13	1,18
अर्द्ध तैयार तथा तैयारमाल की उपचय (अनुपचय)	(5,78)	(11,51)	0	0	(5,78)	(11,51)
कुल आय	3,87,24	3,92,59	0	0	3,87,24	3,92,59
ख) व्यय:-						
प्रचालित व्यय	3,80,64	3,91,63	13,97	15,19	3,94,61	4,06,82
खराब हानि	0	0	0	0	0	0
कुल व्यय	3,80,64	3,91,63	13,97	15,19	3,94,61	4,06,82
ग) प्रचालन गतिविधियों से एवम् ब्याज व कर पूर्व लाभ	6,60	96	(13,97)	(15,19)	(7,37)	(14,23)
ब्याज खर्च	1,10	1,86	1,13	1,11	2,23	2,97
घ) कर पूर्व लाभ/(हानि)	5,50	(90)	(15,10)	(16,30)	(9,60)	(17,20)
ड) आय कर	0	0	0	0	0	0
च) कर पश्चात्, प्रचालन गतिविधियों से लाभ/(हानि)	5,50	(90)	(15,10)	(16,30)	(9,60)	(17,20)
छ) अन्य आय	55,89	33,17	7,22	2,21	63,11	35,38
ज) आपवादिक मर्दे-आय/(व्यय)	0	21,90	0	0	0	21,90
झ) आसाधरण मर्दे-आय/(व्यय)	0	0	0	0	0	0
ञ) परिचालन गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि)	61,39	54,17	(7,88)	(14,09)	53,51	40,08

नोट संख्या-29 आकस्मिक दायित्वों और प्रतिबद्धताएँ (उस सीमा तक जिस तक उपबंध नहीं किया है।)

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
अ) आकस्मिक दायित्वः		
क) कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे, जिन्हें उधार के रूप में अभी स्वीकार नहीं किया गया है		
1 कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए अधिनियम 271 (1)(C) के अन्तर्गत आयकर की मांग	29,61	29,61
2 तादूर व बोकाजन ईकाई हेतु बिक्रीकर मांग	29,94	18,56
3 किलंकर पर उत्पाद शुल्क- सितम्बर 2012 से फरवरी 2013 (राजबन)	0	13,77
4 राजबन सर्दर्भित, रेलवे जमीन लाइसेंस शुल्क (अप्रैल 10 से मार्च 15)	13,09	13,09
5 मध्यस्था मामला-नोरटन पोलीमर लि.	5,87	5,87
6 मण्डार एवं अकलतरा हेतु टी.एम.सी.	3,64,49	3,64,49
7 तादूर हेतु विद्युत व्हीलिंग प्रभार	37,15	35,26
8 अन्य, विविध मामले	90,12	76,82
ख) ऐसे अन्य धन, जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।	0	0
योग (अ)	5,70,27	5,57,47
ब) प्रतिबद्धताएँ:-		
क) पूँजीगत लेखा निष्पादित किए जाने के लिए शेष सभी सविदाओं की अनुमानित रकम जिनके लिए उपबंध नहीं किया गया है।	1,58,64	1,62,05
ख) अन्य प्रतिबद्धताएं (विनिर्दिष्ट प्रकृति)	0	0
योग (ब)	1,58,64	1,62,05
योग (अ+ब)	7,28,91	7,19,52

(क) कर्मचारियों के सेवा मामले आदि के लिए क्षतिपूर्ति/पदोन्नति/दावों के लिए विभिन्न अदालतों में लंबित(अनिर्णीत) मामलों के प्रभाव को खातों में नहीं दिया गया है क्योंकि राशि अभी निश्चित नहीं है।

नोट संख्या-30 : दिनांक 31.3.2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियां

1. कार्पोरेशन द्वारा किए गए ₹ 7664.86 लाख (गत वर्ष ₹ 9343.62 लाख) के दावे/प्रतिदावे, जो कि आर्बीट्रेशन/कोर्ट इत्यादि के अधीन अनिर्णीत हैं तथा जिनके निर्णय/अवार्ड/डिक्री इत्यादि दिए/किए जाने के बाद ही पता चलेगा, के लिए लेखों में कोई प्रभाव नहीं दिया गया है।
2. (i) फार्म "सी"/"डी" और "एफ"/"बी-II" इत्यादि प्राप्त न होने के कारण बिक्री कर की देयता के लिए तुलन-पत्रा की तारीख तक ₹ 418.05 लाख (पिछले वर्ष ₹ 184.39 लाख) का कोई प्रावधान नहीं किया गया या आवश्यक समझा गया क्योंकि इनके अंतिम कर निर्धारण और अपीलों पर निर्णय होने के पहले प्राप्त होने की आशा है।
(ii) कर निर्धारण वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के लिए निर्धारण अधिकारी (आयकर विभाग) आदेशानुसार, निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई आय क्रमशः राशि ₹ 8,85,00,87,850/- और राशि ₹ 87,98,64,000/- को कम्पनी की, आगे ले जाई गई हानियाँ से समायोजित किया गया है। जिसके मद्देनजर, कम्पनी की, आगे ले जाई हानियाँ ₹ 9,72,99,51,850/- से कम हो गई है। निगम ने अपनी अपील दायर की है जो कि आई. टी. ए. टी. में निर्णय हेतु आई. टी. ए. टी. के समक्ष लम्बित है।
3. 1.06 एकड़ (मांढर), 5 बीघा (बोकाजन), 0.146 हैक्टेयर (नयागांव), 495.75 एकड़ (अकलतारा), 10.12 एकड़ (भटिण्डा ग्राइंडिंग यूनिट) भूमि के लिए टाइटिल विलेख तथा 155.83 एकड़ (नयागांव), 58.81 एकड़ (अदिलाबाद)। आगे, दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट को 20.02 एकड़ भूमि पट्टे पर 99 वर्षों के लिए दी गई थी जिसे डीडिए ने जमीन के पट्टे को निरस्त कर दिया है। जिसपर सीसीआई ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील सं. 15834/06 दायर की है और न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। भूमि का ब्यौरा मिलान के अधीन है।
4. दिनांकित 03.12.2015 के खनिज (सरकारी विभाग द्वारा खनन) नियम 2015 के अनुसार 50 वर्ष की अवधि के लिए सभी सरकारी कम्पनियों के खनन पट्टों को स्वीकृत समझा गया है। तदनुसार सी सी आई के सभी खनन पट्टों को स्वीकृत व मान्य माना गया है।
5. सीसीआई अदिलाबाद कालोनी के बाहर की सरकारी भूमि के अधिग्रहण जिसे पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 7 के लिए सड़क हेतु उपयोग में ली गई है और जिसकी माप 32 गुंटा है, जिसके लिए हस्तांतरण आदेश राजस्व विभाग से प्राप्त होने की प्रतीक्षा है, के लिए देय राशि यदि कोई हो, का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
6. 31 मार्च, 2016 को खतियों में पड़े 15753.980 मी. टन (पिछले वर्ष 19293.727 मी. टन) अंतिम रहतिये के खुले सीमेंट के संबंध में ₹ 85.80 लाख (पिछले वर्ष ₹ 108.67 लाख) के अदत्त उत्पाद शुल्क की देयता के लिए व्यवस्था कर दी गई है। 31 मार्च, 2016 को 15753.980 मी. टन (पिछले वर्ष 19293.727 मी. टन) सीमेंट के स्टॉक के लिए ₹ 0.12 लाख (गत वर्ष ₹ 0.14 लाख) की राशि का उपकर देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है। परंतु इससे कार्पोरेशन के लाभ-हानि लेखे की वास्तविक स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
7. विभिन्न कम्पनियों के शेयरों (₹ 37.79 लाख का अंकित मूल्य), जिन्हें स्व. श्री आर. के. डालमिया द्वारा धारित किया गया था और जिन्हें उनके द्वारा लिए गए ₹ 214 लाख के ऋण के बदले भूतपूर्व डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड के पास प्रतिभूति के रूप में रखा गया है। यद्यपि इन शेयरों का मूल्य ₹ 2.80 लाख था (प्राप्य मूल्य पर) लेकिन इन्हें संदिग्ध माना गया था और तदनुसार इन्हें पूर्व वर्ष में हिसाब में लिया गया था।
8. स्कोप काम्प्लैक्स, नई दिल्ली भवन की लीज डीड जिसका कार्पोरेशन के पक्ष में निष्पादन होना बाकी है, को ₹ 266.58 लाख की लागत पर बिना विद्युत संस्थापन ₹ 5.70 लाख के प्रावधिक रूप से मालिकाना हक मानते हुए इसका मूल्यहास के रूप में परिशोधित किया जा रहा है।

9. दिनांक 25.04.96 के पत्रा सं. एस ई सी/84/96/513 के तहत रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (एस पी) अधिनियम, 1985 की धारा 15(i) के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को एक संदर्भ भेजा गया था। कम्पनी को माननीय बी. आई. एफ. आर. के पत्र सं. 501/96-बेंच iv एस. ओ. एल. दिनांक 8.8.96 के तहत रुग्ण घोषित किया गया था। मै. आई एफ सी आई, परिचालन एजेंसी द्वारा तैयार की गई डी आर एस को माननीय बी. आई. एफ. आर. की 21.3.06 को हुई उसकी बैठक में अनुमोदन कर दिया गया और मंजूर की गई योजना को 3.5.06 को परिचालित कर दिया गया। जिसमें प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों का समाधान करने और तीन परिचालन संयंत्रों का विस्तार/प्रोद्योगिकी उन्नयन करने तथा बाकी 7 परिचालनेतर संयंत्रों को बंद करने/बिक्री करने की परिकल्पना की गई है। स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के अंतर्गत 6 इकाईयों को बंद कर दिया गया है तथा कर्मचारियों को, अदिलाबाद इकाई को छोड़कर जिनका मामला माननीय उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में लंबित है, माननीय बी आई एफ आर की 21.01.2015 की सुनवाई में, कम्पनी को एम. डी. आर. एस. (संशोधित पुर्नवास मसौदा योजना) प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिसके लिए एक बोर्ड दिशा निर्देश, स्वीकृति हेतु मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए हैं। मामला प्रगतिशील है।
10. i) लेनदारों/राज्य सरकारों/अन्य सरकारी विभागों/एजेंसियों आदि के संबंध में राहतों और रियायतों पर तब उचित विचार किया जाएगा जब कभी इसके साथ कोई आकस्मिकता न जुड़ी होने के कारण या इसके लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर जैसे भी मामला हो, ऐसी रियायतें/राहतें देना निश्चित हो जाए।
- ii) माननीय बी. आई एफ. आर. की दिनांक 3.5.2006 की मंजूर योजना के अनुसार भारत सरकार के ऋण जिसमें ₹ 150.90 करोड़ (गत वर्ष ₹ 150.90 करोड़) ब्याज रहित ऋण भी सम्मिलित हैं की अदायगी सात गैर प्रचलनरत इकाईयों की बिक्री से की जाएगी। जबकि 1.4.2011 से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए ₹ 123.85 करोड़ के गैर योजनागत ऋण पर प्रोदभूत ब्याज की गणना रोक दी गई है। व ब्याज की अदायगी गैर प्रचलनरत इकाईयों की बिक्री से की जाएगी।
11. निम्नलिखित इकाईयों का उत्पादन प्रत्येक इकाई के सामने दी गई तिथि से बन्द कर दिया गया है :-
- | | | |
|--|---|--------------------|
| 1) मंडार (छत्तीसगढ़) | — | 06.06.1996 |
| 2) चरखीदादरी (हरियाणा) | — | 14.08.1996 |
| 3) अकलतारा (छत्तीसगढ़) | — | 09.12.1996 |
| 4) नया गांव, नया गांव विस्तार (मध्य प्रदेश) | — | 30.06.1997 |
| 5) कुर्कन्टा (कर्नाटक) | — | 01.11.1998 |
| 6) अदिलाबाद (तेलंगाना) | — | 05.11.1998 |
| 7) क. दिल्ली सीमेंट ग्राइडिंग यूनिट (दिल्ली) | — | 08.02.1999 |
| ख. भटिंडा ग्राइडिंग यूनिट (पंजाब) | — | चालू नहीं किया गया |

आई. एफ. सी. आई. (ओ. ए.) द्वारा तैयार की गई मसौदा पुनर्वास योजना (डी.आर.एस) को माननीय बी.आई.एफ.आर. द्वारा 21.3.06 को हुई अपनी सुनवाई में अनुमोदित किया गया है और मंजूर की गई योजना को 03.05.06 को परिचालित किया गया है। जिसमें प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों का समाधान करने तथा उक्त सात परिचालनेतर इकाईयों को बन्द करने/उनकी बिक्री करने की परिकल्पना की गई थी। उक्त सात इकाईयों की परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य उनकी पुस्तक से अधिक है का उल्लेख उक्त योजना में किया गया है। इसी प्रकार बोकाजन, राजबन, व तांदूर इकाई की परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य, उनकी पुस्तक मूल्य से कहीं अधिक है। अतः सम्भावित अनर्जक हानि के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अतः अनर्जक हानि के लिए लेखों में कोई प्रावधान करने पर विचार नहीं किया गया है।

12. येरागुटंला के बारे एम. ओ. यु./बिक्री करार के अनुसार एस. बी. आई. कैप्स, मर्चेंट बैंकर्स द्वारा नियुक्त विशेष लेखा परिक्षक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, इण्डिया सीमेंट लिमिटेड के साथ लम्बित (रुका हुआ) मिलान तथा पुष्टीकरण, यद्यपि बिक्री के समय पाई गई जरूरी देयताओं का पहले से ही खातों में समावेश किया जा चुका है।
13. पुर्नवास योजना के क्रियान्वन के दौरान, 22.03.2007 को ₹ 355.43 करोड़ की राशि के गैर संचयी अधिमानी शेयर 7 वर्ष के लिए जारी किए थे। प्राथमिकता शेयर को पुनः जारी करने की आगे की कार्यवाई शुरू करने के संबंध में मंत्रिमण्डल/बी. आई. एफ. आर. के निर्देशानुसार, मंत्रालय से अनुमति मांगी है।
14. आय कर अधिनियम के तहत अनुमेय अवधि के अन्तर्गत आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चितता की अनुपस्थिति में आस्थगित कर-निर्धारण को मान्यता नहीं दी जाती है।
15. चालू देयताओं के अन्तर्गत, चालू एवं गैर चालू शेषों को वर्गीकृत करते हुए, मंजूर शुदा योजना में इनकी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर समाविष्ट किया गया है।
16. निगम की भौगोलिक एवं व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, लेखा मानक – 17 के अंतर्गत सेगमेंट रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।
17. ₹ 717.04 लाख राशि के असमायोजित/बैदावों (लावारिस) अग्रिमों को जो कि दशकों से अधिक से खातों में है को चालू वर्ष में वापस लिया गया और खातों में (नोट-22) में विविध प्राप्ति में दर्शाया गया है।
18. लेखा मानक 29 के अनुसार, प्रावधानों का ब्यौरा नोट 5 व 9 के संदर्भ में

(₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के आरंभ में शेष		वर्ष के दौरान भुगतान एवं समायोजन		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के अंत में शेष	
वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
उपदान	42.29	41.08	2.29	0.58	0.34	1.79	40.34	42.29
बोनस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00
निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	0.24	0.47	0.13	0.23	0.00	0.00	0.11	0.24
अर्जित अवकाश दायित्व	19.79	17.75	0.31	0.12	0.81	2.16	20.29	19.79
अन्य	39.39	56.65	99.35	113.83	100.26	96.57	40.30	39.39

19. सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम एम. एस. एम. ई. उद्यमों को देय ब्याज का विवरण।

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	गतवर्ष
1.	वर्ष के अंत में विक्रेताओं (पूर्तिकारों) को अप्रदत्त बकाया मूल्य	81	1,14
2.	वर्ष के अंत में उस पर अप्रदत्त बकाया ब्याज	2,97	2,83
3.	विक्रेताओं (पूर्तिकारों) को वर्ष के दौरान, धारा 16 के अन्तर्गत, निश्चित अवधि के उपरान्त राशि सहित, ब्याज का भुगतान	0	0

4.	विलम्ब अवधि के लिये भुगतान योग्य राशि पर देय ब्याज जिसमें नियम के तहत निश्चित ब्याज राशि नहीं छोड़ी गई है। (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान, निश्चित दिवस के बाद किया जा चुका है।)	0	0
5.	वर्ष के दौरान, प्रोदभूत ब्याज और वर्ष के अंत में बकाया अप्रदत्त ब्याज	14	14
6.	लघु उद्यमों को ब्याज की देय राशि तथा अगले वर्ष में की जाने वाली भुगतान अथवा देय ब्याज का भुगतान उस तिथि तक, धारा 23 के अर्न्तगत अयोग्य राशि का निर्धारण होना बाकी है।	2,97	2,83

20. लेखा मानक 15 के अनुसार कर्मचारी हित

निगम ने लेखा मानक-15 को अपनाया है- कर्मचारी हित निम्नानुसार हैं

(i) भविष्य निधि

निगम पूर्व निर्धारित दर से, भविष्यनिधि का अंशदान अलग से न्यास (ट्रस्ट) को भुगतान करता है, और न्यास धन को अनुमति प्राप्त प्रतिभूति में निवेश करता है। न्यास (ट्रस्ट) को, सहभागियों के किये गये अंशदान पर न्यूनतम दर से ब्याज भुगतान करना आवश्यक है। यदि भविष्य निधि न्यास को कोई हानि होती है, तो उसे निगम द्वारा सहन किया जाता है।

(ii) उपदान

निगम की एक निश्चित (परिभाषित) योजना है। प्रत्येक कर्मचारी, उपदान नियम के अनुसार, उपदान पाने का हकदार है। उपदान की देयता, मान्यता प्राप्त बीमांकक मूल्यांकनकर्ता के आधार पर की जाती है।

(iii) छुट्टी नकदीकरण

जिन कर्मचारियों की संचित ई.एल. एच.पी.एल. आदि हैं और वह देय छुट्टी नकदीकरण के योग्य है। छुट्टी नकदीकरण की देयता मान्यता प्राप्त बीमांकक मूल्यांकनकर्ता के आधार पर की जाती है।

(iv) अन्य निश्चित सेवानिवृत्ति हित

कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने पर, कर्मचारी व उनके आश्रितों को गृह प्रदेश में व्यवस्थापन हेतु निगम की एक योजना है। बीमांक मूल्यांक के आधार पर लाभ हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

विभिन्न निश्चित हित की संक्षिप्त स्थितियों को, निम्नानुसार लाभ हानि खाते व तुलन पत्रा में मान्यता दी जाती है।

(क) लाभ हानि खाते में खर्चों की मान्यता

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृत्ति पर अन्य निश्चित हित	
		31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016
क	वर्तमान सेवा लागत	149.56	142.92	81.93	84.15	1.01	0.96
ख	व्याज लागत	339.50	329.22	149.58	157.11	2.49	2.30
ग	अवधि में शुद्ध (वृद्धि) हानि की बीमांकक मान्यता	38.48	(54.03)	157.68	119.51	(3.56)	(2.80)
घ	लाभ हानि विवरण में मान्यता प्राप्त खर्च	527.54	418.11	389.19	360.77	(0.06)	(0.47)

(ख) तुलन पत्र में रकम की मान्यता

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृत्ति पर अन्य निश्चित हित	
		31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016
क	अवधि के अन्त में वर्तमान मूल्य बाध्यता	4115.32	3920.44	1963.85	2014.92	28.81	27.24
ख	निधि स्थिति / अन्तर	(4115.32)	(3920.44)	(1963.85)	(2014.92)	(28.81)	(27.24)
ग	तुलनपत्र में शुद्ध परिसंपत्तियों / (देयताओं) की मान्यता	(4115.32)	(3920.44)	(1963.85)	(2014.92)	(28.81)	(27.24)

(ग) वर्तमान मूल्य की बाध्यता में परिवर्तन

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृत्ति पर अन्य निश्चित हित	
		31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016
क	अवधि के प्रारम्भ में वर्तमान मूल्य बाध्यता	3994.19	4115.32	1759.72	1963.85	29.31	28.81
ख	ब्याज लागत	339.50	329.22	149.58	157.11	2.49	2.30
ग	प्रचलित सेवा लागत	149.56	142.91	81.93	84.15	1.01	0.96
घ	हित भुगतान	(406.41)	(612.98)	(185.06)	(309.70)	(0.44)	(2.02)
ड.	बीमांकक (वृद्धि) हानि पर बाध्यता	38.48	(54.03)	157.68	119.51	(3.56)	(2.80)
च	अवधि के अन्त में वर्तमान मूल्य बाध्यता	4115.32	3920.44	1963.85	2014.92	28.81	27.24

(घ) वर्तमान अवधि के लिए राशि

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृत्ति पर अन्य निश्चित हित	
		31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016
क	अवधि के अन्त में वर्तमान मूल्य बाध्यता	4115.32	3920.44	1963.85	2014.92	28.81	27.24
ख	ब्याज लागत	(4115.32)	(3920.44)	(1963.85)	(2014.92)	(28.81)	(27.24)

(ड) बीमांकक कल्पना

क्र. सं.	विवरण	31-03-2016 को
क	सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष
ख	आयु	वापसी दर : % 30 वर्ष तक — 00.00 31 वर्ष से 44 वर्ष — 1% 44 वर्ष से उपर — 1%
ग	स्थिति दर	8%
घ	भविष्य वेतन वृद्धि	6%
ड.	योजनागत परिसम्पत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	0

21. अग्रिमों, देनदारों एवं लेनदारों आदि के अन्तर्गत दर्शाई गई बकाया राशि पुष्टि/पुनर्मिलान के अध्वधीन है। इनमें कुछ पुरानी बकाया राशियाँ, लम्बित जाँच और समायोजन शामिल हैं। इसके पूरे होने पर इनकी आवश्यक गणना की जाएगी।
22. कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार निगमित समाजिक दायित्वों (सी.एस.आर.) के तहत विभिन्न गतिविधियों हेतु किये गए निम्नलिखित व्यय को संक्षिप्त विवरणी व खातों को नोट संख्या 26 में दिखाया गया है।

(₹ लाखों में)

		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(क)	निगम का पिछले तीन वर्षों का औसत लाभ हानि	2146	1458
(ख)	निर्धारित सी.एस.आर. व्यय (कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन उपरोक्त का 2%)	43	29
(ग)	नीचे दिये अनुसार वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	4	3
(घ)	खर्च नहीं की गई राशि (ख-ग)	39	26

क्रम सं.		नगद		अभी तक नगद में किया गया भुगतान		जोड	
		वर्तमान	गतवर्ष	वर्तमान	गतवर्ष	वर्तमान	गतवर्ष
1	किसी भी सम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
	उपरोक्त के अलावा						
	(I) 2 शौचालय-स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत	4	2	0	0	4	2
	(II) स्वास्थ्य (मेडिकल) कैम्प	0	1	0	0	0	1

23. “कम्पनी (लेखा मानक) नियम 2006 में “सम्बन्धित पार्टी खुलासा” लेखा मानक 18 के अनुसार प्रबंधन यह प्रमाणित करता है कि वर्ष के दौरान कोई भी सम्बन्धित लेनदेन नहीं हुआ है। संबंधित पार्टी का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम. सं.	मुख्य व्यक्ति का नाम	पद	₹ लाखों में	
			वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1.	श्री मनोज मिश्रा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	28.68	27.35
2.	श्री आर. पी. टाक	भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 30.09.2014 तक	0.00	15.97
3.	श्री एस. सी. अग्रवाल	भूतपूर्व निदेशक (वित्त) 5.5.15 तक	5.17	24.33
4.	श्री बी.वी.एन. प्रसाद	निदेशक (एच आर) 19.1.16 से	5.49	0.00
5.	श्री एस. शक्तिमनी	निदेशक (वित्त) 7.3.16 से	1.64	0.00
6.	श्री अजय कुमार शर्मा	कंपनी सचिव	12.17	11.84
7.	श्री ए. बी. देयासी	सी. एफ. ओ.	19.96	18.07

इनके अतिरिक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों को गैर-कार्यालयीन कार्यों के लिए ₹ 2000 /- प्रतिमाह की दर से भुगतान करने पर 1000 कि.मी. प्रतिमाह तक कम्पनी का वाहन उपयोग करने की अनुमति है।

24. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 20 के अनुसार कम्पनी का प्रतिर्जन शेयर (अंश) निम्नलिखित है।

क्रम.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1.	वर्ष के दौरान बकाया साम्या अंशों की संख्या	45,59,749	45,59,749
2.	साम्या अंशों का अंकित मूल्य (₹ में)	1,000	1,000
3.	वर्ष के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	53,51	40,08
4.	घटाएँ—गैर संचयी प्रवर्तनीय अंशों पर लाभांश की राशि (₹ लाखों में)	4	4
5.	अंशधारकों के योग्य कर पश्चात लाभ (₹ लाख में) (3-4)*	53,51	18,14
6.	मूल व कम किया हुआ प्रति शेयर अर्जन ₹ में	1,17	40

*असाधारण व अपवादिक को छोड़कर

25. पूर्ववर्ती वर्ष के आँकड़ों को विभाजित किया गया है और आवश्यकता होने पर चालू वर्ष के आँकड़ों से समरूपता के लिए उन्हें पुनः समूहबद्ध किया गया है।

ह०
(मनीष मेहता)
वित्त प्रमुख

ह०
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह०
(शे. शक्तिमणि)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ

ह०
(मनोज मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते कपूर भूषण एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001676 एन

नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2016

ह०
(सी ए पी. बी. कपूर)
भागीदार
मेम्बरशिप नं. 010858

नोट संख्या-31 : मात्रात्मक विवरणी

विवरण	वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
	मात्रा मी. टन	मूल्य (₹ लाखों में)	मात्रा मी. टन	मूल्य (₹ लाखों में)
1. वास्तविक उत्पादन				
1.1 पोर्टलैंड सीमेंट				
साधारण	799055	मी. टन	835075	मी. टन
पोजोलाना	113815	मी. टन	117610	मी. टन
योग	912870	मी. टन	952685	मी. टन
2. क्लिंकर (सीमेंट तैयार होने से पूर्व की सामग्री न कि अतिरिक्त उत्पादन)	865310	मी. टन	872600	मी. टन
2.1 क्लिंकर क्रय	0	मी. टन	0	मी. टन
3. सीमेन्ट प्रेषण	914318	मी. टन	947986	मी. टन
4. आरम्भिक रहतिया				
कारखाने में रहतिया				
सीमेंट- साधारण	2,15,71	8,02	1,89,24	6,53
सीमेंट- पोजोलाना	24,26	1,00	3,78	17
डम्प में रहतिया				
सीमेंट- साधारण	1,11,00	4,60	2,14,54	8,77
सीमेंट- पोजोलाना	14,21	76	10,64	60
मार्गस्थ				
सीमेंट- साधारण	43,61	2,00	61,81	2,42
सीमेंट- पोजोलाना	4,32	22	7,92	45
सैट सीमेंट / क्षतिग्रस्त सीमेंट				
सीमेंट- साधारण	60,32	2	59,37	0
सीमेंट- पोजोलाना	30,16	0	30,16	0
योग	5,03,59	16,62	5,77,46	18,94
क्लिंकर	13,68,44	26,68	17,59,77	36,34
क्लींकर (क्रय)	0	0	0	0
योग	13,68,44	26,68	17,59,77	36,34
5. बिक्री स्वयं उपभोग/अन्तरण सहित				
क) सीमेंट - साधारण	80,29,97	3,92,89	84,43,49	4,02,62
ख) पोजोलाना	11,38,84	0	11,54,66	0
ग) स्वयं उपभोग - साधारण	46	0	1,10	0
घ) - पोजोलाना	0	0	0	0
ड) सीमेंट - निर्यात	0	0	0	0
योग	91,69,27	3,92,89	95,99,25	4,02,62
च) क्लिंकर	0	0	12,79	30
योग	0	0	12,79	30

नोट संख्या-31 : मात्रात्मक विवरणी (जारी...)

विवरण	वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
	मात्रा मी. टन	मूल्य (₹ लाखों में)	मात्रा मी. टन	मूल्य (₹ लाखों में)
6. क. अंतिम रहतिया				
कारखाने में रहतिया				
सीमेंट — साधारण	1,91,11	6,56	2,15,71	8,02
सीमेंट — पोजोलाना	34,38	1,25	24,26	1,00
डम्प में रहतिया				
सीमेंट — साधारण	98,94	3,93	1,11,00	4,60
सीमेंट — पोजोलाना	0	0	14,21	76
मार्गस्थ				
सीमेंट — साधारण	33,85	1,49	43,61	2,00
सीमेंट — पोजोलाना	4,08	19	4,32	22
सैट/क्षतिग्रस्त सीमेंट				
सीमेंट — साधारण	59,93	0	60,32	2
सीमेंट — पोजोलाना	30,16	0	30,16	0
योग	4,52,45	13,42	5,03,59	16,62
ख. अन्तिम रहतिया				
क्लंकर	13,59,28	21,11	13,68,44	26,68
क्लींकर (खरीद)	0	0	0	0
ग. सीमेंट —परीक्षण, मार्गस्थ में कमी इत्यादि				
परीक्षण में प्रयुक्त	0	0	0	0
इकाई को अन्तरण	0	0	0	0
मार्गस्थ इत्यादि में कमी — पोजोलाना	2,49	0	1,47	0
गोदाम में कमी (हैंडलिंग एजेंट)	8,08	0	0	0
योग	10,57	0	1,47	0
7. क्लंकर : सीमेंट ग्राइडिंग में प्रयुक्त	86,62,26	2,33,56	91,04,54	2,43,73
8. उपभुक्त कच्चा माल				
चूना पत्थर	1,29,36,38	35,42	1,28,79,60	28,32
लैटराइट	93,97	32	1,26,62	40
लौह अयस्क	2,14,26	6,15	2,25,37	10,22
जिप्सम	2,12,73	5,50	2,35,22	6,37
शैल	4,70,82	1,67	7,44,79	2,04
फलाई ऐश	2,24,86	1,16	1,78,44	42
जली हुई मिट्टी	33,51	16	23,23	12
अन्य	0	0	0	0
उपभुक्त कच्चे माल का योग		50,38		47,89

नोट संख्या-31 : मात्रात्मक विवरणी (जारी...)

विवरण	वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
	मात्रा मी. टन	मूल्य (₹ लाखों में)	मात्रा मी. टन	मूल्य (₹ लाखों में)
9. आयातित माल का मूल्य जिसको सी.आई.एफ. आधार पर गुणित किया गया				
क) कच्चा माल	0	0	0	0
ख) संघटक एवं अतिरिक्त पुर्जे	0	0	0	0
ग) पूंजीगत माल	0	0	0	0
10. वर्ष के दौरान उपभुक्त सभी आयातित कच्चे माल अतिरिक्त पुर्जे एवं संघटकों का मूल्य तथा इसी प्रकार वर्ष के दौरान उपभुक्त सभी देशी कच्चे माल, संघटकों का मूल्य तथा प्रत्येक का कुल उपभोग का%				
आयातित	0	0	4	2,52
स्वदेशी	1,00	65,14	96	58,91
योग	1,00	65,14	1,00	61,43
11. विदेशी मुद्रा का प्रेषण	0	0	0	0
12. विदेशी मुद्रा में आय	0	0	0	0

ह०
(मनीष मेहता)
वित्त प्रमुख

ह०
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह०
(शे. शक्तिमणि)
निदेशक (वित्त)/सी एफ ओ

ह०
(मनोज मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते कपूर भूषण एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001676 एन

नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2016

ह०
(सी ए पी. बी. कपूर)
भागीदार
मेम्बरशिप नं. 010858

नोट संख्या-32 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखांकन का आधार

लेखे प्रोद्भूत आधार अपनाते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी पर तैयार किये जाते हैं, केवल निम्नलिखित मद ही जो कि नकद आधार पर लेखांकित किये जाते हैं।

(i) परिसमाप्त क्षतियों/दंड/किये गये दावों रेलवे व बीमा छोड़कर, को वसूल होने पर खातों में लिया जाता है तथा विविध आय में जोड़ा जाता है।

(ii) स्टोर और कलपुर्जों को अधिशेष/कम प्रचलित/अप्रचलित वस्तुओं आदि पर हुए, लाभ/हानि यदि कोई है, को केवल उनके निपटान के वर्ष में ही लेखाकृत किया जाता है।

2. राजस्व मान्यता

बिक्री, उत्पाद-शुल्क सहित एवम् बिक्री कर को छोड़कर बताई जाती है। उत्पाद-शुल्क पृथक दिखाया जाता है।

3. भूमि एवं परिशोधन

(i) राज्य सरकार द्वारा निशुल्क दी गई भूमि को नाममात्रा लागत या इसके अर्जन पर हुए प्रासंगिक व्यय के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

(ii) खदान के खान-पट्टे के अधीन उन्मुक्त भूम्याधिकार एवं पट्टे की भूमि जो 99 वर्ष से कम पट्टे पर है, 10 वर्ष की अवधि के भीतर संबंधित इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से परिशोधित की जाती है।

4. निवेश

(i) दीर्घकालीन निवेश को लागत मूल्य पर दर्शाया जाता है। ऐसे निवेशों के मूल्यों में स्थाई गिरावट को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया जाता है।

(ii) चालू निवेश को लागत एवं उद्धित/उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है।

5. उधार लागत

उधार लागत प्राप्त होने वाली परिसम्पतियों के अर्जन, निर्माण अथवा उत्पादन के योग्य हैं को उधार लागत की तरह परिसम्पतियों के एक भाग को पुँजीगत किया जाता

है। ऐसी परिसम्पतियाँ जिनके प्रयोग में आने के लिए काफी समय लगता है उधार लागतों को राजस्व खातों में प्रभारित किया जाता है।

6. वस्तुसूची

क) मूल्यांकन

(i) सामग्री, कलपुर्जों एवं कच्चा माल केवल (ii) नीचे में दर्शाये गये को छोड़कर भारित औसत लागत पर दर्शाया जाता है। अप्रचलित / कार्य में न आने योग्य सामग्री एवं कलपुर्जों को जब उनका निर्धारण होता है वसूली योग्य मूल्य पर उन्हें स्क्रेप मान लिया जाता है।

(ii) क्लंकर व अन्य अर्द्ध-निर्मित माल को इकाई की भारित औसत लागत अथवा वसूल होने वाले मूल्य वर्कबैक फार्मूले के आधार पर, में से जो भी कम हो, को दर्शाया जाता है किन्तु नकारात्मक मूल्य होने की स्थिति में यह शून्य मूल्य पर लिया जाता है।

(iii) कारखानों/परियोजनाओं/डम्पों अथवा डम्पों के मार्गस्थ तैयार माल को इकाईयों की भारित औसत लागत अथवा प्राप्य मूल्य में, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है। डम्प तक किये गये बिक्री व्यय में सम्मिलित भाड़े को विभिन्न डम्पों के तैयार माल के मूल्य में शामिल किया जाता है।

(iv) विविध स्क्रेप मदों की कुल मात्रा को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संबंधित मदों के लिए नवीनतम बिक्री आदेशों के अनुसार प्राप्त दर पर मूल्यांकित किया जाता है। तथापि जहां यह दर उपलब्ध नहीं होती है क्योंकि स्क्रेप पहली बार उत्पन्न हुआ है अथवा पहले उसका निपटान नहीं किया गया हो तो ऐसी स्क्रेप मदों के मूल्यांकन के लिए इनके निपटान हेतु तय आरक्षित मूल्य से किया जाता है।

ख) खुले औजार और उपकरण

औजारों एवं उपकरणों को तीन वर्ष की अवधि में प्रभारित किया जाता है।

7. मूल्यह्रास

(i) वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 में विनिर्दिष्ट

पैरा 133 के लेखा मानक के अनुपालन, के साथ पठित कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक प्रावधान के अन्तर्गत ऐतिहासिक लागत पर प्रोद्भूत आधार पर बनाये गये हैं।

(ii) परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास तभी किया जाता है जब कि वे पूरी हो गई है और प्रयोग करने के लिए उपलब्ध है।

(iii) वर्ष के दौरान बढ़ाई गई परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास उन्हें पूंजीगत करने के तिथि के अनुपात में और हटा देना/बिक्री/समाप्त करने की तिथि तक यथानुपात लगाया जाता है।

(iv) वर्ष के प्रारम्भ में कोई भी अकेली परिसम्पत्ति जिसका ह्रासित मूल्य ₹ 5000 या उससे कम हो, उसे वर्ष के दौरान पूर्ण-ह्रासित कर दिया जाता है। बिना अवशिष्ट कीमत रखे हुए क्योंकि इसे नगण्य माना जाता है।

(v) वर्ष के दौरान खरीदी गई ₹ 5000 मूल्य तक की अकेली परिसम्पत्ति को सकल ब्लॉक में लेकर उसी वर्ष उन पर पूरा मूल्यहास कर दिया जाता है।

8. आस्थगित राजस्व व्यय

(i) पर्यवेक्षण और बेधन पर हुए व्यय को आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है और इकाइयों के वाणिज्यिक उत्पादन में जाने के बाद इसे तीन से पांच वर्षों में प्रभारित किया जाता है।

(ii) खान पर से हटाई गई जालोद मिट्टी आदि के व्यय को, जिसका उपयोग सड़क बिछाने, स्टाकयार्ड, क्रशर रैम्प आदि जैसे पूंजीगत कार्यों के लिए है, को पूंजीगत किया जाता है। जालोद मिट्टी आदि हटाने पर हुए शेष व्यय को प्रारम्भिक रूप से आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है और उस अवधि तक के लिए प्रभारित किया जाता है जब तक खदान विकास से निकाला गया चूना-पत्थर उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है।

(iii) किराए के भवनों में किए गए अंदरूनी विभाजन और जुड़नार की लागत को स्थापना के वर्ष में ही सीधा खर्च में दिखाया जाता है। परन्तु यदि यह लागत एक लाख रुपये से अधिक हो तो इसे आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है और 3 से 5 वर्षों में प्रभारित किया जाता है।

(iv) इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद हाई

क्रोम ग्राइडिंग मीडिया के प्रारम्भिक सम्पूर्ण प्रभार को आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है और तीन वर्ष की अवधि के अन्दर प्रभारित किया जाता है। तथापि प्रतिपूर्ति-प्रभार लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

(v) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना हेतु यदि कोई अप्रयुक्त अनुदान सहायिकी नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए देय डेढ़ माह के वेतन (वेज) के बराबर का भुगतान या शेष सेवा अवधि का बकाया, जो भी कम हो, तथा नोटिस अवधि वेतन को कर्मचारी की बाकी सेवा अवधि या इसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष जो भी कम हो, के लिए आस्थगित एवं प्रभारित किया जाता है। अपितु 01.04.2003 को या उसके बाद में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति/स्वैच्छिक पृथक योजना के मद में किया गया पूरा खर्च जब खर्च हुआ उसी वर्ष में प्रभारित किया जाएगा।

9. पूर्वावधि/असाधारण मदों का समायोजन

वर्ष विशेष से संबंधित व्यय/प्राप्तियां जो खातों के बंद होने के बाद अर्थात् निर्धारित तारीख के बाद ध्यान में आती है और जिनकी धनराशि ₹ 10,000/- से अधिक न हो तो उसे अगले वर्ष में संबंधित व्यय/प्राप्तियों के शीर्षक में अंकित कर दिया जाता है। यदि धनराशि ₹ 10,000/- से अधिक हो तो इसके लेखांकन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के ए. एस.-5 में दिए प्रावधानों के अनुसार वर्तमान वर्ष/पूर्वावधि/असाधारण आय/प्राप्तियों के सामान्य/आय प्राप्तियों के सामान्य लेखाशीर्ष में व्यवहृत किया जाता है।

10. विदेशी मुद्रा व्यवहारों का लेखांकन

विदेशी ऋण देयताओं का निर्धारण वर्ष के अंतिम कार्यदिवस पर बंद बाजार विनिमय दर पर किया जाता है। व्यवहार के निपटान पर प्राप्तियां या हानियां (क) परियोजना अवधि के दौरान संबंधित उपस्कर लागत में जमा/नामे किया जाता है। जो स्टोर्स एवं सेवाओं से संबंधित है, को आई0 ई0 डी0 सी0 में जमा/नामे किया जाता है (ख) परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन में जाने के बाद प्राप्तियों/हानियों को संबंधित उपस्कर की लागत में डाला जाता है परन्तु जो पुर्जों एवं सेवाओं से संबंधित है उन्हें लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

स्थाई परिसम्पत्तियों पर ऐसे समायोजनों से फलित मूल्यह्रास भविष्यलक्षी प्रभाव से समायोजित किया जाता है।

11. सरकारी अनुदान / सहायता

(i) विनिर्दिष्ट स्थायी परिसम्पत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों/सहायता को उन परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य में से घटाकर उनका खाता मूल्य निकाला जाता है। जहाँ विनिर्दिष्ट स्थायी परिसम्पत्ति हेतु अनुदान उस परिसम्पत्ति की लागत के बराबर अथवा लगभग बराबर हो तो उस परिसम्पत्ति का मूल्यांकन नाममात्रा लागत अथवा उसके अधिग्रहण/संस्थापन पर हुए प्रासंगिक व्यय के आधार पर किया जाता है।

(ii) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना हेतु अनुदान, परिवहन सहायता एवं अन्य राजस्व अनुदान संबंधित व्यय में से घटा दिए जाते हैं।

(iii) केन्द्रीय निवेश जनित सहायता के योजनांतर्गत प्राप्त सरकारी अनुदानों को, जो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन स्वरूप हों, एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अन्य समरूप अनुदानों को, जिनमें साधारणतः पुनर्भुगतान अपेक्षित नहीं हैं, ऐसे अनुदानों को पूंजीगतसंचिती माना जाता है।

(iv) उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य पूंजीगत/राजस्व अनुदानों/सहायता को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी ए. एस. 12 के अनुसार लेखांकित किया जाता है।

12. निगम के दावे

(i) बीमा के दावों को सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर खाते में लेखांकित किया जाता है। और / या जिन दावों का कुछ भुगतान प्राप्त किया जा चुका है उन्हें दावों के दायर करने के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। यद्यपि जहाँ पर, यदि 31 मार्च तक हुई हानियों के मामले की सर्वे रिपोर्ट खाते बंद करने की अवधि से पहले प्राप्त नहीं होती है तो उसके प्रकटीकरण लेखा टिप्पणियों के रूप में किया जाता है।

(ii) रेलवे के दावे उनके दायर करने पर लेखांकित किए जाते हैं।

13. जमा कार्य

प्रगतिशील निक्षेप कार्यों को निगम का पूंजीगत प्रगतिशील कार्य समझा जाता है तथा आई. ई. डी. सी. को समानुपात रूप में निक्षेप कार्यों के साथ तब जोड़ा जाता है जब उनका स्वामित्व अंतरित एवं पूंजीगत किया जाता है।

14. कर्मचारी हित सुविधाएं

(i) संदायगी उपदान अधिनियम, 1972 तथा कम्पनी की अपनी उपदान योजना के अधीन उपदान के लिए प्रावधान प्रत्येक वर्ष एक जनवरी को सेवारत सभी कर्मचारियों के संबंध में एक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ii) अर्जित अवकाश/अर्द्धवेतन अवकाश आदि जो कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर नकदीकरण योग्य होते हैं, का प्रावधान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को सेवारत कर्मचारियों के एक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(iii) बोनस के लिए देयता का लेखा संदायगी बोनस अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार इकाई के आधार पर किया जाता है न कि सम्पूर्ण निगम के आधार पर। मुख्यालय के लिए बोनस की देयता की व्यवस्था अन्य इकाईयों को देय बोनस की औसत दर के अनुसार की जाती है।

15. ऋण पत्रों के मोचन पर प्रीमियम

ऋण पत्रों के मोचन पर देय प्रीमियम को जिसकी शुरुआत ऋण पत्रों आबंटन के वर्ष ऋण पत्रों की अवधि तक बराबर किश्तों में लाभ तथा हानि खाते/आई.ई.डी.सी. खाते में प्रभारित किया जाता है।

16. पूर्वदत्त-व्यय

प्रत्येक मामले में ₹ 10,000/- अथवा उससे कम राशि जो आगामी वर्षों के लिए अग्रिम व्यय कर दी गई है उसे चालू वर्ष के व्ययों के रूप में लेखांकित किया जाता है।

17. वसूल न होने वाले एवं संदिग्ध देनदारियां/ऋणों/अग्रिमों आदि का आलेखन

(i) संदिग्ध देनदारी/ऋण या अग्रिम यदि वे संदिग्ध हों

परन्तु जिनकी वसूली होने की आशा हो, उनके लिए प्रावधान किया जाता है।

(ii) जब वसूली प्रयास वैधानिक प्रक्रिया से असफल हो जाएं या जहां यह समझा जाता है कि मुकदमेबाजी से वसूली संभव तथा फलदायी नहीं है तब उस रकम को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

18. अंतर-इकाई/अंचल/ मुख्यालय अंतरण

(i) इकाईयों द्वारा तैयार माल प्रारंभ में प्रेषण योजना दर पर मूल्यांकित किया जाता है तथा बाद में बेची गई मात्रा का वास्तविक वसूली मूल्य, अंचल द्वारा तय किया जाता है।

(ii) अंतर इकाई/अंचल/मुख्यालय को अंतरित स्थायी परिसंपत्ति इत्यादि को लेखा खाता मूल्य पर लेखांकित किया जाता है।

(iii) विलकर का अंतर इकाई अंतरण उसके वसूली दरों पर (सीमेंट से वर्कबैक पद्धति द्वारा) आलेखित किया जाता है तथा इसकी मार्गस्थ हानियों को माल प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा लागत में आमेलित किया जाता है।

(iv) अंतर इकाई/अंचल/मुख्यालय के शेषों का नियमित रूप से मिलान किया जाता है तथा उनका पुष्टीकरण प्राप्त किया जाता है।

19. व्यय का वर्गीकरण

(i) स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत पर किया हुआ व्यय जिसमें सामग्री और कलपुर्जों की कीमत सम्मिलित है, नीचे (ii) में दर्शाये को छोड़कर लाभ/हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है।

(ii) स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत पर किया हुआ व्यय जिसमें सामग्री और कलपुर्जों की कीमत सम्मिलित है और जो वर्तमान परिसंपत्ति से भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभ में पहले अनुमानित की गई कार्य क्षमता में ज्यादा वृद्धि करता है, पूंजीकृत किया जाना है उदाहरणतः क्षमता में वृद्धि।

(iii) वेतन एवं मजदूरी

संयंत्रा एवं मशीनरी, भवनों आदि की मरम्मत और अनुरक्षण की मजदूरी और वेतन को सीधे वेतन और मजदूरी लेख में प्रभारित किया जाता है।

(iv) अन्य विविध व्यय

पार्कों, वृक्षारोपण और तम्बु एवं तारपोलिन आदि खरीदने पर किया गया व्यय, राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

20. विद्यमान संयंत्र के साथ ही विस्तार परियोजनाओं/ नई परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष व्यय

विद्यमान संयंत्रा द्वारा प्रशासन, पर्यवेक्षण आदि पर किए गए सामान्य व्यय को विस्तार परियोजनाओं/नई परियोजनाओं पर प्रभारित नहीं किया जाता है।

21. निगमित कार्यालय के व्यय का नियतन

प्रबंधन के श्रेष्ठतम मूल्यांकन और निर्णय के अनुसार अनुमानित लाभ के आधार पर या विभिन्न इकाईयों के अनुपात में इकाईयों और निर्माणाधीन परियोजनाओं में निगमित कार्यालय का राजस्व व्यय आबंटित किया जाता है।

ह०
(मनीष मेहता)
वित्त प्रमुख

ह०
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह०
(शे. शक्तिमणि)
निदेशक (वित्त)/सी एफ ओ

ह०
(मनोज मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते कपूर भूषण एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001676 एन

नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2016

ह०
(सी ए पी. बी. कपूर)
भागीदार
मेम्बरशिप नं. 010858

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरणी

(₹ लाखों में)

विवरण	प्रचालित इकाईयां		गैरप्रचालित इकाईयां		योग	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
प्रचालन गतिविधियों से कैश						
कर के पश्चात निवल लाभ/हानि (-)	61,39	54,17	(7,88)	(14,09)	53,51	40,08
जमा : मूल्य ह्रास समायोजन के लिए	6,53	5,02	1,37	1,34	7,90	6,36
स्थाई परिसम्पत्तियों के निपटान से लाभ	0	(9)	0	0	0	(9)
ऋण व अग्रिमों के बट्टे खाते के लिए प्रावधान के लिए	0	0	0	13	0	13
वित्त लागत	1,10	1,86	1,13	1,11	2,23	2,97
आस्थगित राजस्व व्यय का समायोजन	2,59	1,70	0	0	2,59	1,70
घटाएँ : आय ब्याज व अन्य प्राप्तियों	(43,73)	(53,34)	(6,98)	(2,18)	(50,71)	(55,52)
अन्य अधिक प्रावधान वापसी	(12,16)	(1,64)	(24)	(3)	(12,40)	(1,67)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले	15,72	7,68	(12,60)	(13,72)	3,12	(6,04)
प्रचालन लाभ						
कार्यशील पूंजी परिवर्तन						
समायोजन परिचलित सम्पत्ति में कमी/वृद्धि के लिए						
वस्तु सूची	1,01	12,35	19	38	1,20	12,73
व्यापार देय	(3,78)	2,98	0	0	(3,78)	2,98
चालू व गैर चालू ऋण एवं अग्रिम	(3,25)	(6,39)	79	(74)	(2,46)	(7,13)
अन्य चालू सम्पत्ति	0	0	0	0	0	0
अन्य गैर चालू सम्पत्ति	0	0	0	0	0	0
समायोजन परिचलित देयताओं में कमी/वृद्धि के लिए						
व्यापार प्राप्य	(2,06)	(3,11)		0	(2,06)	(3,11)
अन्य दीर्घ-कालिक चालू देयताएँ	(15,87)	(1,79)	1,46	1,26	(14,41)	(53)
अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रावधान	1137	7,45	56	(95)	11,93	6,50
अस्थगित राजस्व व्यय (परिवर्धन)	(3,96)	(1,79)	0	0	(3,96)	(1,79)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगदी	(82)	17,38	(9,60)	(13,77)	(10,42)	3,61
II. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो						
अचल परिसम्पत्तियों की खरीद	3,01	6,16	2,39	0	5,40	6,16
ब्याज एवं अन्य प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0	0
ब्याज प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0	0
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ	0	(15)	0	(1)	0	(16)
कार्य प्रगति पर	(1,41)	2,54	0	0	(1,41)	2,54
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी	(2,43)	8,83	(11,98)	(13,76)	(14,41)	(4,93)
III. वित्तीय गतिविधियों से कैश						
अंश पूंजी	0	0	0	0	0	0
गैर प्रचलनरत इकाईयों को निधि का अन्तरण	(4,88)	(11,69)	4,88	11,69	0	0
भारत सरकार को ऋण भुगतान	0	0	0	0	0	0
प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत ऋण	0	0	0	0	0	0
ब्याज एवं अन्य प्राप्तियाँ	42,40	31,81	7,00	2,19	49,40	34,00
ब्याज भुगतान	(4)	(26)	0	0	(4)	(26)
नगदी एवं समतुल्य नगदी में निवल वृद्धि व गिरावट	35,05	28,69	(10)	12	34,95	28,81



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरणी(जारी)

(₹ लाखों में)

विवरण	प्रचालित इकाईयां		गैरप्रचालित इकाईयां		योग	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
नगदी एवं समतुल्य नगदी (प्रारम्भिक)	1,96,29	1,67,60	20	8	1,96,49	1,67,68
नगदी एवं समतुल्य नगदी (अंतिम)	2,31,34	1,96,29	10	20	2,31,44	1,96,49

नगदी एवं बैंक का शेष

(₹ लाखों में)

	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
नगदी हाथ में	2	2
चैक हाथ में	3,58	1,55
बैंक जमा	2,07,97	1,77,48
चालू खाता	7,41	8,47
बैंकों में शेष जो कि अधीन है		
—प्रतिभूत	12,46	8,93
—साख पत्र	0	4
योग	2,31,44	1,96,49

- जब जब कार्यशील पूँजी की आवश्यकता हुई, स्वयं के संसाधनों से पूर्ति की गई है।
- बैंकों में जमा राशि में ₹ 1303.94 लाख, (गत वर्ष ₹ 15223.90 लाख) जिनकी मेच्यूरटी अवधि 12 महीनों से अधिक है भी सम्मिलित है।

ह०
(मनीष मेहता)
वित्त प्रमुख

ह०
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह०
(शे. शक्तिमणि)
निदेशक (वित्त)/सी एफ ओ

ह०
(मनोज मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते कपूर भूषण एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001676 एन

नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2016

ह०
(सी ए पी. बी. कपूर)
भागीदार
मेम्बरशिप नं. 010858

सामाजिक अधिशीर्षों पर निवेश एवं व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2015 के अन्त में आँकड़े
पूँजीगत निवेश		
टाउनशिप	20,41	20,41
वाहन, फर्नीचर एवं विविध उपकरण	1,64	1,64
कुल निवेश	22,05	22,05
सामाजिक अधिशीर्षों पर व्यय		
टाउनशिप का रख-रखाव एवं अनुरक्षण	76	54
मूल्यहास	26	37
जलपान गृह सहायिकी (सब्सिडी)	59	57
शिक्षा सहायिकी	97	80
सामाजिक एवं संस्कृतियां गतिविधियों हेतु सहायिकी	18	15
अन्य व्यय	28	20
योग	3,04	2,63
घटाएं : टाउनशिप से प्राप्तियां	45	44
सामाजिक अधिशीर्षों में कुल निवल व्यय	2,59	2,19

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य,
सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (दी कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिनमें 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण तथा नगदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य स्पष्टीकरण युक्त सूचना का सारांश शामिल हैं। इसमें ग्यारह यूनिटें (मांढार, तान्दूर, चरखी-दादरी, अलकतरा, नयागांव, नयागांव विस्तार और दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट, कुर्कुटा, आडिलावाद, बोकाजन, सिल्वर ग्राइंडिंग यूनिट) जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई और राजबन (हिमाचल प्रदेश), भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट और निगमित कार्यालय, जिनकी लेखापरीक्षा हमारे द्वारा की गई है, शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी (लेखांकन) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने, ऐसे निर्णय करने और अनुमान लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल हैं, जो उचित और तथ्यपरक हैं; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी इसमें शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से लेखांकन

रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से लागू किए गए और जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के ऐसे प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और मामलों पर विचार किया है, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक्षक कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी के अनुरूप आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही तस्वीर प्रस्तुत करने पर विचार करता है, जो वित्तीय विवरणों की कंपनी द्वारा तैयारी के संबंध में ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने में सहायक होते हैं, जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं और सही तथा स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

अर्हतापूर्ण दृष्टिकोण के लिए आधार

- क. कंपनी के पक्ष में कुछ यूनिटों की भूमि के अधिकार और पट्टा अभिलेख (लीज डीड) काफी समय से लंबित हैं तथा भूमि संबंधी विवरणों का पुनर्मिलान किया जाना है अर्थात् वे पुनर्मिलान के अध्यधीन हैं। इसके अलावा दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट के संदर्भ में 99 वर्ष के लिए पट्टा आधार पर 20.20 एकड़ भूमि का आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया है और मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में है और के समक्ष लंबित है [नोट संख्या 30 का बिंदु सं. 3 देखें] ।
- ख. सीसीआई की आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि, जिसका प्रयोग पम्प हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क मार्ग के रूप में किया गया है, के संदर्भ में एलीनेशन आदेश के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली देयता का निर्धारण न करने और उसके लिए प्रावधान न करने के लिए राजस्व विभाग से स्वीकृति प्रतीक्षित है [नोट 30 का बिंदु सं. 5 देखें] ।
- ग. पुनर्मिलान लंबित होने के कारण 1998 में बेची गई येरगुंतला यूनिट के संदर्भ में विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित असंगतताओं के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है [नोट 30 का बिंदु सं. 12 देखें] ।
- घ. व्यापारिक प्राप्तियों, ऋण और अग्रिमों, व्यापारिक देयताओं, पक्षकारों के साथ जमा राशियों और उनसे प्राप्त होने वाली राशियों और अन्य देयताओं की बकाया राशियों की पुष्टि और पुनर्मिलान किया जाना है। पुनर्मिलान न करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है [नोट 30 का बिंदु सं. 21 देखें] ।
- ङ. कंपनी की 7 फैक्टरियां और दिल्ली में एक ग्राइंडिंग यूनिट है, जहां वर्ष 1996 से 1999 के बीच प्रचालन बाधित हो गया था और भटिंडा (पंजाब) में भी कंपनी की एक ग्राइंडिंग यूनिट है, जहां उत्पादन शुरू नहीं किया जा सका, जिसके संदर्भ में नोट 30 के बिंदु संख्या 11 में ध्यान आकर्षित किया गया है। प्रबंधन के दृष्टिकोण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-28 के अंतर्गत परिसंपत्तियों के इंपेयरमेंट के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि अपेक्षित

बाजार मूल्य सामान्यतया परिसंपत्तियों के बही मूल्य की तुलना में अधिक होता है [नोट 30 का बिंदु सं. 11 देखें] ।

- च. कार्पोरेशन ने 22 मार्च 2007 को 07 (सात) वर्ष के लिए ₹355.43 करोड़ मूल्य के प्रत्येक ₹1000 के 3554325 संचयी रिडिमेबल प्राथमिकता शेयर भारत सरकार को जारी किए थे। जारी किए जाने की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त प्राथमिकता शेयरों को 22 मार्च 2014 से पहले रिडीम किया जाना था, जो जारी किए जाने की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं। प्रबंधन ने सूचित किया है कि मंत्रीमंडल/बीआईएफआर के निर्देशानुसार प्राथमिकता शेयर जारी करने के संबंध में आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है [नोट 30 का बिंदु सं. 13 देखें] ।
- छ. कंपनी द्वारा विभिन्न पक्षकारों के विरुद्ध दायर किए गए ₹ 76.65 करोड़ के दावों और प्रतिदावों, जो न्यायालयों आदि में लंबित हैं अथवा माध्यस्थों के अधीन हैं, के लिए लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया गया। चूंकि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, अतः इस चरण पर इनका आकलन नहीं किया जा सकता है। [नोट 30 का बिंदु सं. 1 देखें] ।
- ज. नोट सं. 29 में कंपनी ने अकलतारा और मंधार यूनिटों के संदर्भ में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को देय न्यूनतम टैरिफ प्रभार के मद में कर्ज के रूप में स्वीकार किए गए कंपनी के विरुद्ध दावों को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत ₹ 364.49 करोड़ की राशि को शामिल किया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और इस चरण पर इसके परिणाम की गणना नहीं की जा सकती है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त अर्हता दृष्टिकोण वाले पैराग्राफ के लिए आधार में उल्लिखित मामलों के प्रभाव को छोड़कर उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अंतर्गत यथावश्यक सूचना विहित ढंग से प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और नकदी प्रवाह की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

मामला पर जोर

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में संदर्भित निम्नलिखित मामलों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं:

(क) कंपनी के वित्तीय विवरण जारी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों के अनुरूप तैयार किए गए हैं, जबकि :

- I. इसे रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 की धारा 31 के खंड (ओ) के अर्थ में एक रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया है।
- II. कार्पोरेशन की संचित हानियां इसकी प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियों से अधिक हो रही हैं।
- III. बीआईएफआर ने नयागांव विस्तार योजना के अंतर्गत दो यूनिटों सहित कंपनी की 7 फैक्टरियों की बिक्री के लिए दिनांक 3 मई 2006 के अपने आदेश के अनुक्रम में एक योजना स्वीकृत की है।

कंपनी की एक जारी प्रतिष्ठान के रूप में प्रचालन बनाए रखने की योग्यता/क्षमता बीआईएफआर पैकेज में यथा परिकल्पित पुनरुद्धार योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर काफी हद तक निर्भर है (नोट 30 का बिंदु संख्या 9 देखें)। वित्तीय विवरणों में रिकॉर्ड की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों की वसूली और वर्गीकरण से संबंधित कोई समायोजन शामिल नहीं किया गया है, जो कंपनी जारी प्रतिष्ठान के रूप में अपना प्रचालन जारी न रख पाने की स्थिति में आवश्यक हो सकती है।

(ख) मूल्यांकन वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए मूल्यांकन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 147 के साथ पठित धारा 143 (3) के अंतर्गत पूरे किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ भत्तों का नुकसान हुआ है। इसके फलस्वरूप कंपनी की मूल्यांकित और आगे लाई गई हानियों में ₹ 973.00 करोड़ की कमी दर्शाई गई है, जिसके विरुद्ध कंपनी ने अपील दायर की हैं, जो अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं (नोट 30 का बिंदु संख्या 2 (ii) देखें)।

(ग) बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03.05.2006 के आदेश के जरिए अनुमोदित मसौदा पुनर्वास योजना (डीआरएस) को 2 (दो) चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसके पहले चरण के लिए भारत सरकार द्वारा पूरी वित्तीय सहायता प्रदान की गई, वह चरण पूरा हो गया है। दूसरे चरण को 2007-08 तक पूरा किया जाना था, जिसे 07

(सात) गैर प्रचालनरत यूनिटों की बिक्री से होने वाली आय से कार्यान्वित करने की योजना थी, अब तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई नहीं दे रही है।

(घ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के संदर्भ में कंपनी ने पिछले 3 (तीन) वर्ष के औसत निबल लाभ के आधार पर खर्च किए जाने वाले ₹ 43.00 लाख की राशि की तुलना में निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के मद में ₹ 4.00 लाख रुपये की राशि खर्च की है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") के अनुसार यथाआवश्यक और कंपनी के ऐसे रिकॉर्ड और बहियों, जिन्हें हमने जरूरी समझा और उपयुक्त पाया, की जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध – 'क' में उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. हम कंपनी के ऐसे रिकॉर्ड और बहियों, जिन्हें हमने जरूरी समझा और उपयुक्त पाया, की जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों/उप निदेशों के आधार पर धारा 143 (5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट अनुबंध – I और अनुबंध – II के रूप में संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

(ख) हमारे दृष्टिकोण में और जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई है;

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं अर्थात् उनसे मेल खाते हैं;

(घ) हमारे दृष्टिकोण में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी

(लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं;

- (इ) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुक्रम में भारत सरकार की एक कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप धारा (2) के प्रावधान कार्पोरेशन के लिए लागू नहीं हैं।
- (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनरत प्रभावशीलता के संदर्भ में कृपया “अनुबंध – ख” में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें।
- (छ) हमारे दृष्टिकोण में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने

वाले अन्य मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं :

- I. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – वित्तीय विवरणों पर नोट संख्या 29 देखें;
- II. कंपनी ने व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएं नहीं कीं, जिसके लिए कोई बड़ी दृश्य हानियां हुई हों।
- III. ऐसी कोई भी निधियां नहीं पाई गईं, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता रही हो।

कृते कपूर भूषण एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 001676एन

ह०
(सीए पी. बी. कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं. 010858

स्थान: दिल्ली

तारीख : 28 जुलाई, 2016

अनुबंध—‘क’

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखाओं पर सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के “अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” शीर्षक के अंतर्गत पैरा 1 देखें।

ऐसी जांच के आधार पर जिन्हें हमने उपयुक्त समझा है और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

I. इसकी स्थाई परिसंपत्तियों के संदर्भ में :

(क) कॉर्पोरेशन ने स्थाई परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड तैयार किए हैं।

(ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा अपनाए गए सत्यापन संबंधी चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थाई परिसंपत्तियों (कुछ यूनिटों में छोड़कर) का भौतिक सत्यापन किया गया है जो हमारे दृष्टिकोण से स्थाई परिसंपत्तियों का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन का प्रावधान प्रतीत होता है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे सत्यापन में कोई बड़ी त्रुटि नहीं पाई गई।

(ग) शाखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार कुछ यूनिटों को छोड़कर अचल परिसंपत्तियों के मालिकाना हक विलेख कंपनी के नाम पर रखे गए हैं। नोट 30 का बिंदु संख्या 3 देखें।

II. इसकी इन्वेंटरी के संदर्भ में:

(क) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार फैक्टरी में कच्चा माल, तैयार माल, अर्ध तैयार वस्तुओं और ए तथा बी श्रेणी के स्टोर एवं कलपुर्जों की इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन का संबंध है, तो प्रबंधन के पास ऐसी प्रणाली मौजूद है कि ऐसे सभी आइटमों का भौतिक सत्यापन वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा कम से कम एक बार अवश्य किया जाता है। जहां तक कलपुर्जों की श्रेणी ‘सी’ के अंतर्गत आने वाली इन्वेंटरी का संबंध है, तो भौतिक सत्यापन के लिए प्रबंधन के पास ऐसी प्रणाली मौजूद है कि ऐसे सभी आइटमों का भौतिक सत्यापन तीन वर्ष के ब्लॉक में कम

से कम एक बार अवश्य किया जाए। तदनुसार ऐसी इन्वेंटरी के एक भाग का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान किया गया। ऐसी कोई इन्वेंटरी नहीं है, जो तृतीय पक्षकारों के पास पड़ी हो।

(ख) हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने इन्वेंटरी का उचित रिकॉर्ड तैयार किया है और भौतिक सत्यापन पर बही रिकॉर्डों की तुलना में कोई बड़ी त्रुटियां/कमियां नहीं पाई गई।

III. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल अन्य कंपनियों/पक्षकारों को स्वीकृत किए गए सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों के संदर्भ में :

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों सीमित देयता भागीदारी अथवा अन्य पक्षकारों को कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं स्वीकृत किया है; और इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

IV. ऋण, निवेश, गारंटियों और प्रतिभूतियों के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का कंपनी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

V. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की है और न ही उसके पास ऐसी कोई जमा राशियां हैं, जिनके बारे में कोई दावा न किया गया हो। अतः आदेश के खंड 3 (v) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

VI. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए यथाविहित नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्डों की व्यापक समीक्षा की है और हमारा यह मानना है कि कंपनी ने प्रथम दृष्टया विहित लागत रिकॉर्ड तैयार किए हैं और उन्हें बनाए रखा है। हालांकि हमने यह निर्धारित करने के लिए लागत रिकॉर्डों की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे परिशुद्ध अथवा पूर्ण है या नहीं।

VII. सांविधिक देयताओं के संदर्भ में :

(क) कंपनी के रिकॉर्डों के अनुसार और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, आयकर, स्रोत पर कर की कटौती, स्रोत पर संग्रहित कर, व्यवसायिक कर, बिक्री कर, मूल्यवर्धित कर (वैट), सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उप कर और इसके लिए यथालागू अन्य बड़ी सांविधिक देयताओं सहित सभी अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान संगत प्राधिकारियों को नियमित रूप से किया है। निम्नलिखित अविवादित मामलों में तुलन पत्र की तारीख को भुगतान बकाया राशियों / एरियर के रूप में है जो उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि से देय है:

सांविधि का स्वरूप	देयता का स्वरूप	राशि (₹ लाख में)
स्थानीय बिक्री कर	बिक्री कर	2014.28
निगमित कर	एनएएलए कर	51.13
निगमित कर	संपत्ति कर	640.45
सेवा कर	सेवा कर	2.29
उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	11.20
निगमित कर	रॉयल्टी	885.83
निगमित कर	प्रवेश कर	5.53
आय कर	आयकर के विलंब से भुगतान पर ब्याज	0.22
केंद्रीय बिक्री कर	सीएसटी	9.28
स्थानीय बिक्री कर	अधिभार / अतिरिक्त कर	9.07
उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951	सीमेंट पर उपकर	16.77

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित

को छोड़कर आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, वैट, उप कर और अन्य बड़ी सांविधिक देयताएं 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार एरियर के रूप में देय/बकाया नहीं हैं, जो भुगतान हेतु उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि से देय हैं :

विवरण	देयता का स्वरूप	कहां लंबित है?	राशि (₹ लाख में)
बिक्री कर	बिक्री कर	एपीएसटी अधिकरण/वित्त आयुक्त/उपयुक्त पदाधिकारी	2556.36
ईएसआई का अंशदान	संविदा श्रमिकों पर ईएसआई का अंशदान	माननीय बीआईएफआर और क्षेत्रीय निदेशक / ईएसआईसी	72.84
आयकर शास्ति	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271 (1) (ग) के अंतर्गत शास्ति	आयकर आयुक्त (अपील)	2961.98
संपत्ति कर	संपत्ति कर	स्थानीय पंचायत	92.84
सेवा कर	जीटीए सेवा	आयुक्त (अपील) केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर	38.73
उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	अपीलीय प्राधिकारी	197.18

VIII. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसी कंपनी ने ऋणों के मूलधन और उस पर संचित ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है, जिसके विवरण नीचे दिए अनुसार हैं:

विवरण	राशि (₹ लाख में)	चूक की अवधि
अंतर – निगमित ऋण	3700.00	13 वर्ष से अधिक अवधि से
उपर्युक्त राशि पर ब्याज	6163.00	13 वर्ष से अधिक अवधि से
ब्याज सहित भारत सरकार की राशि	27475.00	काफी लंबे समय से

- IX.** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा आगामी सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है अथवा वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।
- X.** हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और सूचना के अनुसार कॉर्पोरेशन में लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी धोखाधड़ी नहीं पाई गई अथवा कॉर्पोरेशन पर कोई बड़ी धोखाधड़ी की रिपोर्ट की गई।
- XI.** अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं होते हैं। तदनुसार आदेश के खंड 3(xi) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
- XII.** कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है और इसके लिए निधि नियमावली, 2014 लागू नहीं होती हैं, अतः तदनुसार आदेश के खंड 3 (xii) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
- XIII.** हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और कंपनी (लेखाद्ध नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक (एएस – 18) संबंधित पक्षकार प्रकटन के तहत यथावश्यक वित्तीय विवरणों का प्रकटन राज्य के नियंत्रणाधीन निकायों के लिए यथालागू सीमा तक किया गया है।
- XIV.** कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई प्राथमिक आबंटन अथवा निजी स्तर पर कोई नियोजन नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खंड 3 (xiv) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
- XV.** कंपनी ने इसके निदेशकों अथवा उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर नकदी लेनदेन नहीं किए हैं। तदनुसार आदेश के खंड 3 (xv) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
- XVI.** कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है।

कृते कपूर भूषण एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 001676एन

ह०
(सीए पी. बी. कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं. 010858

स्थान: दिल्ली
तारीख : 28 जुलाई, .2016

अनुबंध 'ख'

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार **सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** ; "दी कंपनी" के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ – साथ उसी तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की भी लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कॉर्पोरेशन की नीतियों का अनुपालन, कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाने; लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार यथावश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना सहित क्रमबद्ध ढंग से और दक्षतापूर्वक इसके व्यापार का संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से लागू किए गए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट (द "गाइडेंस नोट") और लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत यथाविहित माना गया है, जो आंतरिक

वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जिस सीमा तक लागू होते हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों और मार्गदर्शक नोट के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हम सैद्धांतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें अपनी लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन योजना इस प्रकार तैयार करें जिससे कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया और उसे बनाए रखा गया तथा सभी मूल संदर्भों में ऐसे नियंत्रणों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालनात्मक प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, इस बात के जोखिम का मूल्यांकन करना कि कोई बड़ी कमजोरी वस्तुतः मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता के मूल्यांकन को शामिल किया गया। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में किसी बड़े गलत विवरण के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है, चाहे वे गलत विवरण किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के परिणामस्वरूप क्यों न दिए गए हों।

हमारा मानना है कि हमारे लेखापरीक्षा साक्ष्य, जो हमने प्राप्त किए हैं, हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करते हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु डिजाइन की जाती है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी

नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो

1. ऐसे रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित होते हैं जो कॉर्पोरेशन की परिसंपत्तियों के लेन-देन और जमा आदि के संबंध में पर्याप्त, परिशुद्ध, निष्पक्ष और उचित विवरण प्रस्तुत करते हैं;
2. इस बात का उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देनों को भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु यथावश्यक ढंग से रिकॉर्ड किया गया है और कॉर्पोरेशन की सभी प्राप्तियां और व्यय केवल और केवल प्रबंधन तथा कॉर्पोरेशन के निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और
3. इस बात का उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, इस्तेमाल अथवा निपटान आदि का समय पर पता लगाने और रोकथाम के संबंध में उपाय किए गए हैं, जिनका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अथवा सहमति आदि की संभावना, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण कोई बड़ा

गलत विवरण दिए जाने की संभावना शामिल होती है और हो सकता है कि उसका पता भी न चल पाए। इसके अलावा भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन की संभावनाएं और पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन होते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण में कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में सभी वास्तविक संदर्भों में पर्याप्त प्रणाली मौजूद है और कंपनी में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत थे।

कृते कपूर भूषण एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 001676एन

ह०
(सीए पी. बी. कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं. 010858

स्थान: दिल्ली
तारीख : 28 जुलाई, 2016

अनुबंध-I
31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत निर्देशों के कम्प्लाइन्स रिपोर्ट

1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के लिए स्पष्ट अधिकार/पट्टा विलेख (लीज डीड) उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो कृपया ऐसी फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के क्षेत्र का उल्लेख करें, जिसके लिए स्पष्ट अधिकार/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 30 के बिंदु संख्या 3 में रिपोर्ट की गई भूमि को छोड़कर शेष भूमि के संबंध में स्पष्ट अधिकार/पट्टा विलेख उपलब्ध हैं। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा अपने पक्ष में ऐसी भूमि का स्पष्ट अधिकार प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं।
2.	क्या कर्जों/ ऋणों/ ब्याज आदि में छूट दिए जाने अथवा उन्हें बट्टे खाते में डाले जाने का कोई मामला प्रकाश में आया है? यदि हां, तो कृपया उसके कारण बताएं और यह भी बताएं कि ऐसे मामलों में कितनी राशि निहित थी ?	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कर्जों/ ऋणों/ ब्याज आदि में छूट दिए जाने अथवा उन्हें बट्टे खाते में डाले जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।
3.	क्या सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान (अनुदानों) के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों और तृतीय पक्षकारों के पास पड़ी वस्तुओं (इंवेंटरी) के लिए उचित रिकॉर्ड रखा गया है?	कंपनी में तृतीय पक्षकार के पास कोई इंवेंटरी नहीं है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सरकार और अन्य प्राधिकारियों से उपहार के रूप में कोई परिसंपत्तियां प्राप्त की हैं।

अनुबंध-II
वर्ष 2015- 16 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत यथावश्यक उप निदेश

कंपनी के लेखाओं और खाताबही के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों और/अथवा सूचना के बारे में उत्तर निम्नानुसार हैं:

1. कर्मचारी लाभ

कॉर्पोरेशन के लिए सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात ग्रेच्युटी, छुट्टी संराशिकरण, सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों के संबंध में देयता के लिए प्रावधान करने हेतु आवश्यक सूचना और जानकारी अर्थात कर्मचारियों की संख्या, औसत वेतन, सेवानिवृत्ति की आयु और छूट की दर के संबंध में ऐक्चुअरी के द्वारा लगाए गए पूर्वानुमानों, भविष्य में बढ़ने वाली लागत, मृत्यु दर आदि के बारे में उपलब्ध करायी गयी सूचना/इनपुट का विधिवत सत्यापन वास्तविक मूल्यांकन के साथ किया गया है और इसे उचित पाया गया है।

2. बीआईएफआर योजना

कंपनी को माननीय बीआईएफआर द्वारा अपने दिनांक 08.08.96 के पत्र संख्या 501/96-बैंच प्ट एसओएल के जरिए रुग्ण उद्योग घोषित किया गया। माननीय बीआईएफआर ने अपनी दिनांक 21.03.2006 को आयोजित सुनवाई में मैसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार की गई और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई पुनरुद्धार योजना को अपना अनुमोदन प्रदान किया। स्वीकृत योजना को माननीय बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03.05.2006 को परिचालित किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षित और असुरक्षित क्रेडिटर्स के समाधान और तीन प्रचालनरत प्लांटों के विस्तार/प्रौद्योगिकीय उन्नयन के साथ-साथ शेष 7 गैर प्रचालनरत प्लांटों को बंद करने/उनकी बिक्री की परिकल्पना की गई। स्वीकृत योजना के अनुसार 6 यूनिटों को बंद कर दिया गया है और आदिलाबाद यूनिट, जहां मामला आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, को छोड़कर शेष यूनिटों के कर्मचारियों को वीएसएस योजना के अंतर्गत पृथक कर दिया गया है। इसके अलावा माननीय बीआईएफआर ने अपनी दिनांक 21.01.2015 को आयोजित सुनवाई में कंपनी को एमडीआरएस (संशोधित मसौदा पुनर्वास योजना) प्रस्तुत करने का निदेश दिया है, जिसका कार्य प्रगति पर है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के निदेशकों की रिपोर्ट अनुसार करने के लिए परिशिष्ट

टिप्पणियों के प्रबंधन के उत्तरों लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निर्धारित दिनांक 28-07-2016 के तहत यहां दिए गए हैं:-

क्र	अहर्ताए	प्रबंधन का उत्तर
1.	<p>अहर्तापूर्ण दृष्टिकोण के लिए आधार – क, ख, ग, घ</p> <p>क) कंपनी के पक्ष में कुछ इकाइयों की भूमि के शीर्षक और पट्टे अभिलेख (लीज डीड) काफी समय से लंबित है और भूमि विवरण विवरणों का पुनर्मिलानके अधीन हैं। इसके अलावा, दिल्ली ग्राइडिंग यूनिट के संबंध में 99 साल के लिए पट्टे आधार पर 20.20 एकड़ जमीन का आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया है और इस मामले पर रोक लगा दी है और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। [संदर्भ लें नोट-30 के बिंदु-3 देखें,]</p> <p>ख) सीसीआई के आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि जिसका प्रयोग पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग को सड़क मार्ग के रूप में प्रयोग किया गया है, के संदर्भ में एलीनेशन आदेश के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने देयता का निर्धारण न करने और उसके प्रावधान ने करने के लिए राजस्व विभाग से स्वीकृति प्रतीक्षित है। [संदर्भ लें नोट 30 के प्वाइंट संख्या 5,]</p> <p>ग) पुनर्मिलान लंबित होने के कारण 1998 में बेची गई येरागुंटला इकाई के संबंध में विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लेखित विसंगतियों के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है [संदर्भ लें प्वाइंट नोट 30 की संख्या 12,]</p> <p>घ) व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिमों, व्यापारिक देयताओं, पक्षकारों के साथ जमा राशियों उनसे प्राप्त होने वाली राशियों पुष्टि और पुनर्मिलान किया जाना है पुनर्मिलान करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। [संदर्भ लें नोट 30 प्वाइंट No.21,]</p>	<p>इस स्थिति को वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट-30 के संगत बिंदुओं में पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।</p> <p>इस स्थिति को वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट-30 के संगत बिंदुओं में पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।</p> <p>इस स्थिति को वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट-30 के संगत बिंदुओं में पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।</p> <p>इस स्थिति को वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट-30 के संगत बिंदुओं में पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।</p>
2.	<p>अहर्तापूर्ण दृष्टिकोण के लिए आधार –ड)</p> <p>ड) कंपनी के सात इकाई और दिल्ली में एक ग्राइडिंग यूनिट है, जहां वर्ष 1996 से 1999 वर्ष के बीच प्रचालनबाधित हो गया था और भटिंडा (पंजाब) में भी एक ग्राइडिंग इकाई है जहां उत्पादन शुरू नहीं किया जा सका, जिसके संदर्भ नोट 30 के बिंदु -11 में ध्यान आकर्षित किया गया है! प्रबंधन के दृष्टिकोण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक -28 के अंतर्गत परिसंपत्तियों के अनर्जक हानि के लिय कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि अपेक्षित बाजार मूल्य सामान्यतया परिसंपत्तियों के बही मूल्य की तुलना में अधिक होता है। [संदर्भ लें नोट 30 बिंदु No.11,]</p>	<p>गैर संचालन इकाइयों की संपत्ति की अनर्जक हानि से संबंधित स्थिति वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट-30 के बिंदु-11 में विस्तार से स्पष्ट कर दिया गया है।</p>

3.	<p>अहर्तापूर्ण दृष्टिकोण के लिए आधार – एफ</p> <p>एफ) निगम ने 22 मार्च 2007 तो 7 वर्ष के लिए ₹ 355.43 करोड़ मूल्य के प्रत्येक ₹ 1000 के 3554325 का संचयी मोचन हेतु अधिमानी अंश जारी किए थे। जारी किय जाने के शर्तों के अनुसार, उपयुक्त वरीयता शेयरों को 22 मार्च 2014 से पहले मोचित किया जाना था, जो जारी करने की शर्तों के अनुरूप नहीं है, प्रबंधन ने सूचित किया है की मंत्रिमंडल/बीआईएफआर निर्देशानुसार प्राथमिकता अंश जारी करने के संबंध में आगे के कारवाई शुरू करने के लिये मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है। [संदर्भ लें नोट 30 प्वाइंट छव.13]</p>	<p>गेर संचयी मोचन हेतु अधिमानी अंश के सम्बंध में भारी उद्योग विभाग इस मुद्दे को उठाया गया है जिसे वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट –30 के बिंदु –13 में विस्तार से स्पष्ट कर दिया गया है।</p>
4.	<p>अहर्तापूर्ण दृष्टिकोण के लिए आधार – जी, एच</p> <p>जी) निगम ने विभिन्न पक्षकारों के विरुद्ध दायर किय गए ₹ 76.65 करोड़ के दावों और प्रतिदावों, जो अदालतों में लंबित हैं अथवा मध्यस्थों के अधीन हैं, के लिये लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चूंकि मामला अदालत के समक्ष लंबित हैं अतः मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। [संदर्भ लें नोट 30 के बिंदु-1.]</p> <p>एच) नोट नंबर 29 में, कंपनी ने अकलतरा और मंधार इकाई के संदर्भ में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को देय न्यूनतम टेरिफ प्रभार के मद के रूप में स्वीकार किय गए कंपनी के विरुद्ध दावों को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत ₹ 364.49 करोड़ को शामिल किया है। मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है और इस चरण में इस के परिणाम में की गणना नहीं की जा सकती है।</p>	<p>निगम के दावे /काउंटर का दावा, न्यायाधीन है और इस स्तर पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जिसे वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट 29 और 30 के बिंदु – में विस्तार से स्पष्ट कर दिया गया है।</p> <p>निगम के दावे /काउंटर का दावा, न्यायाधीन है और इस स्तर पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जिसे वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट 29 और 30 के बिंदु –में विस्तार से स्पष्ट कर दिया गया है।</p>
	<p>मामले पर जोर</p> <p>ख) मूल्यांकन 2006–07 और 2007–08 के लिए मूल्यांकन आकलन आयकर अधिनियम 1961 के साथ पठित धारा 143 (3) के अंतर्गत पूरे किये गए हैं जिसके परिणामस्वरूप कुछ भत्तों का नुकसान हुआ है इसके फलस्वरूप कंपनी के मूल्यांकित और आगे लाई गई हानियों में ₹ 973.00 करोड़ की कमी दिखाई गई है, जिसके विरुद्ध कंपनी ने अपील दायर की है, जो अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं। [संदर्भ लें बिंदु संख्या 2 (ii) नोट 30]</p> <p>ग) बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03-05-2006 के आदेश के जरिए अनुमोदित मसौदा पुनर्वास योजना (डीआरएस) को 2 दो चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसके पहले चरण के लिए भारत सरकार द्वारा पूरी वित्तीय सहायता प्रदान के गई है, वह चरण पूरा हो गया है। दूसरे चरण को 2007–08 तक पूरा किया जाना था, जो 07 (सात) गेर प्रचालनरत यूनिटों की बिक्री से पूरा किया जाना था, अब तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई नहीं दे रही है।</p> <p>घ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत, कंपनी ने पिछले 3 वर्षों के ओसत निबल लाभ के आधार पर खर्च किये जाने वाले ₹ 43.00 लाख की राशि की तुलना में निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के मद में ₹ 4.00 लाख की राशि खर्च की है।</p>	<p>इस स्थिति को वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट –30 के बिंदु-2 (ii) में विस्तार रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।</p> <p>माननीय बीआईएफआर की स्वीकृत योजना के अनुपालन में और बिक्री प्रक्रिया में देरी अप्रत्याशित है। हालांकि संशोधित मसौदा पुनर्वास योजना की तैयारी प्रगति पर है।</p> <p>सीसीआई बीआईएफआर संदर्भित कंपनी है, हालांकि कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 135 में संदर्भित सीएसआर गतिविधि के कम होने को कानून के अनुपालन के रूप निदेशक रिपोर्ट में विस्तार से बताया जा रहा है।</p>

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

मैं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिये **सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की **टिप्पणियाँ** अग्रेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए।

ह0

(नन्दना मुंशी)

महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड II
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.09.2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार **सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.** के 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कम्पनी के प्रबन्धन का है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अधीन इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स जैसे व्यावसायिक निकाय द्वारा विहित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा करने के लिए धारा 143 (10) के अधीन उनकी दिनांक 28 जुलाई, 2016 की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के माध्यम से उनके द्वारा यह बताया गया है।

मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से धारा 143(6) (ए) के अन्तर्गत **सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की हैं। पूरक लेखा परीक्षा का निष्पादन सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकरण संबंधी दस्तावेजों को देखे बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों द्वारा की गई पूछताछ और कुछेक लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित हैं। मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मुझे ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली है जिसके आधार पर कम्पनी अधिनियम, के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर **कोई टिप्पणी** की जा सके अथवा जोड़ी जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की ओर से

ह0

(नन्दना मुंशी)

महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड II

नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 20.09.2016

हमारी यूनिटों की प्रमुख विशेषताएं:

मंघार (जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़)

यह कार्पोरेशन की पहली यूनिट है, जिसमें जुलाई 1970 में उत्पादन शुरू किया गया। उत्पादन के लिए गीली प्रक्रिया को अपनाया गया और नवम्बर 1978 से स्लैग सीमेंट का उत्पादन शुरू करने के लिए इसका विस्तार किया गया। स्लैग की आवश्यकता को भिलाई स्टील प्लांट से पूरी की जाती है।

	2015-16	2014-15	2013-14
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	3.80	3.80	3.80
उत्पादन (लाख टन में)	—	—	—
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	—	—	—
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	(1,40)	(1,55)	(1,27)

यूनिट के अव्यवहार्य हो जाने के कारण उत्पादन बंद पड़ा हुआ है।

कुरकुंटा (जिला-गुलबर्ग, कर्नाटक)

यह गीली प्रक्रिया से सीमेंट का उत्पादन करने की दूसरी यूनिट है, जहां उत्पादन 1972 से शुरू किया गया।

	2015-16	2014-15	2013-14
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.98	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)	—	—	—
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	—	—	—
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	(1,13)	(1,44)	(1,83)

बोकाजन (जिला-कारबी अंगलोंग, असम)

यह यूनिट असम के कारबी अंगलोंग जिले के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है, जिसकी स्थापना महज सामान्य आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए आसपास के पड़ोसी क्षेत्रों को सीमेंट और सम्बन्धित सेवाएं उपलब्ध करने के सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इस यूनिट के लिए 10 किलोमीटर लम्बे रोपवे के माध्यम से चूना-पत्थर लाया जाता है जो दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस यूनिट में 1 अप्रैल 1977 से उत्पादन शुरू किया गया।

	2015-16	2014-15	2013-14
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.98	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)	1.03	0.82	0.92
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	44,39	37,55	49,79
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	35	(4,61)	(10,08)

राजबन (जिला-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश)

यह पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र में स्थित दुसरी यूनिट है। सामान्य संचार कठिन होने के अलावा इस यूनिट में काफी बड़े पैमाने पर सामग्री के आंतरिक आवागमन और तैयार उत्पाद का बहिर्गमन सड़क मार्ग द्वारा किया जाता है क्योंकि यूनिट के नजदीक कोई रेल सम्पर्क नहीं है। इस फैक्ट्री के पूरे उत्पादन का वितरण सड़क मार्ग द्वारा ही किया जाता है। पहाड़ों में स्थित खदानों से 9 किलोमीटर लम्बे रोप-वे के माध्यम से चूना पत्थर यहां लाया जाता है। यह यूनिट अप्रैल, 1980 से अपना कमर्शियल उत्पादन कर रही है।

	2015-16	2014-15	2013-14
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	2.48	2.48	2.48
उत्पादन (लाख टन में)	1.91	1.70	1.25
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	88,83	82,72	37,69
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	11,88	(4,42)	(15,51)

नया गांव (जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश)

4 लाख टन की वार्षिक संस्थापित क्षमता वाली इस यूनिट में 1 मार्च 1982 से कमर्शियल उत्पादन शुरू किया गया।

	2015—16	2014—15	2013—14
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)	—	—	—
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	—	—	—
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	(1.18)	(1.46)	(1.28)

स्थल विभाजन अर्थात् नयागांव में किलंकर स्टेशन और दिल्ली तथा भटिंडा में किलंकर की ग्राइंडिंग की संकल्पना के साथ यूनिट की उत्पादन क्षमता और 10 लाख टन बढ़ाकर परियोजना का विस्तार किया गया। नयागांव में किलंकर स्टेशन और दिल्ली में ग्राइंडिंग यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन 01.05.1990 से शुरू किया गया।

नयागांव यूनिट का विस्तार डीजीयू और बीजीयू सहित

	2015—16	2014—15	2013—14
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	5.00	5.00	5.00
उत्पादन (लाख टन में)	—	—	—
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	—	—	—
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	25	(1.71)	(1.49)

अकलतरा (जिला—बिलासपुर, छत्तीसगढ़)

इस यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन 1 अप्रैल, 1981 से शुरू किया गया।

	2015—16	2014—15	2013—14
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)	—	—	—
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	—	—	—
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	2.13	(1.37)	3.28

यूनिट के अव्यवहार्य हो जाने के कारण उत्पादन बन्द पड़ा हुआ है।

चरखी दादरी (जिला—भिवानी, हरियाणा)

यह भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई एक रुग्ण यूनिट थी और जून, 1981 में इसे सीसीआई के नियंत्राधीन किया गया। अल्पावधि I के भीतर पुनरुद्धार के पश्चात सीमेंट की ग्राइंडिंग का कार्य सितम्बर 1981 में शुरू किया गया और तत्पश्चात किलंकर उत्पादन शुरू किया गया। दो स्ट्रीम में से केवल एक ही स्ट्रीम इस लायक थी, जिसका पुनरुद्धार किया जा सका।

	2015—16	2014—15	2013—14
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.74	1.74	1.74
उत्पादन (लाख टन में)	—	—	—
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	—	—	—
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	(1.42)	(1.70)	(1.53)

यूनिट के अव्यवहार्य हो जाने के कारण उत्पादन बन्द पड़ा हुआ है।



आदिलाबाद (जिला—आदिलाबाद, आन्ध्र प्रदेश)

इस यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल, 1984 से शुरू किया गया।

	2015—16	2014—15	2013—14
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)	—	—	—
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	—	—	—
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	(5,12)	(4,87)	33,10

तांदूर (जिला—के.वी. रंगारेड्डी, आन्ध्र प्रदेश)

इस यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन 1 जुलाई, 1987 से शुरू किया गया।

	2015—16	2014—15	2013—14
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	10.00	10.00	10.00
उत्पादन (लाख टन में)	6.19	7.00	6.19
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	2,53,88	2,70,83	2,06,75
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	49,15	63,21	12,81

VISION

To emerge as a leading cement company committed to contribute to the economy and to enhance value for the stakeholders.

MISSION

To augment the wealth creation for the Company, deliver superior product and sustain market value.



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
नई दिल्ली

Cement Corporation of India Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)
New Delhi